



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 608]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 20, 2009/आश्विन 28, 1931

No. 608]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 20, 2009/ASVINA 28, 1931

पोत परिवहन मंत्रालय

(पोत स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर, 2009

सा.का.नि. 767(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (i) के साथ पठित धारा 124 की उप-धारा (i) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा कंडला पोर्ट ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए कंडला पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2009 को इस अधिसूचना के साथ संलग्न यथा अनुसूचित अनुमोदित करती है।

उक्त विनियम सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

अनुसूची

कंडला पोर्ट ट्रस्ट

कंडला पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2009

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) का तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कंडला पोर्ट का न्यासी मंडल एतद्वारा समय-समय पर संशोधित कंडला पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियम, 1964 में संशोधन करते हुए निम्न विनियम बनाता है।

ये विनियम कंडला पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधित विनियम, 2009 कहे जाएंगे।

कंडला पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) विनियम, 2009

महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंडला पोर्ट का न्यासी मंडल एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

- (1) ये विनियम कंडला पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) विनियम, 2009 कहलाएंगे ।
- (2) ये महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 और 132 के प्रावधानों के अधीन यथापेक्षित केन्द्र सरकार के अनुमोदन से भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. प्रयुक्ति :-

ये विनियम बोर्ड के अधीन अधिनियम की धारा 27 के अधीन सृजित सभी पदों पर लागू होंगे, जिसमें अधिनियम की धारा 24 की उप धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा समाविष्ट पद भी शामिल होंगे ।

3. परिभाषा :-

इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

- (क). 'अधिनियम' से महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) अभिप्रेत है ।
- (ख). 'सदृश पद' से ऐसा पद अभिप्रेत है जिसके कार्य और जिम्मेदारियों की सीमा तथा वेतन क्रम ऐसे पद के तुल्य है जिनका चयन किया गया है ।
- (ग). किसी ग्रेड अथवा पद के संबंध में 'नियुक्ति प्राधिकारी' से उस ग्रेड या पद पर नियुक्ति करने के लिए कंडला पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) विनियम, 1964 के अधीन प्राधिकृत प्राधिकारी अभिप्रेत है ।
- (घ). " बोर्ड", 'अध्यक्ष', 'उपाध्यक्ष' और 'विभाग प्रमुख' के क्रमशः वही अर्थ है जो उनके लिए अधिनियम के अधीन नियत किए गए हैं ।

- (इ.). 'प्रथम श्रेणी पद', 'द्वितीय श्रेणी पद', 'तृतीय श्रेणी पद' और 'चतुर्थ श्रेणी पद' के वही अर्थ हैं जो उनके लिए कंडला पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) विनियम, 1964 के विनियम 4 में नियत किए गए हैं।
- (च). "विभागीय प्रोन्नति समिति" से किसी ग्रेड या पद में प्रोन्नति या पुष्टीकरण के लिए सिफारिश करने के प्रयोजन के लिए विनियम 26 के अधीन समय समय पर गठित समिति अभिप्रेत है।
- (छ). "सीधी भर्ती" से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो सेवा चयन समिति द्वारा प्रतियोगी परीक्षा अथवा जांच परीक्षा और / अथवा सक्षात्कार के आधार पर भर्ती किया गया है।
- (ज). "कर्मचारी" से बोर्ड का कोई कर्मचारी अभिप्रेत है।
- (झ). "ग्रेड" से अधिनियम की धारा 23 के अधीन निर्मित और संस्वीकृत कर्मचारियों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई भी ग्रेड अभिप्रेत है।
- (ञ). "धारणाधिकार" से किसी कर्मचारी का या तो तत्काल अथवा अनुपस्थिति की अवधि अथवा अवधियों की समाप्ति के बाद उस पद पर नियमित आधार पर रखे जाने से संबंधित अधिकार अभिप्रेत है जिस पद पर वह नियमित आधार पर नियुक्त था और जिस पर वह परिवीक्षाधीन नहीं था।
- परन्तु नियमित पद पर रखा गया अधिकार इस शर्त के अधीन रहेगा कि यदि ऐसे पात्र व्यक्तियों की संख्या, उस ग्रेड में उपलब्ध पदों से अधिक है तो उस पद में कनिष्ठतम व्यक्ति को निचले ग्रेड के पद में पदावनत किया जा सकता है।
- (ट). "स्थायी कर्मचारी" से ऐसा कर्मचारी अभिप्रेत है जो स्थायी पद पर अधिष्ठायी रूप से नियुक्त किया गया है।
- (ठ). "अनुसूची" से इन विनियमों में संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।
- (ड). "अनुसूचित जाति" और "अनुसूचित जनजाति" के वही अर्थ हैं जो इन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (24) तथा (25) में क्रमशः समनुदिष्ट किए गए हैं।
- (ढ). किसी ग्रेड अथवा पद के संबंध में "चयन सूची" से अभिप्राय उस ग्रेड अथवा पद के लिए विनियम 13 के अनुसार तैयार की गई चयन सूची है।

- (ण). "चयन पद" से ऐसा पद अभिप्रेत है जो इन विनियमों के विनियम 5 के अधीन उसी रूप में घोषित किया गया है।
- (त) "सेवा चयन समिति" से सीधी भर्ती के लिए आरक्षित पदों पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा, व्यावसायिक परीक्षण और / अथवा साक्षात्कार के द्वारा उम्मीदवारों का चयन करने के लिए विनियम 12 के अधीन गठित की गई समिति अभिप्रेत है।
- (थ) "अस्थायी कर्मचारी से बोर्ड की सेवा में अस्थायी पद अथवा नियमित पद में स्थानापन्न अथवा परीवीक्षाधीन नियुक्ति धारण करने वाले कर्मचारी से है।

4. नियुक्ति की रीति :-

जिन पर ये विनियम लागू होते हैं, ऐसे सभी पदों से संबंधित सभी नियुक्तियाँ, इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार की जाएंगी। ये नियुक्तियाँ या तो प्रोन्नति द्वारा अथवा विलयन अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा सीधी भर्ती द्वारा की जाएंगी। यह प्रतिनियुक्ति, महा पत्तन, केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, स्वायत्तशासी निकायों, सरकारी कंपनियों से ऐसे कर्मचारियों द्वारा की जाएंगी जो उस पद से संबंधित विहित पात्रता के मापदंडों को पूरा करते हों। प्रतिनियुक्ति की सामान्य अवधि 3 वर्षों की होगी जिसे चार वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। आपवादिक परिस्थितियों में यह पांच वर्षों तक बढ़ाई जा सकती है। परन्तु कि च्वभाग-प्रमुख तथा विभाग-प्रमुख से एक स्तर नीचे के पदों के रूप में माने जानेवाले पदों पर नियुक्ति से संबंधित सभी रिक्तियाँ "भर्ती संबंधी मिरित पद्धति" अर्थात् प्रोन्नति/ स्थानांतरण/ विलयन के आधार पर प्रतिनियुक्ति द्वारा भरी जाएंगी, ऐसा न होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा दोनों के न हो पाने पर सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी। प्रोन्नति/ विलयन पर स्थानांतरण महा पत्तन न्यासों के ऐसे अधिकारियों में से किए जाएंगे जो संलग्न विनियम की अनुसूची में निर्धारित पात्रता संबंधी मानदंडों को पूरा करते हों।

5. अनुसूचियाँ :-

नियुक्ति की रीति अर्थात् चारों वर सीधी भर्ती द्वारा अथवा विभागीय प्रोन्नति अथवा विलयन अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा हो, प्रथम श्रेणी पदों के संबंध में अर्हताएँ, आयु, शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुभव संबंधी अपेक्षाएँ, चयन पद अथवा अचयन पद के रूप में पदों का वर्गीकरण और विभिन्न पदों की नियुक्तियों के साथ जुड़े अन्य मामले इन विनियमों में संलग्न अनुसूची में दर्शाए जाएंगे। द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के पदों के संबंध में नियुक्ति की रीति वही रहेगी जैसी बोर्ड

द्वारा समय समय पर निर्धारित हो। अनुसूची में विभिन्न ग्रेडों की वह प्राधिकृत स्थायी और अस्थायी संख्या भी दर्शायी जाएगी, जैसी महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 23 के प्रावधानों के अधीन निर्मित कर्मचारियों की अनुसूची में उपदर्शित है। महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 27 के प्रावधान के अधीन यह संख्या समय-समय पर परिवर्तित हो सकती है। प्रोन्नति के मामले में, सीधी भर्ती के लिए विहित पात्रता संबंधी अपेक्षाएं अनुसूची के कॉलम 9 में उल्लिखित सीमा तक लागू होंगी और प्रोन्नति के लिए अनुभव संबंधी अपेक्षाएँ वही होंगी जैसी अनुसूची के कॉलम 12 में निर्धारित है।

परन्तु कि सीधी भर्ती/विलयन/प्रतिनियुक्ति के लिए निर्धारित ऊपरी आयुसीमा में, विभागप्रमुखों के मामले में केन्द्र सरकार द्वारा और अन्य सभी मामलों अध्यक्ष द्वारा कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करते हुए निम्नवत् छूट दी जाएगी :-

- (i) 5 वर्षों तक, जहां निर्धारित न्यूनतम अनुभव 10 वर्षों अथवा अधिक है और तीन वर्षों तक, जहां निर्धारित अनुभव कम से कम 5 से 9 वर्षों का है।
- (ii) ऐसा उम्मीदवार जो भूतपूर्व सैनिक अर्थात् भारत के रक्षाबल का भूतपूर्व कर्मचारी है, और जो रक्षा बलों में 6 महीनों की लगातार सेवा से कम के लिए नहीं रखा गया है, उसके मामले में जब रिक्ति ऐसे भूतपूर्व सैनिकों और युद्ध में मारे गए सैनिकों के आश्रितों के लिए आरक्षित रिक्ति से भरी जानी है तब वहां रक्षा बलों में उसके द्वारा की गई सेवा सहित अतिरिक्त तीन वर्ष तक और जहाँ रिक्ति अनारक्षित रिक्ति से भरी जानी हो तो रक्षा बलों में उसके द्वारा की गई सेवा की सीमा तक ; और
- (iii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार के मामले में ऐसे आदेशों के अनुसार जैसे केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किए जाते हों।

परन्तु और भी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में यदि चयन के किसी क्रम पर केन्द्र सरकार की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित पद भरने के लिए इन समुदाय में से अपेक्षित अनुभव रखनेवाले उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो केन्द्र सरकार के स्वविवेक पर अनुभव संबंधी आवश्यकता में छूट दी जाएगी।

6. रिक्तियों से संबंधित रोस्टर :-

यह दशनि के लिए कि कोई विशेष रिक्ति सीधी भर्ती द्वारा भरी जाए अथवा प्रोन्नति द्वारा, प्रत्येक ग्रेड के लिए एक रोस्टर रखा जाएगा। तथापि, ऐसी रिक्ति जो सीधी भर्ती के लिए आरक्षित है परंतु सीधी भर्ती द्वारा नहीं भरी जा सकती है तो वह प्रोन्नति द्वारा भरी जाएगी और अगली रिक्ति सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएगी। इसी प्रकार यह पद्धति प्रोन्नति के लिए आरक्षित ऐसी रिक्ति के मामले में भी अपनाई जा सकती है जो प्रोन्नति पद्धति द्वारा नहीं भरी जा सकती है।

7. आरक्षण :-

- (1) केन्द्र सरकार के अधीन पदों के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में आरक्षण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेश इन विनियमों में समाविष्ट सभी नियुक्तियों पर जो सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नति द्वारा भरी जानी है, यथोचित परिवर्तन करते हुए लागू होंगे।
- (2) केन्द्र सरकार के अधीन पदों को अन्य पिछड़े वर्ग, भूतपूर्व सैनिक और युद्ध में मारे गए सैनिकों के आश्रितों, खिलाड़ियों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के पक्ष में आरक्षण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेश इन विनियमों में समाविष्ट सभी नियुक्तियों पर और ऐसी नियुक्तियों पर जो सीधी भर्ती द्वारा भरी जानी है, यथोचित परिवर्तन करते हुए लागू होंगे।

8. सीधी भर्ती के लिए राष्ट्रीयता, चरित्र और शारीरिक योग्यता आदि :-

- (1). किसी ग्रेड या पद पर सीधी भर्ती के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक है कि वह -
 - (क). भारत का नागरिक हो: अथवा
 - (ख). नेपाल की प्रजा हो : अथवा
 - (ग) भूटान की प्रजा हो : अथवा
 - (घ). कोई तिब्बती शरणार्थी हो जो स्थायी रूप से भारत में बसने के आशय से 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत में आया, अथवा

(ड.) भारतीय मूल का कोई व्यक्ति हो जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका अथवा केन्या के पूर्व अफ्रिकी देश, यूगांडा, तंजानिया का संयुक्त गणराज्य, जॉनिया, मालावी, जैर तथा इथोपिया और वियतनाम से भारत में आया।

परन्तु कि प्रवर्ग (क) के किसी उम्मीदवार को अपनी राष्ट्रीयता के संबंध में ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा जैसा अध्यक्ष द्वारा समय समय में अपेक्षित हो। परन्तु आगे कि प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) तथा (ड) से संबंधित उम्मीदवार ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाणपत्र जारी किया गया है।

परन्तु यह और भी कि कोई ऐसा उम्मीदवार, जिसके मामले में राष्ट्रीयता का साक्ष्य अथवा पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक है, यथा स्थिति, उसके द्वारा सरकार उसके पक्ष में दिए गए आवश्यक प्रमाण-पत्र के प्रस्तुतीकरण के लंबित रहते हुए उसे अनंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकता है। ऐसे मामलों में यह अनंतिम नियुक्ति एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(2). जब किसी विशेष प्रकृति के कार्य के लिए नियुक्ति की जानी है और कोई ऐसा उपयुक्त उम्मीदवार प्राप्त करना व्यावहारिक न हो, जो इन विनियमों के अपेक्षाएं पूरी करता हो तो अध्यक्ष केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से उप विनियम (1) की अपेक्षाओं में से किसी में संशोधन कर सकता है अथवा उसे छोड़ सकता है

(3). कोई भी ऐसा व्यक्ति,

(क). जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा विवाह का करार किया हो, जिसका जीवन साथी जीवित है,

अथवा

(ख) जिसने अपने जीवन साथी जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किय हो अथवा विवाह का करार किया हो,

वह किसी ऐसे ग्रेड अथवा पद जिसमें ये विनियम लागू होते हैं किसी नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु कि, विभागप्रमुखों के मामले में केन्द्र सरकार तथा अन्य सभी मामलों में अध्यक्ष का यह समाधान हो जाए कि उस व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्षकार को पर्सनल लॉ के अन्तर्गत ऐसा विवाह अनुज्ञेय है और कि ऐसा करने के लिए अन्य आधार है ते वह किसी व्यक्ति को इस उप विनियम के लागू होने से छूट दे सकता है।

(4). उम्मीदवार को नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान करना होगा कि उसका चरित्र और पूर्ववृत्त ऐसे हैं जो उसे किसी भी ग्रेड अथवा पद के नियुक्ति के लिए उपयुक्त बनाते हैं। कोई भी ऐसी उम्मीदवार जिसे न्यायलय द्वारा नैतिक चरित्र हीनता के अपराध के लिए दोषी सिद्ध किया गया हो अथवा दिवालिया घोषित किया गया हो वह किसी भी ग्रेड अथवा पद पर नियुक्त का पात्र नहीं होगा।

(5). उम्मीदवार को मानसिक एवं शारीरिक रूप से अच्छे स्वास्थ्य वाला होना चाहिए तथा ऐसे शारीरिक दोषों से मुक्त होना चाहिए जिनसे बोर्ड के कर्मचारी के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने में कोई बाधा उत्पन्न होने की संभावना हो। विभागप्रमुखों के मामले में केन्द्र सरकार द्वारा तथा अन्य सभी मामलों में अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट की गई डाक्टरी जांच के बाद अगर कोई उम्मीदवार उन अपेक्षाओं को पूरा करने वाला नहीं पाया जाता तो उसे नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(6). यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि वह उम्मीदवार इस विनियम की सभी अथवा कोई अपेक्षा पूरी करता है या नहीं इस संबंध में विभाग प्रमुखों के मामले में केन्द्र सरकार तथा अन्य मामलों में अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

9. विद्यमान कर्मचारियों की सीधी भर्ती संबंधी पात्रता :-

जब सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हेतु अपेक्षित पदों का विज्ञापन किया जाए तब सेवा में पहले से कार्यरत ऐसे कर्मचारी जिनके पास निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव हों तो वे भी आवेदन कर सकते हैं। ऐसे मामलों में आयु सीमा लागू नहीं होगी।

10. रिक्त स्थानों का विज्ञापन :-

(1). सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी पदों की सूचना स्थानीय रोजगार कार्यालय को दी जाएगी। योग्य तथा पात्र उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में नहीं मिलने के मामले में उन रिक्तियों का विज्ञापन राज्य में प्रकाशित होनेवाले समाचारपत्रों में किया जाएगा। सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के पदों को राष्ट्रीय तथा स्थानीय समाचार पत्रों और/अथवा रोजगार समाचार में विज्ञापित किया जाएगा।

(2). अर्हताएं, अनुभव तथा आयु निश्चित करने की निर्णायक तारीख पद के सूचित / विज्ञापित किए जाने वाले माह का पहला दिन होगा सिवाय जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए।

11. कुछ मामलों में लिखित अथवा कौशल्य परीक्षण का आयोजन :-

नियुक्ति प्राधिकारी यह निर्णय ले सकता है कि लिखित अथवा कौशल्य परीक्षण अथवा दोनों ही लिए जाएं और साथ ही वह उक्त परीक्षा लेनेवाला अधिकारी नियुक्त करेगा तथा परीक्षण का प्रकार तथा तत्संबंधी अन्य ब्योरे निश्चित करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी के लिए चर्चाध होगा कि वह लिखित अथवा कौशल्य परीक्षण लेने हेतु कोई परामर्शी अथवा परामर्शी फर्म नियुक्त करें।

12. सेवा चयन समिति :-

(1). उप विनियम (2) में यथा उल्लिखित प्रत्येक ग्रेड और पद में के लिए एक सेवा चयन समिति होगी जो सीधी भर्ती द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों चयन करने हेतु योग्य उम्मीदवारों के साक्षात्कार लेगी।

(2). उप विनियम (1) में संदर्भित विभिन्न पदों के प्रवर्ग तथा सेवा चयन समिति का गठन निम्नवत् होगा अर्थात् :

(क). विभागप्रमुखों के लिए -

पोत परिवहन मंत्रालय के संयुक्त सचिव (पोर्ट्स)	- अध्यक्ष
पोर्ट के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष (पोर्ट के अध्यक्ष की अनुपलब्धता में)	- सदस्य
पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा नामित किया गया किसी अन्य पोर्ट का अध्यक्ष अथवा ऐसा अधिकारी जिसे संबंधित क्षेत्र का गहरा अनुभव हो	- सदस्य
पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा नामित किया गया अनुसूचितजाति/ अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति का प्रतिनिधि	- सदस्य

(ख). प्रथम श्रेणी के पद के लिए -

(i). अध्यक्ष / उपाध्यक्ष	- अध्यक्ष
(ii). उपाध्यक्ष	- सदस्य
(iii). उस विभाग का विभाग प्रमुख जहाँ रिक्ति है	- सदस्य
(iv). कार्मिक मामलों को देखने वाला विभागप्रमुख	- सदस्य
(v). अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ी जाति का प्रतिनिधि	- सदस्य

(ग). द्वितीय श्रेणी के पदों के लिए -

- | | |
|--|-----------|
| (i). उपाध्यक्ष | - अध्यक्ष |
| (ii). उस विभाग का प्रमुख जहाँ रिक्ति है | - सदस्य |
| (iii). कार्मिक मामलों को देखनेवाला विभागप्रमुख | - सदस्य |
| (iv). अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया अनुसूचित जाति/
अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति का
प्रतिनिधि | - सदस्य |

(घ). तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए (सामान्य प्रवर्ग)

- | | |
|---|-----------|
| (i). उपाध्यक्ष अथवा उनकी अनुपस्थिति में बोर्ड के अध्यक्ष
द्वारा नामित किया गया विभाग प्रमुख | - अध्यक्ष |
| (ii). कार्मिक मामलों को देखनेवाला विभागप्रमुख | - सदस्य |
| (iii). अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया एक ऐसा
वरिष्ठ अधिकारी जिसका ग्रेड रु.16000-400-20800
से कम नहीं हो | - सदस्य |
| (iv) अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया अनुसूचित जाति/
अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति का प्रतिनिधि | - सदस्य |

(ङ). तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए (असामान्य प्रवर्ग)

- | | |
|---|-----------|
| (i). उस विभाग का प्रमुख जहाँ रिक्ति है | - अध्यक्ष |
| (ii). कार्मिक मामलों को देखनेवाला विभागप्रमुख | - सदस्य |
| (iii) अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया संकथत प्रभाग का
एक ऐसा वरिष्ठ अधिकारी जिसका ग्रेड रु.16000-400-
20800 से कम नहीं हो | - सदस्य |
| (iv) अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया अनुसूचित जाति/
अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ी जाति का प्रतिनिधि | - सदस्य |

नियुक्ति प्राधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को सेवा चयन समिति में सदस्य के रूप में नामित कर सकता है जो सेवा में नहीं है, बशर्ते कि वह व्यक्ति सुसंगत क्षेत्र का विशेषज्ञ हो। ऐसे मामले में जहाँ सेवा चयन समिति का कोई एक सदस्य उपलब्ध न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी उसके स्थान पर समुचित स्तर के एक दूसरे अधिकारी को बैठक में उपस्थित होने हेतु नामित कर सकता है।

(3) जन एक से अधिक विभागों की समान श्रेणियों में रिक्तियों को समरूप चयन द्वारा भरा जाना हो तब उस प्रत्येक मामले में समिति का गठन किए जाने से संबंधित निर्णय अध्यक्ष द्वारा लिया जाएगा।

13. चयन सूची :-

सेवा चयन समिति, सीधी भर्ती हेतु निर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के संबंध में विचारार्थ चयन सूची में रखे जाने हेतु उसके द्वारा यथाचर्णित चयनित उम्मीदवारों के नामों की उनकी योग्यता के आधार पर सिफारिश प्रस्तुत करेगी। यह सूची नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दिए गए अनुमोदन की तारीख से 12 महीने की अवधि हेतु वैध मानी जाएगी। नियुक्ति प्राधिकारी अधिकतम छह माह अथवा तत्संबंधी नयी सूची का अनुमोदन मिलने तक, जो भी पहले हो, सूची की वैधता बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होगा।

14. सेवा चयन समिति की सिफारिशों पर विचार करना तथा तदर्थ नियुक्तियाँ :-

संबंधित सेवा चयन समिति के सिफारिशों के आधार पर ही नियुक्त प्राधिकारी द्वारा सीधी भर्ती संबंधी सभी नियुक्तियाँ की जाएगी।

परन्तु कि नियुक्ति प्राधिकारी के लिए यह निर्बंध होगा कि लिखित रूप में कारण अभिलिखित करते हुए सेवा चयन समिति की सिफारिशों स्वीकार न करें।

परन्तु आगे कि जहां नियुक्ति प्राधिकारी अध्यक्ष का अधीनस्थ प्राधिकारी है और किन्हीं मामलों में प्राधिकारी ऐसी सिफारिशों से असहमत होता है तो वह ऐसी असहमति से संबंधित कारण अभिलिखित करते हुए उस मामले को अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जो इस पर निर्णय लेंगे।

परन्तु साथ ही यह भी कि पूर्णतया अस्थायी पद के मामले में, अवकाश चरलक्त अथवा सीधी भर्ती हेतु निर्दिष्ट एक ऐसी रिक्ति जिसे तत्काल भरा जाना अपेक्षित है, अध्यक्ष उस रिक्ति पद पर तदर्थ आधार पर एक बार छः माह की ऐसी अवधि के चले, जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी किसी पात्र व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है और ऐसा निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेगा :-

(1) जहां अपरिहार्य हो, तदर्थ नियुक्ति पूर्णतया भर्ती नियमों में उपबंधित अर्हताएं, अनुभव की पूर्ति करने के अधीन रहेगी।

- (2) उस अस्थायी पद पर हुई नियुक्ति की कुल अवधि पदावधि से अधिक नहीं होगी ।
- (3) अन्य मामलों में अस्थायी नियुक्ति को यथासंभव शीघ्र चयन सूची से नियमित नियुक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

15. समर्थन मांगना - एक निरर्हता :-

व्यक्ति द्वारा किसी पद पर नियुक्ति हेतु अथवा उच्चतर पद पर पदोन्नति हेतु प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन मांगने के प्रयत्न किए जाने से वह नियुक्ति अथवा पदोन्नति हेतु निरर्ह हो जाएगा ।

16. तथ्यों को छिपाना - एक निरर्हता :-

यदि यह पाया जाता है कोई उम्मीदवार जानबूझकर ऐसे विवरण प्रस्तुत करता है जो गलत है अथवा चरित्र संबंधी ऐसी तात्त्विक जानकारी छिपाता है सामान्यतः जिसके पता चल जाने पर उक्त ग्रेड अथवा पद पर नियुक्ति पाने से उसे रोक दिया जाता तो वह निरर्ह कर दिए जाने का पात्र होगा और यदि नियुक्त हो गया हो तो सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा ।

17. नियुक्ति आदेश निरस्त किया जाना :-

यदि सीधी भर्ती हेतु चर्चष्ट किसी पद के चले चयनित उम्मीदवार नियुक्ति प्रस्ताव में उल्लिखित तारीख के अन्दर और जहां ऐसी कोई तारीख उल्लिखित नहीं है वहां नियुक्त प्रस्ताव जारी होने की तारीख से 30 दिनों के अन्दर अथवा नियुक्ति प्राधिकारी जितनी अवधि बढ़ाने की सहमति दे उस बढ़ाई गई अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहता है तो नियुक्ति प्रस्ताव निरस्त मान लिया जाएगा ।

18. साक्षात्कार में उपस्थित होने हेतु यात्रा भत्ता का संदाय :-

सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के मामले में उम्मीदवारों द्वारा (बोर्ड की सेवा में पहले से ही कार्यरत व्यक्तियों सहित) लिखित और प्रयोगात्मक परीक्षाओं अथवा साक्षात्कार हेतु की जानेवाली सभी यात्राएँ उनके अपने खर्च पर की जानी है । किन्तु, लिखित अथवा व्यापार परीक्षा

अथवा साक्षात्कार हेतु बुलाए गए अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों को आने-जाने की दोनों तरफ की यात्राओं के सबसे छोटे व्यवहार्य मार्ग से प्रथम श्रेणी के रेल किराये के समतुल्य यात्रा भत्ता दिया जाएगा और इसके लिए उसे इस आशय का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि उसने वस्तुतः अन्तर्गामी यात्रा की है।

19. परिवीक्षा अवधि :-

किसी पद में सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति अथवा क्लियन द्वारा नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति उप विनियम (2) तथा (3) के प्रावधानों के अधीन दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेगा सिवाय विभाग प्रमुखों और उपर विभाग प्रमुखों के पदों पर भर्ती की मिश्रित पद्धति द्वारा क्लियन के आधार नियुक्त व्यक्तियों के ऐसे मामलों के, जिनका वेतनमान रु. 16000-400-20800 और उससे अधिक है।

परन्तु कि जहाँ नियुक्ति अपने आप नियुक्ति आदेश में एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए है तो सिवाय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसी अवधि बढ़ा न दी गई हो, ऐसी नियुक्ति उस अवधि की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगी।

परन्तु कि, जब सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की गई है और जिस पद का वेतनमान रु. 11,975/- से अधिक नहीं है, उसकी परिवीक्षा अवधि एक वर्ष होगी।

परन्तु कि, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी ग्रेडों के अन्दर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के मामले में कोई परिवीक्षा नहीं होगी।

परन्तु आगे कि, किसी ग्रेड अथवा पद पर परिवीक्षाधीन कोई कर्मचारी यदि उच्चतर ग्रेड अथवा पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त होता है तो वह उच्चतर ग्रेड अथवा पद पर अपनी नियुक्ति अवधि को अपने निचले ग्रेड अथवा पद की परिवीक्षा अवधि को पूर्ण करने हेतु गिन सकता है। इसी प्रकार, यदि कोई कर्मचारी पहले किसी ग्रेड अथवा पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त है वह उसी ग्रेड अथवा पद पर परिवीक्षाधीन नियुक्त होने पर उस स्थानापन्न अवधि (तदर्थ सेवा को छोड़कर) को ग्रेड अथवा पद पर परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने हेतु गिन सकता है।

(2). यदि नियुक्ति प्राधिकारी उपयुक्त समझे तो परिवीक्षा की अवधि एक बार किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है परन्तु इस तरह बढ़ाई गई कुल अवधि उस मामले को छोड़कर जहाँ ऐसी वृद्धि कर्मचारी के विरुद्ध लॉबित किन्ही विभागीय अथवा विधिक कार्यवाहियों के कारण आवश्यक हो, एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3). परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी कर्मचारी से ऐसे विभागीय प्रशिक्षण लेने और ऐसी विभागीय प्रशिक्षण लेने और ऐसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जा सकेगी जिसे नियुक्ति प्राधिकारी इस निमित्त समय-समय पर विहित करे।

20. परिवीक्षाधीन कर्मचारियों की पुष्टिकरण :-

(1). सामान्य -

- (i). किसी कर्मचारी की सेवा में केवल एक बार पुष्टिकरण किया जाएगा और ऐसा प्रविष्टि ग्रेड में होगा।
- (ii) ग्रेड में स्थायी रिक्ति की उपलब्धता से पुष्टिकरण असंबद्ध है। दूसरे शब्दों में जिस अधिकारी ने परिवीक्षावधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली है पुष्टिकरण हेतु उस पर विचार किया जाएगा।

(2). जिस ग्रेड में प्रारंभ में भर्ती की गई हो उसमें पुष्टिकरण -

- (i) यथा संप्रति, नियुक्त कर्मचारी को परिवीक्षावधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करनी होगी।
- (ii) विभागीय प्रोन्नति समिति के समक्ष मामला (संपुष्टि हेतु) प्रस्तुत किया जाएगा।
- (iii) हर पहलू से मामला निपट जाने पर पुष्टिकरण संबंधी एक विनिर्दिष्ट आदेश जारी किया जाएगा।

3. पदोन्नति पर -

- (i) यदि भर्ती नियमों में कोई परिवीक्षा विहित नहीं है तो नियमित आधार पर पदोन्नत अधिकारी (विहित विभागीय प्रोन्नति समिति आदि प्रक्रिया का पालन करने के बाद) को वे सभी लाभ चमलेंगे जो उस ग्रेड में संपुष्टि किए गए व्यक्ति को मिलेंगे।
- (ii). जहाँ परिवीक्षा विहित की गई है, वहाँ नियुक्ति प्राधिकारी, परिवीक्षा संबंधी निर्धारित अवधि पूर्ण होने पर अधिकारी के कार्य और आचरण का मूल्यांकन करेगा और यह

निर्णय होने पर कि अधिकारी उच्चतर ग्रेड धारित करने हेतु योग्य है तो वह एक ऐसा आदेश पारित करेगा जिसमें यह उद्घोषित किया गया होगा कि संबंधित व्यक्ति ने सफलतापूर्वक परिवीक्षा पूर्ण कर ली है। यदि, अधिकारी का कार्य संतोषजनक नहीं है अथवा जिस पर कुछ अल्पक समय तक अवलोकन किया जाना आवश्यक है, यथा लक्ष्य, उसे जिस पद अथवा ग्रेड से पदोन्नत किया गया है उस पर पदावनत कर दिया जाएगा अथवा परिवीक्षावधि बढ़ा दी जाएगी।

चूंकि जब तक ऐसी परिवीक्षावधि संतोषजनक रूप से पूर्ण कर ली गई उद्घोषित नहीं कर दी जाती तब तक पदोन्नति पर कोई पुष्टिकरण नहीं होगा अतः उसके निष्पादन की कड़ाई से निरीक्षण किया जाएगा और परिवीक्षा के दौरान अधिकारी का कार्य संतोषजनक नहीं होने पर उसे जिस पद अथवा ग्रेड से पदोन्नत किया गया है उस पर पदावनत करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी।

परिवीक्षाधीन व्यक्तियों का पुष्टिकरण - किसी स्थायी पद पर परिवीक्षा की निश्चित शर्तों सहित सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति को सफलतापूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण कर लेने की तारीख से उस ग्रेड में संपुष्ट किया जाना है। प्रारंभिक परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के बाद अर्थात् सामान्यतः 6 से 8 सप्ताह के अन्दर एक ऐसा निर्णय तत्काल लिया जाए कि क्या उस व्यक्ति की संपुष्ट की जाए अथवा उसकी परिवीक्षावधि बढ़ा दी जाए और कर्मचारी को, बढ़ाई गई परिवीक्षावधि यदि कोई हो तो, उसकी सूचना उसके कारणों सहित दी जाए। यद्यपि सीधी भर्ती किए गए व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के बाद विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठकें आयोजित की जाएंगी तथापि, परिवीक्षा संबंधी निश्चित शर्तों के अधीन स्थायी पद पर नियुक्त व्यक्ति को उसकी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने की तारीख से उस ग्रेड में संपुष्ट किया जाएगा। एक ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जो संतोषजनक प्रगति नहीं कर रहा है अथवा जिसने स्वयं को सेवा के लिए अयोग्य सिद्ध किया है उसे उसकी मूल परिवीक्षा अवधि समाप्त होने से काफी पहले उसकी कमियों की जानकारी दे दी जाएगी ताकि वह स्वयं में सुधार करने हेतु गंभीरता से प्रयत्न कर सके।

परिवीक्षा के मामले में, विभागीय प्रोन्नति समिति अधिकारियों की तुलनात्मक आपेक्षिक श्रेणीकरण निश्चित नहीं करेगी परंतु केवल यह ज्ञात करेगी कि क्या परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण कर ली गई है, घोषित कर दी जाए। यदि किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति का निष्पादन संतोषजनक नहीं है, तो विभागीय प्रोन्नति समिति सलाह देगी कि क्या परिवीक्षा अवधि बढ़ा दी जाए अथवा उसे सेवा से मुक्त किया जाए।

21. परिवीक्षाधीन कर्मचारियों का निकाला जाना अथवा पदावनत किया जाना :-

- (1). परिवीक्षाधीन कोई कर्मचारी उसकी प्रथम नियुक्ति पर विनियम 19 में विहित परिवीक्षाधीन अवधि की समाप्ति पर संपुष्टि के संबंध में उसके आचरण अथवा निष्पादन के आधार पर योग्य नहीं माना जाता तो उसे बोर्ड की सेवा से निकाल दिया जाएगा ।
- (2). परिवीक्षाधीन किसी कर्मचारी को जिसका किसी पद पर धारणाधिकार है परन्तु जो प्राधिकारी का समाधान हो जाने तक विनियम 19 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट परिवीक्षा अवधि पूरी नहीं करता, उसे जिस पद पर उसका धारणाधिकार है उस पर पदावनत किया जा सकता है ।
- (3). यदि कोई कर्मचारी परिवीक्षावधि के दौरान निष्पादन अथवा आचरण अथवा विभागीय परीक्षा, यदि कोई विहित हो तो, उत्तीर्ण होने में असफल हो जाने के आधार पर उस पद पर आगे बनाए रखने के लिए अनुपयुक्त समझा जाता है, यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है, किसी भी समय सेवा से हटाया जा सकता है अथवा उस पद पर पदावनत किया जा सकता है जिस पर उसका धारणाधिकार है ।

22. कुछ मामलों में पदोन्नति पूर्णिकरण संबंधी विभागीय परीक्षा :-

अध्यक्ष समय समय पर पदों पर संपुष्टिकरण अथवा पदोन्नति विनिर्दिष्ट करेंगे जो अर्ह विभागीय परीक्षा यदि कोई हो तो उत्तीर्ण करने के अधीन रहेंगी । अध्यक्ष समय समय पर अर्ह विभागीय परीक्षा संबंधी ब्यौरे, यथा परीक्षा आयोजित किए जाने संबंधी प्रक्रिया, परीक्षा का पाठ्यक्रम, परीक्षा आयोजित किए जाने के अन्तर्गत, उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने की अधिकतम अवधि आदि भी विनिर्दिष्ट करेंगे ।

23. विभागीय परीक्षा में असफलता के कारण पदावनति :-

किसी पद पर पदोन्नत कर्मचारी को ऐसी विभागीय परीक्षा, जो अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट की गई हो, उनके द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर उत्तीर्ण करनी होगी और ऐसा न होने पर वह कर्मचारी पदावनत हो जाएगा । उच्चतर पद पर पदोन्नति हेतु परीक्षा उत्तीर्ण करना पूर्ववर्ती शर्त के रूप में विनिर्दिष्ट है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी कर्मचारी जब तक विहित परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता तब तक उसे ऐसे पद पर पदोन्नत किए जाने हेतु विचार नहीं किया जाएगा ।

24. वरिष्ठता सूची :-

प्रत्येक ग्रेड के कर्मचारियों की पारस्परिक वरिष्ठता प्रकट करने वाले अद्यतन पदक्रम सूची रखी जाएगी। इस सूची में प्रत्येक ग्रेड में स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारियों को अलग-अलग दर्शाया जाएगा। यह सूची प्रति वर्ष परिचालित की जाएगी।

25. वरिष्ठता का नियतन :-

(1). किसी ग्रेड पर सीधे भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्तियों और विभागीय पदोन्नति के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता के बीच पारस्परिक वरिष्ठता सीधे भर्ती होनेवाले व्यक्ति और पदोन्नत व्यक्तियों की रिक्तियों के क्रम अनुसार नियत की जाएगी जो अनुसूची में यथा उपदर्शित सीधे भर्ती और पदोन्नति हेतु उस ग्रेड के लिए आरक्षित रिक्तियों के कोटा पर आधारित होगा। विनियम 6 के अनुसार रिक्तियों के विनिमय किये गये मामलों में उस रिक्ति को भरे जाने की रीति के अनुसार वरिष्ठता रहेगी।

(2) सीधे भर्ती हुए व्यक्ति पारस्परिक गुणावगुण के उस क्रम में रखे जायेंगे जिसमें वे उस परीक्षा अथवा साक्षात्कार अथवा दोनों में उनके निष्पादन के आधार पर चयन सूची में रखे गए हैं तथा पहले की चयन सूची के नियुक्त व्यक्ति को बाद वाली चयन सूची के नियुक्त व्यक्ति से वरिष्ठ रखा जाएगा।

(3) रिक्तियों की पदोन्नति कोटा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति परस्पर उस क्रम के अनुसार रखे जायेंगे जिसमें वे विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति हेतु अनुमोदित किए गए हैं।

(4) उपरोक्त उप विनियम (1) से (3) में निहित किसी बात के होते हुए भी इन विनियमों के प्रारंभ होने से पूर्व पहले से ही निर्धारित वरिष्ठता अप्रभावित रहेगी।

26. विभागीय प्रोन्नति समिति :-

(1) प्रत्येक ग्रेड अथवा पद के लिए एक विभागीय प्रोन्नति समिति होगी जो इन विनियमों के अनुसार विभिन्न पदों पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु कर्मचारियों की सूची की सिफारिश करेगी।

(2) विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना वही रहेगी जो विनियम 12 में यथानिर्धारित सेवा चयन समिति की है और उस सूची की मान्यता वही रहेगी जो विनियम 13 में यथाउल्लिखित है।

27. पदोन्नति हेतु चयन क्षेत्र :-

(1) जब निर्धारित भर्ती नियमों के अनुसार संभरक ग्रेड में पदों पर नियुक्त कर्मचारियों में से चयन पद्धति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा ग्रेड का एक अथवा अधिक पद भरा जाना अपेक्षित है तो पात्र पदों पर नियुक्त ऐसे कर्मचारी जिनके पास पदोन्नति से संबंधित विहित अर्हताएँ तथा अनुभव हैं और यदि वे विचार किए जाने के परिक्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं तो उन पर पदोन्नति हेतु विचार किया जाएगा।

(2) चयन पद्धति के माध्यम से पदोन्नति हेतु कर्मचारी की संस्तुति करते समय निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाए :-

(क) विभागीय प्रोन्नति समिति (डीपीसी) विहित निर्देश चिह्न के संदर्भ में पदोन्नति हेतु मूल्यांकित किए जानेवाले व्यक्तियों के गुणागुण निर्धारित करेगी और तदनुसार अधिकारियों को "उपयुक्त" अथवा "अनुपयुक्त" के रूप में क्रमबद्ध करेगी। जिन व्यक्तियों को विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा "उपयुक्त" क्रमबद्ध किया गया है केवल उन्हें ही संभरक पद में परस्पर वरिष्ठता के आधार पर चयनसूची में समाविष्ट तथा क्रमबद्ध किया जाएगा। जिन अधिकारियों को विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा "अनुपयुक्त" के रूप में क्रमबद्ध किया गया है, उन्हें चयनसूची में समाविष्ट नहीं किया जाएगा।

(ख). विभागीय प्रोन्नति समिति उन पात्र कर्मचारियों पर भी विचार करेगी जो अन्यत्र सेवा अथवा अध्ययन अवकाश में है।

(ग). सरकारी कर्मचारियों के संबंध में विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियों में पालन किए जाने हेतु प्रक्रिया के संबंध में सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेश यथोचित परिवर्तन करते हुए लागू होंगे।

टिप्पणी :- ऐसा पद जिसका वेतनमान रु. 16000-400-20800 तथा उससे अधिक है, और जिसके लिए भर्ती की मिश्रित पद्धति अपनाई जाती है उस पर विलयन हेतु सकल श्रेणीकरण का निर्देश चिह्न "बहुत अच्छा" रहेगा। अन्य सभी मामलों में निर्देश चिह्न "अच्छा" रहेगा।

(3). ऐसे अचयन पदों पर पदोन्नति हेतु जिनमें कोई निर्देश चिह्न विनिर्दिष्ट नहीं है, चयन का मापदंड वरिष्ठता सह योग्यता होगा।

28. तदर्थ नियुक्ति :-

जब विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा संस्तुत सूची समाप्त हो जाने के बाद तत्काल आवश्यकता होने की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकारी संभरक ग्रेड अथवा पद के वरिष्ठतम पात्र तथा योग्य कर्मचारी की ऐसी नियुक्ति करते हुए जो एक बार छः माह की अवधि तक और वह एक वर्ष से अधिक न हो अथवा जब तक विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा नई सूची संस्तुत न की जाए, जो भी पहले हो, पूर्णतया तदर्थ नियुक्ति कर सकता है। यह तदर्थ नियुक्ति जहां कहीं अपरिहार्य हो तो वह पूर्णतया भर्ती नियमों में उपबंधित अर्हताओं, अनुभव से युक्त होने के अधीन रहते हुए ही की जाएगी।

29. अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां :-

इन विनियमों में वर्णित किसी भी उपबंध के होते हुए भी अध्यक्ष इन विनियमों में निर्धारित भर्ती संबंधी सामान्य प्रक्रिया अभिमुक्त कर सकते हैं तथा बोर्ड का ऐसा कर्मचारी जिसकी सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो गई है उसके वैध सुपुत्र अथवा सुपुत्री या उसके जीवित पति/पत्नी को श्रेणी-III या श्रेणी-IV पद पर नियुक्ति दे सकते हैं बशर्ते कि इस प्रकार नियुक्त होनेवाले व्यक्ति के पास निर्धारित योग्यता तथा अनुभव हो और अन्यथा उसे उपयुक्त पाया गया हो।

30. निर्वचन :-

इन विनियमों की प्रयुक्ति में समय-समय पर केंद्र सरकार के यथा संशोधित सभी अनुदेशों, जो इन विनियमों के किसी प्रावधानों के प्रतिकूल न हो, तथा केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी ऐसे मामलों से संबंधित अनुदेश, जिन्हें विशेष रूप से व्याख्यायित न किया गया हो, का पालन किया जाएगा।

इन विनियमों के किन्हीं उपबंधों के निर्वचन के बाबत संदेह उत्पन्न हो तो वह मामला अध्यक्ष के पास निर्णय के लिए भेजा जाएगा।

31. निरसन तथा व्यावृत्तियां

इन विनियमों के तत्समान सभी विनियमों, प्रक्रियाओं, पद्धतियों तथा प्रथाओं और इन विनियमों के प्रारंभ होने के पूर्व लागू समस्त विनियम एतद्द्वारा निरसित हो जाएंगे।

परंतु कि इस प्रकार निरसित विनियमों, प्रक्रियाओं, पद्धतियों तथा प्रथाओं के अर्धान जारी कोई आदेश अथवा की गई कार्रवाई इन विनियमों के तत्समान उपबंधों के अधीन जारी आदेश अथवा की गई कार्रवाई के रूप में माना जाएगा।

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आय सीमा (रु. में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	क्या सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों से संबंधित (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएँ (ग) अनुभव प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे	परिवीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-श्रेणियाँ जिनसे ऐस्क किया जाना है।	अभ्युक्तियों	
1	सचिव	1	प्रथम श्रेणी (विभाग प्रमुख)	रु. 20500 -500 - 26500	चयन	45	अनिवार्य: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से डिग्री (ii) किसी औद्योगिक / वाणिज्यिक / सरकारी उपक्रम में सामान्य प्रशासन, कार्मिक, औद्योगिक संबंध आदि के क्षेत्र में प्रशासक संवर्ग में 17 वर्षों का अनुभव. वांछनीय किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री / कार्मिक प्रबंध / औद्योगिक संबंध / सामाजिक कार्य/श्रम कल्याण अथवा सहबद्ध विषयों में डिप्लोमा अथवा विधि में डिग्री.	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	10	11	12	मिश्रित पद्धति के माध्यम से विलयन हेतु किसी महा पदान्त्यास के सामान्य प्रशासन विभाग/मानव संसाधन विकास विभाग में सदस्य पद धारण करनेवाले अधिकारी अथवा प्रवर्ग-II वाले पदों में सचिव का पद धारण करने वाले अधिकारी, जिन्होंने उस श्रेणी में 2 वर्षों की नियमित सेवा की है अथवा ऐसे अधिकारी जिन्होंने रु.17500-22300 के वेतनमान में उस श्रेणी में 4 वर्षों की नियमित सेवा की है अथवा ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में रु.16000-20800 के वेतनमान में 5 वर्षों की नियमित सेवा की है, इसके पात्र होंगे। प्रतिनियुक्ति के मामले में सरकारी /अर्धसरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में सदस्य पद धारण करने वाले अधिकारी अथवा ऐसे अधिकारी, जिन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग / मानव संसाधन विकास विभाग में सचिव तथा समकक्ष पद पर रु.18500-23900 के वेतनमान में उस श्रेणी में 2 वर्षों की नियमित सेवा की है अथवा रु.16000-20800 तथा उससे अधिकतम वेतनमान में हरिष्ठ उप सचिव तथा समकक्ष पद धारण कर रहेवाले अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्षों की नियमित सेवा की है, इसके पात्र होंगे। यह चयन योग्यता के आधार पर है जिसके लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट का समस्त क्रम निर्धारण संबंधी निर्देश चिह्न "बहुत अच्छा" से कम नहीं होगा।	

क्रम सं.	पद का नाम	पद का संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अवकाश पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अतिरिक्त शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	व्या सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों के मामले में (क)आनु (ख) शैक्षिक अर्हताएं (ग)अनुभव प्रोन्नति/विकासन /प्रति-निवृत्ति की स्थिति में लागू होंगे।	पुरवीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (व्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति / विलयन /प्रतिनिवृत्ति द्वारा होगी)	प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनिवृत्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-ओगिणी विनये देखा गया जाना है।	आयुश्रिताली	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	वरिष्ठ उप सचिव	1	प्रथम श्रेणी	रु.16000-400-20800	चयन	42	<p><u>अनिवार्य:</u></p> <p>(1) किसी प्रशासनिक प्रत्यक्ष शिक्षा विद्यालय से डिग्री</p> <p>(ii) किसी औद्योगिक /वाणिज्यिक / सरकारी उपक्रम में सामान्य प्रशासन, कर्मिक, औद्योगिक संबंध आदि के क्षेत्र में प्रशासनिक संवर्ग में 12 वर्षों का अनुभव.</p> <p><u>वाछनीय</u></p> <p>किसी मायता प्राप्त विश्व विद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री/कार्मिक प्रबंध/औद्योगिक संबंध/सामाजिक कार्य/क्रम करण अथवा सहकर्म विषयों में डिप्लोमा अथवा विधि में डिग्री.</p>	नहीं	<p>क) नहीं</p> <p>ख) नहीं</p> <p>ग) नहीं</p>	<p>किसी प्रशासनिक विभाग के प्रमुख के अन्तर्गत से भर्ती करने के लिए प्रस्तावित किया जायेगा।</p> <p>प्रोन्नति/विलयन/प्रतिनिवृत्ति द्वारा भर्ती की जायेगी।</p>	<p>किसी प्रशासनिक विभाग के प्रमुख के अन्तर्गत से भर्ती करने के लिए प्रस्तावित किया जायेगा।</p> <p>प्रोन्नति/विलयन/प्रतिनिवृत्ति द्वारा भर्ती की जायेगी।</p>	<p>किसी प्रशासनिक विभाग के प्रमुख के अन्तर्गत से भर्ती करने के लिए प्रस्तावित किया जायेगा।</p> <p>प्रोन्नति/विलयन/प्रतिनिवृत्ति द्वारा भर्ती की जायेगी।</p>

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अवयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	क्या सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों के मामले में (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएँ (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन/प्रतिनियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परिवेक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति/ विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-श्रेणियाँ जिनसे ऐसा किया जाना है।	अभ्युक्तिर्था
1		3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	उप सचिव	1	प्रथम श्रेणी	रु. 13000 -350 - 18250	चयन	40	अनिवार्य: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से डिग्री (ii) किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में सामान्य प्रशासन, कार्मिक, औद्योगिक संबंध आदि के क्षेत्र में प्रशासक संवर्ग में 9 वर्षों का अनुभव. वांछनीय किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री/कार्मिक प्रबंध/औद्योगिक संबंध/सामाजिक कार्य/श्रम कल्याण अथवा सहायक विषयों में डिप्लोमा अथवा विधि में डिग्री.	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	दो	प्रोन्नति द्वारा, देखा न हो पाने पर विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, इन दोनों के न हो पाने पर सीधी भर्ती द्वारा।	सामान्य प्रशासन विभाग की संबंधित शाखा में रु. 10750-16750 के वेतनमान में वरिष्ठ सहायक सचिव पद से प्रोन्नति द्वारा, जिसने उस श्रेणी में 4 वर्षों की सेवा की है। ऐसा न होने पर ऐसे वरिष्ठ सहायक सचिव (यथा जनसंपर्क अधिकारी/वरिष्ठ/वरिष्ठ सहायक संपदा प्रबंधक/वरिष्ठ विधि अधिकारी/उप कार्मिक अधिकारी/वरिष्ठ कल्याण अधिकारी) द्वारा जिन्होंने उस श्रेणी में 2 वर्षों की सेवा की हो और रु. 10750-16750 तथा रु. 9100-15100 के वेतनमान में 9 वर्षों की संयुक्त सेवा की हो की प्रोन्नति द्वारा। महा पतन न्यास में सदृश पद धारण करने वाले अधिकारियों अथवा ऐसे अधिकारी जिन्होंने रु. 10750-16750 के वेतनमान में वरिष्ठ सहायक सचिव के पद पर उस श्रेणी में 4 वर्षों की सेवा की हो के विलयन अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा।	

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अपचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	क्या सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों के नामले (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएँ (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन /प्रतिनियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की प्रकृति (क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति / विलयन /प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	12	अभ्युक्तियाँ
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	उप संपद प्रबंधक	1	प्रथम श्रेणी	रु.13000-350-18250	चयन	40	<p>अनिवार्य:</p> <p>i. किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय / संस्थान से अनुस्नातक डिग्री के साथ भवन निर्माण कला, नगर तथा शहर आयोजन में डिग्री / डिप्लोमा अथवा सिविल अभियंताई में डिग्री अथवा सर्वेक्षण संस्थान (भारत) की कॉर्पोरेट सदस्यता.</p> <p>ii. किसी औद्योगिक /वाणिज्यिक / सरकारी उपक्रम में संपद प्रबंधन, मूल्यांकन या भूमि अभियंताई में कार्यपालक प्रवर्ग में 11 वर्ष का अनुभव हो।</p> <p>वांछनीय:</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय से विधि में डिग्री</p>	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	2	प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न हो पाने पर विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा, इन दोनों के न हो पाने पर सीधी भर्ती द्वारा।	संपद प्रभाग से संबंधित शाखा के ऐसे वरिष्ठ सहायक संपद प्रबंधक की, जिसने रु.10750-16750 के वेतनमान में उस श्रेणी में 4 वर्षों की लगातार सेवा की है, प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न हो पाने पर ऐसे वरिष्ठ सहायक संपद प्रबंधक जिन्होंने रु.10750-16750 के वेतनमान में उस श्रेणी में 2 वर्षों की सेवा की है और रु.10750-16750 तथा रु.9100-15100 वेतनमान में उस श्रेणी में 9 वर्षों की संयुक्त सेवा की हो, की प्रोन्नति द्वारा। मूल पदान न्याय से संपद प्रभाग से संबंधित शाखा के सदृश पद धारण करने वाले अधिकारियों अथवा वरिष्ठ संपद प्रबंधक अथवा समतुल्य पद, जिन्होंने रु.10750-16750 के वेतनमान में उस श्रेणी में 4 वर्षों की सेवा की हो, से विलयन / प्रतिनियुक्ति हो सकती है।	

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अपचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विशिष्ट शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	सीधी भर्ती के लिए जानेवाले उम्मीदवारों के मामले में (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएं (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन /प्रति-नियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परिष्कार की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (यथा सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति/ विलयन /प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-अधिकारियों को देखा गया है।	अभ्युक्तियों
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	कार्मिक अधिकारी	1	प्रथम श्रेणी	रु. 13000 - 350 - 18250	चयन	40	अनिवार्य: (I) किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय/संस्थान से डिग्री (II) किसी औद्योगिक /वाणिज्य / सरकारी उपक्रम में साप्ताह्य प्रशासन, कार्मिक, औद्योगिक संबंध आदि के क्षेत्र में प्रशासनिक सेवर्ग में 9 वर्षों का अनुभव. आवश्यक किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय/संस्थान से कार्मिक प्रबंध/औद्योगिक संबंध/सामाजिक कार्य/ग्राम कल्याण अथवा सहायक विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री/ डिप्लोमा अथवा विधि में डिग्री.	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	2	प्रोन्नति द्वारा, देखा न हो जाने पर विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा, इन दोनों के न हो जाने पर सीधी भर्ती द्वारा।	पर्यंत तथा आई आर प्रभाग से संबंधित शाखा के ऐसे उप कार्मिक अधिकारी/ वरिष्ठ ग्राम अधिकारी जिन्होंने रु. 10750-16750 के वेतनमान में उस श्रेणी में 4 वर्षों की सेवा की होने पर प्रोन्नति और सेवा न हो जाने पर ऐसे उप कार्मिक अधिकारी/ वरिष्ठ ग्राम अधिकारी की जिन्होंने उस श्रेणी में 2 वर्षों की सेवा की है, रु. 10750-16750 तथा रु. 9100-15100 के वेतनमान में 9 वर्षों की संतुलित सेवा की हो, प्रोन्नति होगी। अथ पतन संकल्प में पर्यंत तथा आई आर प्रभाग से संबंधित शाखा में उप कार्मिक अधिकारी/ वरिष्ठ ग्राम अधिकारी के सदृश पद धारण करने वाले अधिकारियों अथवा समतुल्य पद धारण करने वाले अधिकारियों, जिन्होंने रु. 10750-16750 के वेतनमान में उस श्रेणी में 4 वर्षों की सेवा की हो, से विलयन / प्रतिनियुक्ति हो सकती है।	13

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अवयन पद	सोयी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सोयी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	सोयी भर्ती वाले उम्मीदवारों के माफ़से (क) आयु (ख) शैक्षिक अर्हताएं (ग) अनुभव प्रोन्नति/विकास /प्रति-निवृत्ति से स्थिति में लगू होंगे।	परिीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (सुवा सीधी भर्ती होंगे अथवा प्रोन्नति/विकास /प्रतिनिवृत्ति द्वारा होंगे)	12	13
1												
6	अध्यक्ष के ऑरिण्ट निजी सचिव	1	प्रथम ग्रेपी	रु. 13000 - 350 - 18250	चयन	40	<p>अनिवार्य:</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से डिग्री</p> <p>(ii) आयुलिपि एवं टंकमासिक में कमरा : 120/40 शब्द प्रतिमिण्ट की गति से खता</p> <p>iii. कम्प्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान</p> <p>iv. किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में आयुलिपिक/निजी सहायक के रूप में 12 वर्ष का अनुभव</p>	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	2	प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न हो पाने पर विकास/प्रतिनिवृत्ति द्वारा, न सनेने के न हो पाने पर सीधी भर्ती द्वारा।	रु. 10750-16750 के वेतनमान में अध्यक्ष के निजी सचिव के पद पर उस ग्रेपी में 4 वर्षों की सेवा होने पर प्रोन्नति इसके न हो पाने पर अध्यक्ष के निजी सचिव के रूप में रु. 10750-16750 के वेतनमान में 2 वर्ष की सेवा तथा रु. 10750-16750 और रु. 9100-15100 के वेतनमान में 9 वर्ष की संकुलता सेवा की हो, के द्वारा प्रोन्नति। निजी महा पान न्कार के उपरा प्च कार्य करने वाले अधिकारियों अथवा ऐसे अधिकारी जो निजी सचिव/ऑरिण्ट निजी सचिव के पद पर उस ग्रेपी में रु. 10750-16750 के वेतनमान में 4 वर्षों की निवृत्ति सेवा की है, में से प्रतिनिवृत्ति/विकास से प्रोन्नति है।	

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आय सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	क्या सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों के मामले में (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएँ (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन /प्रतिनियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परिबीजा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति/ विलयन /प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-श्रेणियाँ किनसे ऐसा किया जाना है।	अभ्युक्तिताओं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	वरिष्ठ सहायक सचिव	1	प्रथम श्रेणी	रु. 10750 -300 - 15750	चयन	35	<p><u>अनिवार्य:</u></p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से डिग्री</p> <p>(ii) किसी औद्योगिक / वाणिज्य / सरकारी उपक्रम में सामान्य प्रशासन, कार्मिक, औद्योगिक संबंध आदि के क्षेत्र में प्रशासक संवर्ग में 5 वर्षों का अनुभव.</p> <p>वाछिणीय</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्व विद्यालय / संस्थान से कार्मिक संबंध / औद्योगिक संबंध / सामाजिक कार्य / श्रम कल्याण अथवा सहबद्ध विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री / डिप्लोमा अथवा विधि में डिग्री.</p>	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	2	प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न हो पाने पर विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा, इन दोनों के न हो पाने पर सीधी भर्ती द्वारा।	सामान्य प्रशासन विभाग की संबंधित शाखा में ऐसे सचिव ग्रेड-I से प्रोन्नति जिन्होंने उस श्रेणी में रु. 9100-15000 के वेतनमान में 5 वर्षों की सेवा की है और ऐसा न हो पाने पर ऐसे सहायक सचिव ग्रेड-I जिन्होंने उस श्रेणी में रु. 9100-15100 के वेतनमान में 2 वर्षों की सेवा की है और रु. 9100-15100 तथा रु. 8600-14600 के वेतनमान में 8 वर्षों की संयुक्त सेवा की हो, से प्रोन्नति द्वारा। महा पत्तन न्यास में सहायक सचिव (ग्रेड-I) के पद धारण करने वाले अधिकारी जिन्होंने रु. 9100-15100 के वेतनमान में उस श्रेणी में 5 वर्षों की सेवा की हो, से विलयन / प्रतिनियुक्ति हो सकती है।	

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	क्या सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों के मामले में (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएँ (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन/प्रति-नियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परिीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति/ विलयन /प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	प्रोन्नति/ विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-श्रेणियाँ किन्से ऐसा किया जाना है।	आयुवितर्ष	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	वरिष्ठ सहायक संपदा प्रबंधक	1	प्रथम श्रेणी	रु. 10750 -300 - 16750	चयन	35	अतिवर्षा: i. किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय / संस्थान से अनुद्घातक डिग्री के साथ भवन निर्माण कला नगर तथा शहर आयोजन में डिग्री / डिप्लोमा अथवा सिविल अभियंत्रिकी में डिग्री अथवा सर्वेक्षण संस्थान (भारत) की कॉर्पोरेट सहायता ii) किसी औद्योगिक /वाणिज्यिक / सरकारी उपक्रम में संपदा प्रबंधन, मूल्यांकन या भूमि अभिलेखों में कार्यपालक प्रवर्ग में 7 वर्ष का अनुभव <u>शांखीय</u> 1) किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से विधि में डिग्री	(क) नहीं (ख) नहीं (ग) नहीं	2	प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न हो पाने पर विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा, इन दोनों के न हो पाने पर सीधी भर्ती द्वारा।	संपदा प्रभाग से संबंधित शाखा के ऐसे सहायक संपदा प्रबंधक ग्रेड-1 /सहायक संपदा प्रबंधक की, जिसने रु.9100-15100 के वेतनमान में उस श्रेणी में 5 वर्षों की सेवा की है, प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न हो पाने पर ऐसे सहायक संपदा प्रबंधक ग्रेड-1 जिसने रु.9100-15100 के वेतनमान में उस श्रेणी में 2 वर्ष की सेवा की है और रु.9100-15100 तथा रु.8600-14600 के वेतनमान में उस श्रेणी में 8 वर्षों की संकुल सेवा की हो, की प्रोन्नति द्वारा। किसी महा पत्तन न्यास में संपदा प्रभाग से संबंधित शाखा के सहायक संपदा प्रबंधक, ग्रेड-1 के संपदा पद धारण करने वाले अधिकारी अथवा समतुल्य पद धारण करने वाले अधिकारी, जिसने रु.9100-15100 के वेतनमान में उस श्रेणी में 5 वर्षों की सेवा की हो, से विलयन / प्रतिनियुक्ति हो सकती है।		

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	पद या अपरान पद	सही पदों वाले उम्मीदवारों के लिए शिष्टा शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	सब सीधी पदों के लिए उम्मीदवारों के अयोग्यताएं	परीक्षा की अवधि (वर्षों में)	पदों की पर्याप्तता (एक सीधी पदों से भी अपरान प्रोन्सी / विलयन / प्रतिनिधित्व द्वारा होगी)	12	अनुभूतियाँ
1											
9	उप सहायक अधिकारी	1	प्रथम श्रेणी	रु. 10750 - 300 - 16750	पद	<p>अभ्यर्था:</p> <p>(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय / संस्थान से डिग्री</p> <p>(2) किसी औद्योगिक / कार्मिक बरतारी उत्तम में सामान्य प्रशासन, कार्मिक, औद्योगिक संघ के क्षेत्र में कार्यरत लोगों में 5 वर्षों का अनुभव।</p> <p>योग्यताएं</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय / संस्थान से कार्मिक प्रबंधन / औद्योगिक संघ / कार्मिक कार्य/ग्राम संस्था अथवा समकक्ष विद्यालय में स्नातकोत्तर डिग्री / डिप्लोमा अथवा शिक्षा में डिग्री।</p>	(क) नहीं (ख) हां (ग) नहीं	2	<p>प्रोन्सी द्वारा, देखा न हो जाने पर विलयन / प्रतिनिधित्व द्वारा, इन दोनों के न हो जाने पर सीधी पदों द्वारा।</p>	<p>कार्मिक तथा औद्योगिक संघ प्रभाग की संबंधित शाखा के ऐसे सहायक कार्मिक अधिकारी ग्रेड-1/वन संघ के अधिकारी/सहायक कार्मिक/ग्राम अधिकारी/विद्युत उद्योग में रु. 9100-15100 के वेतनमान में 5 वर्षों सेवा की है, जो प्रोन्सी द्वारा, देखा न हो जाने पर ऐसे सहायक कार्मिक अधिकारी ग्रेड -1 विद्युत उद्योग में, रु. 9100-15100 के वेतनमान में 2 वर्षों की सेवा की है और रु. 9100-15100 के वेतनमान में 8 वर्षों की संकुल सेवा की है, जो प्रोन्सी द्वारा। यह पद न्यूनतम में सहायक कार्मिक पद धारण करने वाले अधिकारी से अथवा कार्मिक तथा औद्योगिक संघ प्रभाग की संबंधित शाखा में सहायक कार्मिक अधिकारी ग्रेड-1 का पद अथवा समकक्ष पद धारण करने वाले अधिकारी विद्युत उद्योग में रु. 9100 -15100 के वेतनमान में 5 वर्षों की सेवा की है, जो विलयन / प्रतिनिधित्व से सकती है।</p>	13

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए शिष्ट शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	व्या सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों के मामले में (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएं (ग) अनुभव प्रोन्नति / विलयन / प्रति-नियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परिवेश की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (व्या सीधी भर्ती होंगे अथवा प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा होंगी)	12	13
10	अध्यक्ष के निजी सचिव	1	प्रथम श्रेणी	रु. 10750 - 300 - 16750	चयन	35	अनुभव: (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से स्नातक डिग्री (2) आशुलिपि एवं टंकणकला में क्रमशः 120/40 शब्द प्रति मिनट की गति से रचना. (3) कम्प्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान. (4) किसी औद्योगिक/ वाणिज्यिक/ सरकारी उपक्रम में आशुलिपिक/निजी सहायक के रूप में 8 वर्ष का अनुभव.	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	2	प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न हो पाने पर विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा, इन दोनों के न हो पाने पर सीधी भर्ती द्वारा।	उपाध्यक्ष के निजी सचिव, जिन्होंने रु. 9100-15100 के वेतनमान में से 5 वर्षों की सेवा की है, की प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न हो पाने पर उपाध्यक्ष के ऐसे निजी सचिव, जिन्होंने रु. 9100-15100 के वेतनमान में 2 वर्षों की सेवा की है और रु. 9100-15100 तथा रु. 8600-14600 के वेतनमानों में 8 वर्षों की संयुक्त सेवा की है, की पदेनिति द्वारा। महसूस पत्तन न्यास में सदस्य पद अथवा सभारक पद धारण करने वाले ऐसे अधिकारी, जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्षों की सेवा की है, के विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा।	

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	क्या सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों में (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएँ (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन/प्रतिनियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परिवीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति/ विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	12	अभ्युक्तिता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	सहायक सचिव ग्रेड-1	1	प्रथम श्रेणी	रु. 9100 -250 -15100	चयन	30	अनिवार्य: किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से डिग्री वांछनीय (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कार्मिक प्रबंध/औद्योगिक संबंध / सामाजिक कार्य / ग्राम कल्याण अथवा सहायक विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा अथवा विधि में डिग्री। (2) किसी औद्योगिक/वणिज्यिक/ सरकारी उपक्रम में सामान्य प्रशासन, कार्मिक, औद्योगिक संबंध आदि के क्षेत्र में कार्यपालक संवर्ग में 2 वर्षों का अनुभव।	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	2	31 दिसं. 06 तक सीधी भर्ती द्वारा 33. 1/3% प्रोन्नति द्वारा 66. 2/3% 31 दिसं. 06 के परंपरागत सीधी भर्ती द्वारा 66. 2/3% प्रोन्नति द्वारा 33. 1/3%	सामान्य प्रशासन विभाग की संबंधित शाखा के ऐसे कर्चालय अधिकृत, जिन्होंने उस श्रेणी में रु. 6170-11975 के वेतनमान में 5 वर्षों की सेवा की है, की प्रोन्नति द्वारा।	

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अल्प योग्यताएं	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों के मामले में (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएं (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन/प्रति-नियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परिवर्द्धा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति/ विलयन /प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-श्रेणियाँ जिनसे ऐसा किया जाना है।	अभ्युक्तिता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
12	विधि अधिकारी ग्रेड-1	1	प्रथम श्रेणी	रु.9100 -250 - 15100	चयन	40	अनिवार्य: किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से विधि में डिग्री हो चाँछनीय: 1.कम-से-कम लगातार 7 वर्षों तक प्रैक्टिस कर्ता अधिकता रखे अथवा (i)विधि में स्नातक हो तथा अधिकता के रूप में नामित होने का पात्र रहें। (ii)किसी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम/स्वायत्त शासी निकाय के विधि प्रभाग में कम-से-कम तीन वर्षों तक कार्य किया हो।	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	2	31.त्सं.06 तक सीधी भर्ती द्वारा 33. 1/3% पदोन्नति द्वारा 66. 2/3% 21.त्सं.06 के परचालन सीधी भर्ती द्वारा 66. 2/3% पदोन्नति द्वारा 33. 1/3%	ऐसे विधि सहायक, जिन्होंने उस श्रेणी में रु. 6170-11975 के वेतनमान में 5 वर्षों की सेवा की है, की प्रोन्नति द्वारा।		

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों में (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएं (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन प्रतिनियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परिक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति/विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	प्रोन्नति/विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में ये पद-श्रेणियाँ जिनसे ऐसा किया जाना है।	अनुवर्तियों
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
13	सहायक संपन्न प्रबंधक ग्रेड-1	1	प्रथम श्रेणी	रु. 9100-250-15100	चयन	30	अनिवार्य: किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय/संस्थान से डिग्री के साथ-साथ कम्प्यूटर/नगर तथा देशीय योजना में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा अथवा विश्वविद्यालय अभियांत्रिकी में डिग्री अथवा सर्वोच्च संस्थान (भारत) में नैगम सदस्यता। <u>वांछनीय</u> (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री। (2) किसी औद्योगिक/वाणिज्य/सारकारी उपक्रम में संपन्न प्रबंधन/सूच्यकन अथवा प्रगति अभिलेखों के क्षेत्र में कार्यपालक की हैसियत से 2 वर्षों का अनुभव।	(क) नहीं (ख) नहीं, किन्तु किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय/संस्थान से डिप्लोमा आवश्यक है। (ग) नहीं	2	31 दिसंबर 2008 तक सीधी भर्ती द्वारा - 33.1/3% प्रोन्नति द्वारा - 66.2/3% 21 दिसंबर 2008 के बाद के जूट सीधी भर्ती द्वारा - 66.2/3% प्रोन्नति द्वारा - 33.1/3%	ऐसे सहायक संपन्न प्रबंधक ग्रेड-II शिन्धेने उस श्रेणी में रु. 8600-14600 के वेतनमान में 3 वर्षों की सेवा की है, की प्रोन्नति द्वारा		

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अपचयन पद	संबंधी पदों वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकारिता	संबंधी पदों वाले उम्मीदवारों के लिए अयोग्यताएं	परीक्षा की अवधि (वर्षों में)	पदों की पद्धति (यदि संबंधी पदों द्वारा प्रेषित अथवा प्रेषित/विलयन/प्रतिनिधित्व द्वारा होगी)	प्रो-विता/विलयन/प्रतिनिधित्व द्वारा पदों की स्थिति में वे पद-अधिकारियों को देना किया जाना है।	आयु-सीमा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	उपायुक्त के निजी सचिव	1	प्रथम श्रेणी	रु. 9100 - 250 - 15100	चयन	30 वर्ष	अभिज्ञान: (1) मास्टर द्वारा दिए विद्यमान से हित। (2) आयु-सीमा एवं उच्चतम आयु : 120/40 साल। प्रतिबन्ध की गति से चयन। (3) ब्यान्डर अनुप्रयोग का हान। (4) निजी औद्योगिक/व्यक्तिगत/सर्वकारी उद्योग में आयु-सीमा/निजी सचिव के रूप में 5 वर्ष का अनुभव।	(क) नहीं (ख) नहीं (ग) नहीं	2	प्रो-विता द्वारा देखा न हो जाने पर विलयन/प्रतिनिधित्व द्वारा देखा के न हो जाने पर संबंधी पदों द्वारा।	विभागा प्रमुख के ऐसे निजी सचिव/उपायुक्त के निजी सचिव नियुक्ति रु. 8600-14600 के वेतनमान में उस श्रेणी में 3 वर्षों की सेवा हो है, की प्रो-विता द्वारा। महा पालन न्याय में सहाय पद अथवा संयोजक पद धारण करने वाले अधिकारी, नियुक्ति उस श्रेणी में 3 वर्षों की सेवा हो है, की विलयन प्रतिनिधित्व द्वारा।	

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	क्या सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों के मामले में (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएँ (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन /प्रति-निवृत्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परिवर्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति / विलयन / प्रति-निवृत्ति द्वारा होगी)	12	अभ्युक्तिता	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	हिन्दी अधिकारी	1	प्रथम श्रेणी	9100-250-15600	चयन	40	अनिवार्य : (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में अंग्रेजी विषय सहित हिन्दी में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में हिन्दी सहित अंग्रेजी में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी विषय सहित अन्य किसी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में अंग्रेजी सहित हिन्दी माध्यम से अन्य किसी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री। (ख) अनुभव : हिन्दी में पारिभाषिक शब्दावली कार्य का पांच वर्षों का अनुभव और अथवा अंग्रेजी से हिन्दी अथवा प्रतिलोमतः अनुवाद कार्य खासकर तकनीकी अथवा वैज्ञानिक अनुवाद कार्य को वरीयता दी जाएगी अथवा गृह मंत्रालय, भारत सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना, हिन्दी में अनुसंधान, प्रकाशिता का पांच वर्षों का अनुभव। (ग) बाह्यीय : हिन्दी कक्षाएँ अथवा टिप्पण तथा आलेखन की कार्यशालाएँ आयोजित करने अथवा हिन्दी में प्रकाशिता का अनुभव।	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं			31/12/2006 तक सीधी भर्ती द्वारा - 33.1/3% प्रोन्नति द्वारा - 66.2/3% 31/12/2006 के बाद सीधी भर्ती द्वारा - 66.2/3% प्रोन्नति द्वारा - 33.1/3%	देसे वरिष्ठ हिन्दी अनुवाक, जिन्होंने रु. 6170-11975 के वेतनमान में पाँच वर्षों की सेवा की है, की प्रोन्नति द्वारा।	

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अन्य योग्यताएँ	क्या सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों में से (क)आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएँ (ग)अनुभव प्रोन्नति/विलयन/प्रति-नियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परिक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति/विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	प्रोन्नति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-श्रेणियाँ जिनसे ऐसा किया जाना है।	अयुक्तियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	व्यापार सँकष्टन तथा जन संपर्क अधिकारी	1	प्रथम श्रेणी	रु.9100 -250 - 15100	प्रश्न ही नहीं होता	35	अनिवार्य : (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो और पत्रकारिता/जन संपर्क/विज्ञापन/जन संपर्क संचार में मान्यता प्राप्त डिग्री अथवा डिप्लोमा हो।(ख) अंग्रेजी, गुजराती और हिन्दी का अच्छा ज्ञान हो तथा प्रचार सामग्री के लिए इन भाषाओं में प्रेस टिप्पणियाँ, लिफ्ट लिख सकता हो। वांछनीय : (1)किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से व्यापार प्रशासन/ जनप्रशासन में स्नातकोत्तर योग्यता(ii) वाणिज्यिक कला में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा। अनुभव : अनिवार्य : जन संपर्क और /अथवा पत्रकारिता अथवा व्यापार तथा उद्योग से संपर्क कार्य का काम-से-काम तीन वर्षों तक कार्य का अनुभव हो। वांछनीय : पोर्ट तथा रेलवे की कार्य प्रणाली से परिचित हो।	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	ये	31.12.2006 तक सीधी भर्ती द्वारा - 33.1/3% प्रोन्नति द्वारा - 66.2/3 % 31.12.2006 के बाद सीधी भर्ती द्वारा - 66.2/3% प्रोन्नति द्वारा - 33.1/3 %	ऐसे जन संपर्क सहायक, जिन्हें उस श्रेणी में रु. 6170-11975 के वेतनमान में पाँच वर्षों का अनुभव हो, की प्रोन्नति द्वारा।	

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन वा अपचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	क्या सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों के मामले में (क) आयु शैक्षणिक (ख) अर्हताएँ (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन /प्रतिनिधुनित की स्थिति में लागू होंगे।	परिक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति / विलयन /प्रतिनिधुनित द्वारा होगी)	प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनिधुनित द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-श्रेणियों विनये ऐसा किया जाना है।	आयुनिर्धारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	वित्त सहायक तथा मुख्य लेखा अधिकारी	1	प्रथम श्रेणी (विभागा प्रमुख)	रु. 20500-250-26500	चयन	45	अतिरिक्त: (I) भारतीय सन्दी लेखाकार संस्थान वा भारतीय सहाय तथा सहाय-लेखाकार संस्थान के सदस्य। (II) निम्नी औद्योगिक / कृषि/विक्रम /सहायरी उपक्रम में वित्त लेखा कार्य के क्षेत्र में कार्यपालक प्रवर्ग में सत्रह वर्षों का अनुभव।	(क) नहीं है (ख) नहीं (ग) नहीं	लागू नहीं	मिश्रित पद्धति के माध्यम से विलयन द्वारा ऐसा न होने पर प्रतिनिधुनित द्वारा, इन दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	मिश्रित पद्धति के माध्यम से विलयन हेतु निम्नी भक्त पत्तन न्यास के वित्त विभाग में सहाय पद धारण करने वाले अधिकारी अथवा प्रवर्ग-II वाले पदों में वित्त सहायकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी पद धारण करनेवाले ऐसे अधिकारी विनये उस श्रेणी में 2 वर्षों की निवृत्ति सेवा की है अथवा रु. 17500-22300 के वेतनमान में पद धारण करनेवाले ऐसे अधिकारी, विनये उस श्रेणी में 4 वर्षों की निवृत्ति सेवा की है अथवा ऐसे अधिकारी, विनये उस श्रेणी में रु. 16000-20800 के वेतनमान में 5 वर्षों की निवृत्ति सेवा की है, इसके पत्र होंगे। प्रतिनिधुनित के मामले में सहायरी /अर्ब सहायरी / सार्वजनिक उपक्रमों अथवा स्वायत्तशासी निकायों में सहाय पद धारण करने वाले अधिकारी अथवा वित्त विभाग में वित्त सहायकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी अथवा सहायकार एवं मुख्य लेखा वाले ऐसे अधिकारी, विनये रु. 18500-23900 के वेतनमान में उस श्रेणी में 2 वर्षों की निवृत्ति सेवा की है अथवा वित्त विभाग के ऐसे करीब उम्र वित्त सहायकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी अथवा सहायकार पद धारण करनेवाले अधिकारी, विनये रु. 16000-20800 के वेतनमान में उस श्रेणी में 5 वर्षों की निवृत्ति सेवा की है, इसके पत्र होंगे। या चयन योग्यता के आधार पर है, इसके लिए वार्षिक गैर-वित्त रिपोर्ट में समस्त काम-निर्धारण संबंधी विवरण - निम्न "खुद" अथवा "से काम नहीं होंगे।	13

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों के मामले में (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएँ (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन /प्रतिनियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परिचीका की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति / विलयन /प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-श्रेणियाँ किन्से रखा किया जाना है।	अध्युक्तियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	वरिष्ठ उप मुख्य लेखा अधिकारी	1	प्रथम श्रेणी	रु.16000-400-20800	चयन	42	अनिवार्य : (i) भारतीय सनदी लेखाकार के संस्थान या भारतीय लागत तथा संकर्म-लेखाकार के संस्थान के सदस्य। (ii) किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में वित्त लेखा कार्य के क्षेत्र में कार्यपालक प्रवर्ग में 12 वर्ष का अनुभव।	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	लागू नहीं	प्रिप्रित पद्धति के माध्यम से विलयन द्वारा ऐसा न हो पाने पर अन्य सरकारी संगठनों से प्रतिनियुक्ति द्वारा, न चने के न हो पाने पर सीधी भर्ती द्वारा.	प्रिप्रित पद्धति के माध्यम से विलयन हेतु किसी महा पत्तन न्यास के वित्त विभाग की संबधित शाखा में सदस्य पद धारण करने वाले अधिकारी अथवा उप मुख्य लेखा अधिकारी अथवा समकक्ष पद धारण करनेवाले अधिकारी, जिन्होंने रु.13000-18250 के वेतनमान में उस श्रेणी में रु.13000-18250 में 3 वर्षों की सेवा की है अथवा किसी महा पत्तन न्यास के वित्त विभाग की संबधित शाखा में उप मुख्य लेखा अधिकारी अथवा समकक्ष पद धारण करने वाले ऐसे अधिकारी, जिन्होंने उस श्रेणी में 2 वर्षों की सेवा की है तथा रु.10750-16750 तथा रु.13000-18250 के वेतनमान में 7 वर्षों की संयुक्त सेवा की है, इसके पात्र होंगे। प्रतिनियुक्ति के मामले में सरकारी /अर्ध सरकारी / सार्वजनिक उपक्रमों अथवा स्वायत्तशासी निकायों में सदस्य पद धारण करने वाले अधिकारी अथवा वित्त विभाग की संबधित शाखा में उप मुख्य लेखा अधिकारी अथवा समकक्ष पद धारण करने वाले अधिकारी, जिन्होंने रु.13000-18250 के वेतनमान में उस श्रेणी में 3 वर्षों की नियमित सेवा की है, इसके पात्र होंगे। यह ध्यान योग्यता के आधार पर होता है, जिसके लिए वार्षिक शैक्षणिक रिपोर्ट में समस्त क्रम-निर्धारण संबंधी निर्देश विवरण "कुतु अच्छा" से कम नहीं होंगे।	

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अधयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	क्या सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों में मामले (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएँ (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन /प्रतिनियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परिवेष्टा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-श्रेणियाँ किनसे रेखा किये जाना है।	अभ्युक्तिता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	उप मुख्य सेवा अधिकारी	1	प्रथम श्रेणी	रु. 13000 - 350 - 18250	चयन	40	अनिवार्य : (i) भारतीय चाटर्ड एकाउंटेंट संस्थान अथवा भारतीय लागत तथा सर्वम लेखाकार संस्थान का सदस्य। (ii) किसी औद्योगिक/ वाणिज्यिक/ सरकारी उपक्रम में वित्त लेखा कार्य के क्षेत्र में कार्यपालक प्रवर्ग में नौ वर्षों का अनुभव।	(क) नहीं (ख) नहीं, किन्तु किसी मान्यता प्राप्त विद्याविद्यालय की डिग्री आवश्यक है। (ग) नहीं	2	प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न हो पाने पर विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा, इन दोनों के न हो पाने पर सीधी भर्ती द्वारा।	वित्त विभाग की संबंधित शाखा में रु. 10750 - 16750 के वेतनमान में उस श्रेणी में 4 वर्षों की विवर्धित सेवा करेवाले वरिष्ठ लेखा अधिकारी की पदोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर रु. 10750-16750 के वेतनमान में उस श्रेणी में 2 वर्षों की सेवा और रु. 10750 - 16750 तथा रु. 9100-15100 के वेतनमान में 9 वर्षों की संयुक्त सेवा करने वाले वरिष्ठ लेखा अधिकारी की पदोन्नति द्वारा। महा पत्तन न्यास के ऐसे अधिकारी जो उसी ग्रेड में सरुदा पदे पर है अथवा ऐसे वरिष्ठ लेखा अधिकारी जो उस पद पर, रु. 10750-16750 के वेतनमान में उसी श्रेणी में 4 वर्षों की सेवा की है, से विलयन / प्रतिनियुक्ति हो सकती है।	

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	क्या सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों के मामले में (क) आयु (ख) शैक्षणिक आर्हताएँ (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन / प्रतिनियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परिबीबी की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति/विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	12	अनुभूतिकर्ता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	वरिष्ठ उप निदेशक (इडीपी)	1	प्रथम श्रेणी	रु. 13000 - 350 - 18250	चयन	40	<p>अर्हताएँ:</p> <p>(I) किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय/संस्थान से कम्प्यूटर अभियांत्रिकी / कम्प्यूटर विज्ञान में डिग्री अथवा किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय/संस्थान से कम्प्यूटर अनुप्रयोग / कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा सहित गणित/सांख्यिकी/प्रणालन अनुसंधान/अर्थशास्त्र में डिग्री अथवा किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय/संस्थान से कम्प्यूटर अनुप्रयोग/कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा सहित अभियांत्रिकी में डिग्री।</p> <p>(II) प्रोग्रामिंग/ इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग/विद्युत विज्ञान एवं इन्फॉर्मेशन तथा संबंधित क्षेत्रों में नौ वर्षों का अनुभव।</p> <p>शुल्कीय:</p> <p>(1) प्रभारों अथवा प्रभारों सूचना अथवा एम्बार्सेस अथवा सूचना प्रौद्योगिकी तथा संबन्धित विषयों में विशेषज्ञता सहित किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय/संस्थान से गणित / सांख्यिकी / प्रणालन अनुसंधान / अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा कम्प्यूटर विज्ञान अथवा कम्प्यूटर अभियांत्रिकी अथवा प्रभारों सूचना प्रणाली अथवा एम्बार्सेस अथवा सूचना प्रौद्योगिकी अथवा कम्प्यूटर अनुप्रयोग अथवा व्यापार प्रशासन (स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा) में स्नातकोत्तर डिग्री।</p>	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	2	प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न हो पाने पर विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो पाने पर सीधी भर्ती द्वारा।	<p>पी. एंड. आर. प्रभाग की संबंधित शाखा के ऐसे उप निदेशक (इडीपी), जिन्होंने रु. 10750-16750 के वेतनमान में उस श्रेणी में 4 वर्षों की सेवा की है, की प्रोन्नति द्वारा और ऐसा न हो पाने पर ऐसे उप निदेशक (इडीपी) जिन्होंने रु. 10750-16750 के वेतनमान में उस श्रेणी में 2 वर्षों की सेवा की है तथा जिन्होंने रु. 10750-16750 तथा रु. 9100-15100 के वेतनमान में 9 वर्षों की संयुक्त सेवा की है, की प्रोन्नति द्वारा।</p> <p>विलयन/प्रतिनियुक्ति हेतु किसी मंडल पदान्तर के पी. एंड. आर. प्रभाग के सदस्य पद धारण करने वाले अधिकारी अथवा ऐसे अधिकारी जिन्होंने उप निदेशक (इडीपी)/उप निदेशक(अनुसंधान) तथा अन्य सम्बन्धित पदों पर रु. 10750-16750 के वेतनमान में उस श्रेणी में 4 वर्षों की सेवा की है, से विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा।</p>	13

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती होने वाले उम्मीदवारों के मामले में (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएं (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन/प्रति-नियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परिचीका की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति/विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	12	13
21	बॉरिष्ठ लेखा अधिकारी	2	प्रथम श्रेणी	रु. 10750 -300 - 16750	चयन	अनिवार्य : (i) भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान अथवा भारतीय लागत तथा सैकर्म लेखाकार संस्थान का सदस्य । (ii) किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में वित्त लेखा कार्य के क्षेत्र में कार्यपालक स्तर में पांच वर्षों का अनुभव ।	35	(क) नहीं (ख) नहीं, किन्तु किसी माध्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री आवश्यक है । (ग) नहीं	2	प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न हो पाने पर विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो पाने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	वित्त विभाग की संबंधित शाखा के ऐसे लेखा अधिकारी ग्रेड-1 जिन्होंने रु. 9100-15100 के वेतनमान में उस श्रेणी में 5 वर्षों की सेवा की है और ऐसा न हो पाने ऐसे लेखा अधिकारी ग्रेड-1 जिन्होंने रु. 9100-15100 के वेतनमान में उस श्रेणी में 2 वर्षों की सेवा की है तथा जिन्होंने रु. 9100-15100 तथा 8600-14600 के वेतनमान में उस श्रेणी में 8 वर्षों की संयुक्त सेवा की है, की प्रोन्नति द्वारा । विलयन/प्रतिनियुक्ति हेतु किसी महा पत्रन न्यास में सदृश पद धारण करने वाले अधिकारी अथवा ऐसे लेखा अधिकारी ग्रेड-1 के पद पर रु. 9100-15100 के वेतनमान में उस श्रेणी में 5 वर्षों की निश्चित सेवा की है, से विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अवयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों के मामले में (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएं (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन / प्रति-निधित्व की स्थिति में लागू होंगे।	परीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति/ विलयन / प्रतिनिधित्व द्वारा होगी)	12	अनुसूचितों
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	उप निदेशक (इंजीनी)	1	प्रथम श्रेणी	रु. 10750 -300 - 16750	चयन	35	<p>अधिकार:</p> <p>(1) किसी मन्वत प्राप्त विभागाध्यक्ष / संस्थान से कम्प्यूटर ऑपरेशन/ कम्प्यूटर विज्ञान में डिग्री अथवा किसी मान्यताप्राप्त विभागाध्यक्ष / संस्थान से कम्प्यूटर अनुप्रयोग/ कम्प्यूटर विज्ञान/ बुनियादी प्रोग्रामिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा सीधा गणित / सांख्यिकी / प्रबलन अनुसंधान/अध्ययन में डिग्री अथवा किसी मान्यता प्राप्त विभागाध्यक्ष / संस्थान से कम्प्यूटर अनुप्रयोग/ कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा सीधा ऑपरेशन/अनुसंधान में डिग्री।</p> <p>(2) प्रोफेशनल/टेक्निकल डाटा प्रोसेसिंग/ प्रणाली विज्ञान/ वेब एप्लीकेशन तथा संकेत क्षेत्रों में पीएचडी का अनुभव।</p> <p>अधिकार:</p> <p>(1) किसी मन्वतप्राप्त विभागाध्यक्ष / संस्थान से प्रणाली अथवा बुनियादी अथवा एप्लिकेशन अथवा बुनियादी प्रोग्रामिंग तथा संबंधित क्षेत्रों में डिप्लोमा/ डिग्री / डिप्लोमा/ प्रबलन अनुसंधान/अध्ययन में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा कम्प्यूटर विज्ञान अथवा कम्प्यूटर ऑपरेशन/अनुसंधान अथवा बुनियादी प्रोग्रामिंग अथवा एप्लिकेशन अथवा बुनियादी प्रोग्रामिंग अथवा कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा (स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा)।</p>	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	2	प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न हो पाने पर विलयन / प्रतिनिधित्व द्वारा, दोनों के न हो पाने पर सीधी भर्ती द्वारा।	<p>पी. एंड आर. प्रभाग की संबंधित शाखा में ऐसे सहायक निदेशक (इंजीनी)/प्रणाली विश्लेषक/प्रोग्रामर जिन्होंने रु. 9100-15100 के वेतनमान में उस श्रेणी में 5 वर्षों की सेवा की है, की प्रोन्नति द्वारा और ऐसा न हो पाने पर ऐसे सहायक निदेशक (इंजीनी)/सिस्टम एनालिस्ट प्रोग्रामर/जिन्होंने रु. 9100-15100 के वेतनमान में उस श्रेणी में 2 वर्षों की सेवा की है तथा जिन्होंने, रु. 9100-15100 तथा रु. 8600-14600 के वेतनमान में उस श्रेणी में 8 वर्षों की सफुल्ल सेवा की है, की प्रोन्नति द्वारा।</p> <p>विलयन/प्रतिनिधित्व हेतु किसी मध्य पालन नकस में पी. एंड आर. प्रभाग में सफुल्ल पद धारण करने वाले अधिकारी अथवा ऐसे अधिकारी जिन्होंने सहायक निदेशक (इंजीनी) /सहायक निदेशक (अनुसंधान) तथा अन्य सहायक पदों पर, रु. 9100-15100 के वेतनमान में उस श्रेणी में 5 वर्षों की सेवा की है, से विलयन/प्रतिनिधित्व द्वारा।</p>	

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	वयन या अवयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों के मामले में (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएं (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन प्रति-नियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परिशीला की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-श्रेणियाँ जिससे ऐसा किया जाना है।	अभ्युक्तिताओं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	लेखा अधिकारी ग्रेड-I	2	प्रथम श्रेणी	रु. 9100 -250 - 15100	वयन	30	अनिवार्य : भारतीय चाईड स्कूल/स्टेट संस्थान अथवा भारतीय लागत तथा संकर्म लेखाकार संस्थान का सदस्य। वांछनीय : किसी औद्योगिक / वाणिज्यिक / सरकारी उपक्रम में वित्त, लेखा कार्य के क्षेत्र में कार्यपालक स्तरों में दो वर्षों का अनुभव।	(क) नहीं (ख) नहीं, किन्तु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री आवश्यक है। (ग) नहीं	2	31 दिसंबर 2006 तक सीधी भर्ती द्वारा - 33.1/3% प्रोन्नति द्वारा - 66.2/3% 31 दिसंबर 2006 के बाद सीधी भर्ती द्वारा - 66.2/3% प्रोन्नति द्वारा - 33.1/3%	ऐसे लेखा अधिकारी (ग्रेड-II)/सहायक लेखा अधिकारी जिन्होंने उसी श्रेणी में रु. 8600-14600 के वेतनमान में 3 वर्षों की सेवा की हो, से प्रोन्नति।	

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	क्या सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों के मामले (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएँ (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन /प्रति-नियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परिदोषा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-श्रेणियाँ जिनसे ऐसा किया जाना है।	अप्युक्तियों
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	सहायक निदेशक (अनुसंधान)	1	प्रथम श्रेणी	रु.9100-250-15100	चयन	30	<p>अनिवार्य:</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अर्थशास्त्र अथवा सांख्यिकी अथवा गणित में डिग्री</p> <p>वाञ्छनीय:</p> <p>(i) डाटा एकांकिकरण, स्प्रेडसिट तथा निर्वचन, अथवा क्षेत्र सर्वेक्षण, तथा अन्वेषण आदि के संचालन में कार्यपालक संवर्ग में दो वर्षों का अनुभव।</p> <p>ii) कम्प्यूटर प्रचालन का ज्ञान</p> <p>iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अर्थशास्त्र अथवा सांख्यिकी अथवा गणित में डिग्री अथवा</p> <p>प्रचालन अनुसंधान और सहसंबद्ध विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा</p>	(क) नहीं (ख) हाँ, (ग) नहीं	2	31 दिस. 2006 तक सीधी भर्ती द्वारा - 33.1/3% प्रोन्नति द्वारा - 66.2/3% 31 दिस. 2006 के बाद सीधी भर्ती द्वारा - 66.2/3% प्रोन्नति द्वारा - 33.1/3%	ऐसे सांख्यिकी तथा अनुसंधान अधिकारी, जिन्होंने रु. 8600-14600 के वेतनमान में उस श्रेणी में 3 वर्षों की सेवा की है, की प्रोन्नति द्वारा।	

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अवयव पद	सैबी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सैबी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	क्या सैबी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों के मामले में (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएँ (ग) अनुभव प्रोन्नति/विराज / प्रतिनियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे	परिक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (क्या सैबी भर्ती होंगे अथवा प्रोन्नति/विराज / प्रतिनियुक्ति द्वारा होंगे)	12	अनुभूतियों
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	सहायक निदेशक (एडीपी)	1	प्रथम श्रेणी	रु. 9100 - 250 - 15100	चयन	30	<p>अतिवार्य:</p> <p>(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से कम्प्यूटर अभियांत्रिकी / कम्प्यूटर विज्ञान में डिग्री अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से कम्प्यूटर अनुप्रयोग विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा सक्षित गणित / सांख्यिकी / प्रकाशन अनुसंधान/अर्थशास्त्र में डिग्री अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से कम्प्यूटर अनुप्रयोग/ कम्प्यूटर विज्ञान / सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा सक्षित अभियांत्रिकी में डिग्री।</p> <p>वांछनीय:</p> <p>(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से प्रगती अथवा सूचना प्रगती अथवा परमार्थस अथवा सूचना प्रौद्योगिकी तथा संबद्ध विषयों में विशेषज्ञता सक्षित गणित / सांख्यिकी / प्रकाशन अनुसंधान /अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा कम्प्यूटर विज्ञान अथवा कम्प्यूटर अभियांत्रिकी अथवा प्रगती अथवा सूचना प्रगती अथवा परमार्थस अथवा सूचना प्रौद्योगिकी अथवा कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा व्यापार प्रशासन (स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा)।</p> <p>ii) प्रोग्रामिंग/इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग/ प्रगती आदि में 2 वर्षों का अनुभव</p>	(क) नहीं (ख) छ (ग) नहीं	2	31 दिस. 2006 तक सैबी भर्ती द्वारा - 33. 1/3% प्रोन्नति द्वारा - 66. 2/3 % 31 दिस. 2006 के बाद सैबी भर्ती द्वारा - 66. 2/3% प्रोन्नति द्वारा - 33. 1/3 %	एसे प्रोग्रामर/डाटा प्रोसेसिंग अधिकारी, लिस्टेड रु. 8600-14600 के वेतनमान में उस श्रेणी में 3 वर्षों की सेवा की है, की प्रोन्नति द्वारा।	

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अचयन पर	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	क्या सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों से संबंधित (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएँ (ग) अनुभव प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे	परिक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (क्या सीधी भर्ती होंगी अथवा प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा होंगी)	प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-श्रेणियाँ किन्से देखा किना जाना है।	अनुसूचित		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
26	मुख्य यांत्रिक अभियंता	1	प्रथम श्रेणी	रु. 20500-500-26500	चयन	45	<p>अनिवार्य:</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से यांत्रिकी / विद्युत / इलेक्ट्रॉनिक्स तथा संचार अभियांत्रिकी / नॉबल वास्तु शिल्प में डिग्री अथवा समकक्ष डिग्री अथवा वाणिज्य-पोत परिवहन अधिनियम, 1958के अधीन जारी किया गया एम्प्लोटी, प्रथम श्रेणी का मोटर संबंधी प्रमाणपत्र</p> <p>(ii) किसी महापत्तन न्यास / औद्योगिक / वाणिज्यिक / सरकारी उपक्रम में यांत्रिक / विद्युत / समुद्री / इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी कार्य में प्रबंधकीय क्षमता से कार्य करने का 17 वर्षों का अनुभव जिसमें से 10 वर्षों का अनुभव नौभार प्रहस्तन उपकरणों / विद्युत संस्थापन / वलयान मर-मत संबंधी अनुरक्षण की कार्यशाला में कार्य करने का होना चाहिए।</p>	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	लागू नहीं	भिन्न पद्धति के माध्यम से विलयन द्वारा देखा न हूँ पाने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा इन दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	भिन्न पद्धति के माध्यम से विलयन द्वारा देखा न हूँ पाने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा इन दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	भिन्न पद्धति के माध्यम से विलयन द्वारा देखा न हूँ पाने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा इन दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	भिन्न पद्धति के माध्यम से विलयन द्वारा देखा न हूँ पाने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा इन दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	भिन्न पद्धति के माध्यम से विलयन द्वारा देखा न हूँ पाने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा इन दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	क्या सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों से संबंधित (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएँ (ग) अनुभव प्रोन्नति / वितरण / प्रतिनियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे	परिवर्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-श्रेणियाँ जिनसे ऐसा किया जाना है।	अभ्युक्तिताओं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	उप मुख्य यांत्रिक अभियंता	1	प्रथम श्रेणी	रु. 16000-400-20800	चयन	42	अनिवार्य: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय / संस्थान से यांत्रिकी / विद्युत / इलेक्ट्रॉनिक्स तथा संचार अभियांत्रिकी में डिग्री अथवा समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। (ii) किसी औद्योगिक / वाणिज्यिक / सरकारी उपक्रम के समुदाय शाखा में प्रशासक पदों में 12 वर्षों का अनुभव होना चाहिए।	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	लागू नहीं	मिश्रित पद्धति के माध्यम से विलयन द्वारा ऐसा न हो पाने पर अन्य सरकारी संगठनों से प्रतिनियुक्ति द्वारा इनके जे.पे. के न.जे.पे. पर सीधी भर्ती द्वारा।	मिश्रित पद्धति के माध्यम से विलयन हेतु मरु पत्तन न्यास के यांत्रिकी तथा विद्युत अभियांत्रिकी विभाग की संबंधित शाखा में सदस्य पद धारण करनेवाले अधिकारी अथवा अधीनस्थ अभियंता तथा समकक्ष पद धारण करने वाले ऐसे अधिकारी, जिन्होंने रु.13000-18250 के वेतनमान में उस श्रेणी में 3 वर्षों की सेवा की है, अथवा किसी मरु पत्तन न्यास के यांत्रिकी तथा विद्युत अभियांत्रिकी विभाग की संबंधित शाखा में अधीनस्थ अभियंता तथा समकक्ष पद धारण करने वाले ऐसे अधिकारी, जिन्होंने रु.13000-18250 के वेतनमान में 7 वर्षों की संयुक्त सेवा की है, इसके पात्र होंगे। प्रतिनियुक्ति के मामले में सरकारी / सार्वजनिक उपक्रमों / स्वायत्तशासी निकायों आदि में सदस्य पद धारण करने वाले अधिकारी अथवा यांत्रिकी तथा विद्युत अभियांत्रिकी विभाग की संबंधित शाखा में अधीनस्थ अभियंता तथा समकक्ष पद धारण करने वाले ऐसे अधिकारी जिन्होंने रु.13000-18250 के वेतनमान में उस श्रेणी में 3 वर्षों की नियमित सेवा की है, इसके पात्र होंगे। यह चयन योग्यता के आधार पर है, जिसके लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में समस्त क्रम निर्धारण संबंधी निर्देश-विह्व "युद्ध अड्डा" से कम नहीं होगा।	

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अचयन पद	सौधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	सौधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सौधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अतिरिक्त शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	सौधी भर्ती होने के लिए (क) आयु शैक्षणिक (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन /प्रतिनियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परिवर्द्धा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (क्या सौधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-श्रेणियाँ जिन्हें ऐसा किया जाना है।	अभ्युक्तिता
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	अधीक्षक अभियंता (यांत्रिक/विद्युत/एम एण्ड ई)	2	प्रथम श्रेणी	रु. 13000 - 350 - 18250	चयन	अनिवार्यः (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से यांत्रिकी/विद्युतीय / इलेक्ट्रिकल्स तथा संचार अभियांत्रिकी की डिग्री या समकक्ष डिग्री हो। (ii) किसी औद्योगिक / वाणिज्यिक / सरकारी उपक्रम में सुसंगत शाखा में कार्यपालक प्रवर्ग में नौ वर्षों का अनुभव हो।	40	अनिवार्यः (क) नहीं (ख) नहीं, किन्तु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से सुसंगत शाखा में अभियांत्रिकी में डिप्लोमा आवश्यक है। (ग) नहीं	2	प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न हो पाने पर विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा, इन दोनों के न हो पाने पर सौधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनियुक्ति हेतु किसी मूल पदानुसार में सदृश पद अथवा समरूप पद धारण करने वाले ऐसे अधिकारी, जिन्होंने उस श्रेणी में 4 वर्षों की सेवा की है, से विलयन/प्रतिनियुक्ति होगी।	यस एवम् र अभियांत्रिकी विभाग की संबंधित शाखा के ऐसे अभियंता अभियंता जिन्होंने रु. 10750-16750 के वेतनमान में उसी श्रेणी में 4 वर्षों की नियमित सेवा की है, और ऐसा न हो पाने पर ऐसे अभियंता अभियंता जिन्होंने रु. 10750-16750 के वेतनमान में उसी श्रेणी में 2 वर्षों की सेवा की है, और रु. 10750-16750 तथा रु. 9100-15100 के वेतनमान में 9 वर्षों की संयुक्त सेवा की है, की प्रोन्नति होगी।	

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए जानेवाले उम्मीदवारों के मामले में (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएँ (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन/प्रतिनियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परिवर्द्धन की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (ज्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति/विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	प्रोन्नति/विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-श्रेणियाँ जिनसे ऐसा किया जाना है।	अप्युक्तियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	अधिकासी अभिवृत्ता (यात्रिक/विद्युत/ई एंड एम)	3	प्रथम श्रेणी	10750 - 300 - 16750	चयन	अनिवार्य : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से यात्रिकी/विद्युतीय/इलेक्ट्रॉनिक्स तथा संचार अभियांत्रिकी की डिग्री या सम्कल्प डिग्री। (ii) किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सारकारी उपक्रम में सुसंगत शाखा में कार्यपालक प्रवर्ग में पाँच वर्षों का अनुभव।	35	(क) नहीं (ख) नहीं, किन्तु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान की सुसंगत शाखा में अभियांत्रिकी में डिप्लोमा आवश्यक है। (ग) नहीं	2	प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न हो पाने पर विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, इन दोनों के न हो पाने पर सीधी भर्ती द्वारा।	यात्रिकी तथा विद्युत अभियांत्रिकी विभाग की संबंधित शाखा के ऐसे सहायक अधिकासी अभिवृत्ता जिनकी रु. 9100-15100 के वेतनमान में उसी श्रेणी में 5 वर्षों की सेवा दी है, और ऐसा न होने पर ऐसे सहायक अधिकासी अभिवृत्ता जिनकी रु. 9100-15100 के वेतनमान में उसी श्रेणी में 2 वर्षों की सेवा दी है तथा रु. 9100-1500 तथा रु. 8600-14600 के वेतनमान में 8 वर्षों की संयुक्त सेवा दी है, अथवा उस शाखा में रु. 9100-15100 का वेतनमान विद्यमान नहीं होने पर ऐसे डिप्लोमा धारक अभिवृत्ता जिनकी रु. 8600-14600 के वेतनमान में उस श्रेणी में 8 वर्षों की सेवा की है की प्रोन्नति द्वारा। हेतु महापतन न्याय में संबंधित शाखा में सदरा पद अथवा समरक पद धारण करनेवाले ऐसे अधिकारी जिनकी रु. 8600-14600 के वेतनमान में उस श्रेणी में 8 वर्षों की सेवा की है से विलयन/प्रतिनियुक्ति होगी।	

क्र. सं.	पर का नाम	पर की संख्या	वर्गिकरण	वेतनमान (रु.)	चलन	सभी पदों वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकारिता तथा अन्य योग्यताएँ	सब से अधिक उम्मीदवारों के लिए अधिकारिता तथा अन्य योग्यताएँ	परीक्षा की अवधि (वर्षों में)	पदों की प्रवर्तिता (एक से अधिक पदों की अवधि प्रोन्नति/विलयन/प्रतिनिधित्व द्वारा होती है)	अनुसूचित वर्ग	
30	उप सहाय प्रबंधक	1	प्रथम श्रेणी	10700 - 300 - 16750	चलन	<p>अधिकारिता:</p> <p>(1) सिविल इंजीनियरिंग द्वारा प्रोन्नति/विलयन/संयोजन से या सिविल/विद्युत/सिविल अभियंताओं में किसी का सम्मिलन।</p> <p>(ii) सिविल अभियंता/सहाय प्रबंधक/सहाय प्रबंधक/विद्युत अभियंताओं में से प्रोन्नति/विलयन/संयोजन से।</p> <p>सिविल अभियंता द्वारा प्रोन्नति/विलयन/संयोजन से अनुसूचित श्रेणी/दिलोचन</p>	<p>(क) नौ।</p> <p>(ख) नौ, सिविल श्रेणी की संख्या द्वारा।</p> <p>विद्युत/सहाय प्रबंधक से सम्मिलन या संयोजन से।</p> <p>संयोजित शाला में डिप्लोमा या स्नातक में डिग्री आवश्यक है।</p> <p>(ग) नौ।</p>	02	प्रोन्नति द्वारा सेवा न हो सके। विलयन/प्रतिनिधित्व द्वारा, इन श्रेणियों को जोड़ने पर संश्लेषण द्वारा।	<p>एक पर प्रकाश/एन तथा ई अथवा अभियंताओं के विभाग की संश्लेषित शालाओं के ऐसे उपायक शाला प्रकाश से। सिविल द्वारा श्रेणी में रु. 9100-15100 के वेतनमान में 5 वर्ष की सेवा की है, सेवा न हो जाने पर ऐसे उपायक अभियंताओं की प्रवर्तिता/विलयन/संयोजन से रु. 9100-15100 के वेतनमान में 5 वर्ष की सेवा की है, इन श्रेणियों के न हो जाने पर ऐसे उपायक अभियंताओं की प्रवर्तिता (ब/वि/वी) सिविल/विद्युत/सहाय प्रबंधक में रु. 9100-15100 के वेतनमान में 5 वर्ष की सेवा की है, इन श्रेणियों के न हो जाने पर (ब/वि/वी) सिविल/विद्युत/सहाय प्रबंधक में रु. 9100-15100 तथा रु. 8600-14600 के वेतनमान में 8 वर्ष की संयुक्त सेवा की है अथवा उच्च शाला में रु. 9100-15100 का वेतनमान सिविल/विद्युत/सहाय प्रबंधक में सेना पर ऐसे डिप्लोमा/सहाय प्रबंधक में रु. 8600-14600 के वेतनमान में उच्च श्रेणी में 8 वर्ष की सेवा की है उसके द्वारा प्रोन्नति/विलयन/संयोजन से।</p> <p>ऐसे अधिकारियों का विलयन/प्रतिनिधित्व श्रेणी जो गण प्रथम श्रेणी में उच्च श्रेणी में 5 वर्ष की सेवा करिता रहना पर या संयोजन पर करी है।</p>	13

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अतिरिक्त शैक्षणिक तथा अन्य क्षेत्रवार	क्या सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों के मामले में (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएं (ग) अनुभव प्रोन्नति/विप्लव प्रतियोगिता की स्थिति में लागू होंगे।	परिक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (क्या सीधी भर्ती होंगी अथवा प्रोन्नति/विप्लव/प्रतियोगिता द्वारा होगी)	12	13
31	सहायक अधिशासी अभियंता (यांत्रिक/विद्युत)	4	प्रथम श्रेणी	9100-250-15100	चयन	अतिरिक्त: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से यांत्रिक/विद्युत/इलेक्ट्रिकल्स तथा संश्लेषण अभियंता/इंजीनियरिंग में डिग्री या समकक्ष। शर्तियाँ:- किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम को सुव्यक्त शाखा में कार्यपालक प्रवर्ग में दो वर्ष का अनुभव।	(क) नहीं (ख) नहीं, किन्तु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अभियंता/इंजीनियरिंग की सुव्यक्त शाखा में डिप्लोमा अतिरिक्त है। (ग) नहीं	2	31. वि. 08 एवं सीधी भर्ती द्वारा 33. 1/3% प्रोन्नति द्वारा 66. 2/3% 31. वि. 08 के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा 66. 2/3% प्रोन्नति द्वारा 33. 1/3%	एसी सहायक अभियंता (यांत्रिक/विद्युत/इलेक्ट्रिकल्स/इंस्ट्रुमेंटेशन के पद पर किन्हीं रु. 8600-14600 के वेतनमान में उस श्रेणी 3 वर्ष की सेवा की है, जो प्रोन्नति द्वारा।		

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों में (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएं (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलंबन/प्रतिनिवृत्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परिचीका की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति ((क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति/ विलंबन/प्रतिनिवृत्ति द्वारा होगी)	12	13
1												
32	सहायक सामग्री प्रबंधक-ग्रेड I	1	प्रथम श्रेणी	9100 - 250 - 15100	चयन	30	<p><u>अनिवार्य:</u> किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय/ संस्थान से यांत्रिकी/ विद्युत/ सिविल अभियंत्रिकी में डिग्री या समकक्ष। <u>वांछनीय:-</u> i. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सामग्री प्रबंधन में अनुज्ञातक डिग्री/डिप्लोमा। ii. किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/ सरकारी उपाक्रम में सामग्री प्रबंधन में योग्यता के उपरान्त दो वर्ष का अनुभव</p>	(क) नहीं (ख) नहीं, किन्तु किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सुसंगत शाखा में डिप्लोमा अनिवार्य है। (ग) नहीं	2	31.दिस.06 तक सीधी भर्ती द्वारा 33. 1/3% प्पेन्नति द्वारा 66 2/3% 31.दिस.06 के पश्चात सीधी भर्ती द्वारा 66 2/3% प्पेन्नति द्वारा 33 1/3%	<p>एसे सहायक अभियंता (एच/एचआर)/सहायक प्रबंधक अतिरिक्त, सहायक सामग्री प्रबंधक ग्रेड-II जिन्होंने उपरोक्त सेवा की है, की र. 8600-14600 के वेतनमान में 3 वर्ष की सेवा की है, की प्रोन्नति द्वारा</p>	

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए जानेवाले उम्मीदवारों के मापदंड (क) आयु (ख) शैक्षणिक आर्हताएँ (ग) अनुभव प्रोन्नति/विकास /प्रतिनिधित्व की स्थिति में लागू होंगे।	परिक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति ((क) सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति / विकास /प्रतिनिधित्व द्वारा होगी)	12	13	
33	यातायात प्रबंधक	1	प्रथम श्रेणी (विभाग प्रमुख)	20500 -500 - 26500	चयन	45	i. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री ii. किसी औद्योगिक/कृषि/विक/सरकारी उपक्रमों में नौवहन/नीवार प्रकाशन/ रेलवे परिवहनके संबंध में कार्यपालक प्रवर्ग में 17 वर्ष का अनुभव।	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	लागू नहीं	विश्रित पद्धति से विकास द्वारा ऐसा न हो जाने पर प्रतिनिधित्व द्वारा तब ही चयन के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	11	विश्रित पद्धति से विकास द्वारा ऐसा न हो जाने पर प्रतिनिधित्व द्वारा तब ही चयन के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	विश्रित पद्धति द्वारा चयन हेतु महा पवन न्याय के वातावरण विभाग में सहायक पद धरित अधिकारी या वातावरण प्रबंधक/प्रवर्ग-11 फ्रेट में से चयन की निश्चिता देना अथवा ऐसे पदधरित अधिकारीको उस श्रेणी में रु.17500-22300 के वेतनमान में 4 वर्ष की निश्चिता देना न हो अथवा ऐसे पद धरित अधिकारी को उस श्रेणी में रु.16000-20800 के वेतनमान में 5 वर्ष की निश्चिता देना न हो, वे का होंगे। प्रतिनिधित्व हेतु सरकारी/अर्धसरकारी/कार्यकीय उद्योग या स्वयंसेवा संस्थानों में वातावरण विभाग के सहायक पद धरित अधिकारी या वातावरण प्रबंधक के पद धरित अधिकारी और सहायक पद धरित अधिकारी को उस श्रेणी में रु.18500-23900 के वेतनमान में 2 वर्ष की निश्चिता देना न हो अथवा वातावरण विभाग में सहायक पद धरित अधिकारी को उस श्रेणी में रु.16000-20800 और उसके अधिक पर 5 वर्ष निश्चिता देना न हो वे का होंगे। योग्यता के अन्तर्गत चयन होगा जिसके लिए 'कार्यकीय नौवहन रिपोर्ट' के अन्तर्गत प्रवर्ग-निर्धारण संबंधी निर्देश-पत्र 'बहुत अच्छा' से कम नहीं होना चाहिए।

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गिकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों के मामले में (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएं (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन /प्रतिनियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परिशीला की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति/ विलयन /प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-श्रेणियाँ किन्से देखा गया है।	अभ्युक्तियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	यातायात प्रबंधक	1	प्रथम श्रेणी	16000 -400 - 20800	चयन	42	i. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री ii. किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रमों में नीबहन/नीभार प्रचालन/ रेलवे परिवहनके संबंध में कार्यपालक प्रवर्ग में 12 वर्ष का अनुभव	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	लागू नहीं	मिश्रित पद्धति से विलयन द्वारा, ऐसा न हो पाने पर अन्य सरकारी संगठनों से प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा इन दोनों के न हो पाने पर सीधी भर्ती द्वारा।	मिश्रित पद्धति द्वारा विलयन हेतु, महा पत्तन न्यास में यातायात विभाग में संबंधित शाखा के सदृश पद धारित अधिकारी या उप यातायात प्रबंधक तथा सम्बन्ध पद धारित अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में रु.13000-18250 के वेतनमान में 3 वर्षों की सेवा की है अथवा महा पत्तन न्यास के यातायात विभाग में उप यातायात प्रबंधक तथा यातायात विभाग की संबंधित शाखाओं के सम्बन्ध पद धारित अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में रु.13000-18250 के वेतनमान में 2 वर्ष की नियमित सेवा तथा रु. 10750-16750 और रु.13000-18250 के वेतनमान में 7 वर्षों की संयुक्त सेवा की है, वे पात्र होंगे। प्रतिनियुक्ति हेतु सरकारी/अर्धसरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों या स्वायत्त निकायों में यातायात विभाग के सदृश पद धारित अधिकारी अथवा उप यातायात प्रबंधक पद धारित अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में रु.13000-18250 के वेतनमान में 3 वर्षों की सेवा की है तो वे पात्र होंगे। योग्यता के आधार पर चयन होगा जिसके लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के सकल क्रम निर्धारण संबंधी निर्देश-विहिन "बहुत अच्छा" से कम नहीं होने चाहिए।	महा पत्तन न्यास के

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गिकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विशेष शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	बच सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों के मामले में (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएं (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन /प्रतिनिधित्व द्वारा/प्रतिनिधित्व द्वारा/ विलयन (दोनों में)	परिष्का की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति / विलयन /प्रतिनिधित्व द्वारा/ विलयन)	प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनिधित्व द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-श्रेणियों किन्तसे ऐसा किया जाना है।	अध्यक्षिता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
35	उप यातायात प्रबंधक	1	प्रथम श्रेणी	13000 -350 - 18250	चयन	40	i. मान्यता प्राप्त विषयविद्यार्थी से डिग्री ii. एम.सी.ओ.डी.एस./कॉमिश्नरी/सहायकी उपकरणों में नौकर/पैपर प्रकाशन/ रेलवे परिवहन संस्थान में कार्यपालक प्रबंधकों में 9 वर्ष का अनुभव	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	2	प्रोन्नति द्वारा ऐसा न हो पाने पर विलयन/प्रतिनिधित्व द्वारा तथा इन दोनों के न हो पाने पर सीधी भर्ती द्वारा	ऐसे वरिष्ठ उप यातायात प्रबंधक जो उस श्रेणी में रु. 10750-16750 के वेतनमान में 4 वर्ष की निर्यक्ति सेवा के ग्रेड में हों, ऐसा न हो पाने पर वरिष्ठ सहायक यातायात प्रबंधक जो रु. 10750-16750 के वेतनमान में दो वर्ष की सेवा तथा यातायात विभाग की संबंधित शाखा में रु. 10750-16750 तथा रु. 9100-15100 के वेतनमान में 9 वर्ष की संयुक्त सेवा में हों, जो प्रोन्नति दी जाती है। ऐसे अधिकारियों का विलयन/ प्रतिनिधित्व सेगी जो महापत्तनों न्यासों में उक्त उस श्रेणी में रु. 10750-16750 के वेतनमान 4 वर्ष की सेवा सहित सदृश पद या वरिष्ठ सहायक यातायात प्रबंधक पद धारी हों।	

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन	संघो भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	संघी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	क्या सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों के मापले (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएँ (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन/प्रति-नियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परिवेशा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति ((क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति/विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	प्रोन्नति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-श्रेणियाँ जिसे ऐसा किया जाना है।	अभ्युक्तिवाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	वरिष्ठ सहायक यातायात प्रबंधक	1	प्रथम श्रेणी	रु. 10750-300-16750	चयन	35	अतिवार्य: i. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री ii. किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रमों में नीवहन/नीभार प्रचालन/ रेलवे परिवहनके संबंध में कार्यपालक प्रवर्ग में 5 वर्ष का अनुभव	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	02	प्रोन्नति द्वारा ऐसा न हो पाने पर विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा इन दोनों के न हो पाने पर सीधी भर्ती	ऐसे सहायक यातायात प्रबंधक ग्रेड 1 जिन्होंने रु. 9100-15000 के वेतनमान में 5 वर्ष की सेवा की हो प्रोन्नति होगी तथा ऐसा न हो पाने पर ऐसे सहायक यातायात प्रबंधक, ग्रेड-1 जिन्होंने उस श्रेणी में रु. 9100-15100 के वेतनमान में 2 वर्ष की नियमित सेवा में हों और यातायात विभाग की संबंधित शाखा में रु. 9100-15100 तथा रु. 8690-14600 के वेतनमान में 8 वर्ष की संकुचत सेवा की हो, जो प्रोन्नति दी जाती है। ऐसे अधिकारियों का विलयन/ प्रतिनियुक्ति होगी जो महा पत्तने न्याय में ऊपर श्रेणी में रु. 9100-15100 के वेतनमान में 5 वर्ष की सेवा सहित सरुश पर या सहायक यातायात प्रबंधक ग्रेड 1 पद धारी हों।	

क्रम सं.	पद का नाम / सहायक	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अवयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	न्या सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों के मामले में (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएँ (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन /प्रति-नियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परिचीका की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की प्रकृति ((न्या सीधी भर्ती होंगे अथवा प्रोन्नति/ विलयन /प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	12	13
1								9	10	11		
37	सहायक यातायात प्रबंधक ग्रेड-1	3	प्रथम श्रेणी	रु. 9100-250-15100	चयन	30	अनुभव: 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री वाणिज्यिक / कृषि औद्योगिक / वाणिज्यिक / सरकारी उपात्तों में नीवाहन/सैन्य प्रशासन / रेलवे परिसहन के संबंध में कार्यपालक प्रवर्ग में 2 वर्ष का अनुभव	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	02	31. दिसं. 06 तक सीधी भर्ती द्वारा 33. 1/3% प्रोन्नति द्वारा 66 2/3% 31. दिसं. 06 के पुरस्कार सीधी भर्ती द्वारा 66 2/3% प्रोन्नति द्वारा 33. 1/3%	ऐसे सहायक यातायात प्रबंधक ग्रेड II जिन्होंने उस श्रेणी में रु. 8600-14600 के वेतनमान में 3 वर्ष की सेवा की है, से प्रोन्नति द्वारा	

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	क्या सीधी भर्ती लिए जानेवाले उम्मीदवारों के मामले में (क)आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएँ (ग)अनुभव प्रोन्नति/विलयन /प्रति-निवृत्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति ((क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति/ विलयन /प्रतिनिवृत्ति द्वारा होगी) या होगी)	प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनिवृत्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-श्रेणियाँ किन्से ऐसा किया जाना है।	अनुभूतियाँ
1	38	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	मुख्य अभियंता	एक	प्रथम श्रेणी (विभाग प्रमुख)	रु.20500-500-26500	चयन	45	(1) मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय/संस्थान से सिविल अभियान्त्रिकी डिग्री या समकक्ष (H). किसी औद्योगिक/ वाणिज्यिक/सरकारी उद्योगों में सेवा/निर्माण कार्य/ प्रकल्प/अनुसंधान कारखाने/पोर्ट के एवं समुद्री संरक्षण संबंधी कार्यप्रत्यक्ष प्रदर्शन में 17 वर्ष का अनुभव	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	लागू नहीं	निम्नित पद्धति से विलयन द्वारा ऐसा न होने पर प्रतिनिवृत्ति द्वारा रखा मन दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	निम्नित/ विलयन / प्रतिनिवृत्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-श्रेणियाँ किन्से ऐसा किया जाना है।	निम्नित पद्धति द्वारा विलयन हेतु महा चयन न्याय के सिविल अभियान्त्रिकी विभाग में सूचना पद धारित अधिकारी या द्वितीय प्रवर्ग ग्रेड में मुख्य अभियंता के पद पर नियुक्त उस श्रेणी में वे वर्षों की निवृत्ति सेक अथवा ऐसे पल्धारित अधिकारी जो उस श्रेणी में रु.17500-22300 के वेतनमान में 4 वर्ष की निवृत्ति सेक ग्रेड में है अथवा ऐसे पद धारित अधिकारी जो उस श्रेणी में रु.16000-20800 के वेतनमान में 5 वर्ष की निवृत्ति सेक में है तो उसे पत्र मना जाएगा। प्रतिनिवृत्ति हेतु, सरकारी/अर्धसरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के सिविल अभियान्त्रिकी विभाग में सूचना पद धारित अधिकारी या मुख्य अभियंता और उसके समकक्ष पद धारित जो उस श्रेणी में रु.18500-23900 के वेतनमान सहित 2 वर्ष की निवृत्ति सेक में है या ऐसे अधिकारी जो उप मुख्य अभियंता और उसके समकक्ष पदों पर उस श्रेणी में रु.16000-20800 के वेतनमान तथा उसके अधिक वेतनमान में 5 वर्ष की निवृत्ति सेक में कार्यरत हो तो पत्र होंगे। योग्यता के अन्तर्गत चयन होगा जिसके लिए तारिख गोपनीय रिपोर्ट के सकल श्रेणी कारण के अनुसार निर्देश-बिन्दु "बहुत अच्छा" से कम नहीं होना चाहिए।

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों के मामले (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएं (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन /प्रतिनियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परिवीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति ((क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति / विलयन /प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-श्रेणियाँ जिनसे ऐसा किया जाना है।	अध्युक्तियों
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	उप मुख्य अभियंता (सिविल)	2	प्रथम श्रेणी	16000-400-20800	चयन	42	(1) मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय/संस्थान से सिविल अभियंत्की में डिग्री या समकक्ष ii) किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक / सरकारी उपक्रमों में योजना / निर्माण कार्य/प्रकल्प/अनुरक्षण खासकर पोर्ट के एवं समुद्री संरचना संबंधी कार्यपालक प्रवर्ग में 12 वर्ष का अनुभव।	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	लागू नहीं	मिश्रित पद्धति से विलयन द्वारा ऐसा न होने पर अन्य सरकारी संगठनों से प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा इन दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	मिश्रित पद्धति द्वारा विलयन हेतु, मध्य पतन न्यायों के सिविल अभियंत्की विभाग में सदृश पद धारित अधिकारी या में अधीक्षक अभियंता या सिविल अभियंत्की विभाग से संबंधित शाखा उसके समकक्ष पद पर उस श्रेणी में रु.13000-18250 के वेतनमान में 3 वर्ष की सेवा में हो अथवा मध्य पतन न्याय के सिविल अभियंत्की विभाग की संबंधित शाखा में अधीक्षक अभियंता या उसके समकक्ष पद पर उस श्रेणी में रु.13000-18250 के वेतनमान में 2 वर्ष की नियमित सेवा में हो तथा मध्य पतन न्याय के सिविल अभियंत्की विभाग की संबंधित शाखा में रु.10750-16750 तथा 13000-18250 के वेतनमान में 7 वर्ष की संयुक्त सेवा की हो तो उसे पात्र माना जाएगा। प्रतिनियुक्ति हेतु, सरकारी/अर्धसरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों या स्वायत्त निकायों के सिविल अभियंत्की विभाग से संबंधित शाखा में सदृश पद धारित अधिकारी या अधीक्षक अभियंता तथा उसके समकक्ष पद पर उस श्रेणी में रु.13000-18250 के वेतनमान में 3 वर्ष की नियमित सेवा में कार्यरत हो तो पात्र होंगे। योग्यता के आधार पर चयन होगा जिसके लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के सकल श्रेणीकरण के अनुसार निर्देश-विहन "बहुत अच्छा" से कम नहीं होना चाहिए।	

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	व्या सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों के मामले में (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएं (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन/प्रति-नियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परिचीका की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (यथा सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति/विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	प्रोन्नति/विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-श्रेणियों जिनसे ऐसा किया जाता है।	अभ्युक्तियों
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	अधीक्षक अभियंता (सिविल)	3	प्रथम श्रेणी	13000 - 350 - 18250	चयन	40	(1) मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय/संस्थान से सिविल अभियंत्रिकी में डिग्री या समकक्ष ii) किंसीओद्योगिक/वाणिज्यिक/सारकारी उपक्रमों में योजना/निर्माण कार्य/प्रकरण/अनुसंधान खासकर पोर्ट के एवं समुद्री संरचना संबंधी कार्यपालक प्रवर्ग में 9 वर्ष का अनुभव।	(क) नहीं, (ख) नहीं, किन्तु किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल अभियंत्रिकी में डिप्लोमा अनिवार्य है। (ग) नहीं	2	प्रोन्नति द्वारा ऐसा न हो जाने पर विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा इन दोनों के न हो जाने पर सीधी भर्ती	सिविल अभियंत्रिकी विभाग से संबंधित शाखा के ऐसे अभियंता अभियंता (सिविल) के पद से जो उस श्रेणी में रु.10750-16750 के वेतनमान सहित चार वर्ष की सेवा में हो, ऐसा न हो जाने पर ऐसे अभियंता अभियंता के पद से जो उस श्रेणी में रु.10750-16750 के वेतनमान में 2 वर्ष की सेवा की हो और रु.10750-16750 तथा रु.9100-15100 के वेतनमान में 9 वर्ष की संयुक्त सेवा की हो उसे प्रोन्नति प्रदान की जाती है। महा पत्तन न्यास में ऐसे सदस्य पद धारित अधिकारी या संभरक पद धारित अधिकारी जिन्हें उपर्युक्त अनुभव हो उसका विलयन/प्रतिनियुक्ति होगी।	13

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (₹.)	अवकाश पर	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों में (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएं (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन/प्रतिनियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परिीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति/विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	प्रोन्नति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-श्रेणियाँ किन्से ऐसा किया जाना है।	अभ्युक्तिर्वा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	अधिरात्री अपिर्यता (सिविल)	1	प्रबन्ध श्रेणी	₹.10750-300-10750	बर्ष	35	(1) मान्यता प्राप्त विद्यालय/संस्थान से सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री या समकक्ष ii) सि-सीसी/शैक्षणिक/कार्यक्षेत्रिक/सारकारी उत्कृष्टतम में बी.टेकना/निर्माण कार्य/प्रकल्प/अनुसंधान खासकरपोर्ट के एवं समुपरी संरचना संबंधी कार्यपालक प्रवर्ग में पाँच वर्ष का अनुभव।	(क) नहीं (ख) नहीं, किन्तु किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा अनिवार्य है। (ग) नहीं	02	प्रोन्नति द्वारा ऐसा न हो तो विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, इन दोनों के न हो जाने पर सीधीभर्ती द्वारा।	विविध अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित शाखा में अधिरात्री अपिर्यता (सिविल) के पद से जो उस श्रेणी में ₹.9100-15100 के वेतनमान सहित 5 वर्ष की नियमित सेवा में हो, ऐसा न हो जाने पर सहायक अधिरात्री अपिर्यता के पद से जो उस श्रेणी में ₹.9100-15100 के वेतनमान सहित 2 वर्ष की सेवा में हो, और ₹.9100-15100 तथा ₹.8600-14600 के वेतनमान में 9 वर्ष की संकुलत नियमित सेवा की हो उसे प्रोन्नति प्रदान की जाती है। महा पत्तन न्याय में ऐसे रुद्रा पद धरित अधिरात्री या सभारक पद धरित अधिरात्री किन्हे उपर्युक्त अनुभव से उत्कृष्ट विलयन/प्रतिनियुक्ति होगी।	

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अवयन पद	सोपी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सोपी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	क्या सोपी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों के मामले में (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएँ (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन /प्रतिनियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परिीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (क्या सोपी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति/ विलयन /प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	12	अभ्युक्तियों
42	सहायक अधिपरी अभियंता (सिविल)	9	प्रथम श्रेणी	9100 - 250 - 15100	चयन	30	अनिवार्य:- मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय /संस्थान से सिविल अभियंता की डिग्री या समकक्ष वांछनीय:- 1. किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक /संकारी उपक्रमों में योजना/निर्माण कार्य/प्रकल्प/अनुरक्षण खासकर पोर्ट के एवं सुग्री संचना संबंधी कार्यपालक प्रवर्ग में दो वर्ष का अनुभव	(क) नहीं (ख) नहीं, किन्तु किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से सिविल अभियंता की डिग्री या अनिवार्य है। (ग) नहीं	02	31. दिसं. 06 तक सोपी भर्ती द्वारा 33. 1/3% पदेनिति द्वारा 66. 2/3% 31. दिसं. 06 के पश्चात सोपी भर्ती द्वारा 66. 2/3% पदेनिति द्वारा 33. 1/3%	सहायक अभियंता (सिविल)/ सहायक वास्तुविद् तथा विज्ञान अधिकारी के पद से जो उस श्रेणी में रु. 8600-14600 के वेतनमान में 3 वर्ष की सेवा में हों उन्हें पदेनिति प्रयोजन की जाती है।	13

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	नया सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों के मामले में (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएँ (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन/प्रति-नियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परिचीन्ना की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति ((कया सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति/ विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद श्रेणियाँ जिससे ऐसा किया जाना है।	अभ्युक्तिता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	मुख्य अफिसरी अधिकारी	01	प्रथम श्रेणी (विभाग प्रमुख)	रु. 20500 -500 - 26500	चयन	50	i. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय एम. बी. बी. एस. की डिग्री हो। ii. किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से विक्रित्सा में अनुस्नातक डिग्री हो। iii. किसी अस्पताल में 16 वर्ष का योग्यता के उपरान्त अनुभव हो।	(क) नहीं (ख) हाँ (ख) नहीं	लागू नहीं	निम्नलिखित पद्धति से विलयन द्वारा ऐसा न हो पाने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा तय इन दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	निम्नलिखित पद्धति द्वारा विलयन हेतु, महा पत्तन न्यास के विक्रित्सा विभाग में सदस्य पद धारित अफिसरी या द्वितीय प्रवर्ग पोस्ट में मुख्य विक्रित्सा अफिसरी के पद पर उस श्रेणी में 2 वर्ष की नियमित सेवा की हो अथवा ऐसे पदधारित अफिसरी जो उस श्रेणी में रु. 17500-22300 के वेतनमान में 4 वर्ष की नियमित सेवा में है अथवा ऐसे पद धारित अफिसरी जो उस श्रेणी में रु. 16000-20800 के वेतनमान में 5 वर्ष की नियमित सेवा में है तो उसे यंत्र माना जाएगा। प्रतिनियुक्ति हेतु, सरकारी/अर्धसरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों या स्वायत्त निकायों के विक्रित्सा विभाग में सदस्य पद धारित अफिसरी या मुख्य विक्रित्सा अफिसरी के और उसके समकक्ष पद धारित जो उस श्रेणी में रु. 18500-23900 के वेतनमान सहित 2 वर्ष की नियमित सेवा में हो या ऐसे अफिसरी जो उप मुख्य विक्रित्सा अफिसरी और उसके समकक्ष विशेष पदों पर उस श्रेणी में रु. 16000-20800 तथा उसके अधिक वेतनमान सहित 5 वर्ष की नियमित सेवा में कार्यरत हो तो पद छोड़ने। योग्यता के आधार पर चयन होगा जिसके लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के सकल श्रेणीकरण के अनुसार निर्देश-विहित "बहुत अच्छा" से कम नहीं होना चाहिए।	13

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों के मामले में (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएं (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन/प्रति-नियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परिवीक्षा की अवधि	भर्ती की पद्धति ((क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति/ विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद श्रेणियाँ जिन्हें ऐसा किया जाना है।	अभ्युक्तिता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	वरिष्ठ उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी	02	प्रथम श्रेणी	16000 -400 - 20800	चयन	45	<p>i. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय एम बी बी एस की डिग्री हो।</p> <p>ii. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से चिकित्सा में किसी विनिर्दिष्ट विशेषज्ञता में अनुस्नातक डिग्री हो।</p> <p>iii. किसी अस्पताल में सुसंगत विशेषज्ञता के क्षेत्र में 10 वर्ष का योग्यता के उपरान्त अनुभव हो।</p>	(क) नहीं (ख) हाँ (घ) नहीं	लागू नहीं	मिश्रित पद्धति से विलयन द्वारा ऐसा न हो पाने पर अन्य सरकारी संगठनों से प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा इन दोनों के न हो पाने पर सीधी भर्ती द्वारा	मिश्रित पद्धति द्वारा विलयन हेतु, महा पतन न्यास के चिकित्सा विभाग में सदृश पद धारित अधिकारी या उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ) के पद तथा चिकित्सा विभाग में समकक्ष विशेषज्ञ पदों पर उस श्रेणी में रु. 13000-18250 के वेतनमान सहित 3 वर्ष की सेवा में हो अथवा चिकित्सा विभाग में उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ) के पद तथा समकक्ष विशेषज्ञ पदों पर उस श्रेणी में 2 वर्ष की सेवा की हो तथा चिकित्सा विभाग के विशेषज्ञ के तौर पर उस श्रेणी में रु. 10759-16750 एवं रु. 13000-18250 के वेतनमान में 7 वर्ष की संयुक्त सेवा में हो तो उसे पत्र माना जाएगा। प्रतिनियुक्ति हेतु, सरकारी/अर्धसरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों या स्वायत्त निकायों के चिकित्सा विभाग में सदृश पद धारित अधिकारी या उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ) के और उसके समकक्ष विशेषज्ञ पदधारित अधिकारी जो उस श्रेणी में रु. 13000-18250 के वेतनमान सहित 3 वर्ष की सेवा में कार्यरत हो तो पत्र होंगे। योग्यता के आधार पर चयन होगा जिसके लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के सकल श्रेणीकरण के अनुसार निर्देश-विहित न्युनतम अंक से कम नहीं होना चाहिए।	

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों के मामले में (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएं (ग) अनुभव प्रेन्तिस/विलयन /प्रतिनियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परिवीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की प्रकृति ((क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रेन्तिस/ विलयन /प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	12	13
45	उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सामान्य ड्यूटी)	01	प्रथम श्रेणी	13000-350-18250	चयन	42	<p><u>अनिवार्य:</u></p> <p>i. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.बी.बी.एस. की डिग्री हो अथवा उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (इन्त्य) हेतु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.डी.एस की डिग्री हो।</p> <p>ii. एक वर्ष के इन्टर्शिप पूर्ण होने के पश्चात अस्पताल में 9 वर्ष का अनुभव।</p> <p><u>वांछनीय:-</u></p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से चिकित्सा में अनुस्नातक डिग्री हो।</p>	(क) नहीं (ख) हाँ (ख) नहीं	2	प्रेन्तिस द्वारा ऐसा न हो पाने पर विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा इन दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	ऐसे वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (सामान्य ड्यूटी) जो उस श्रेणी में रु.10750-16750 के वेतनमान सहित 4 वर्ष की सेवा में हो, ऐसा न हो पाने पर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (सामान्य ड्यूटी) जो उस श्रेणी में रु.10750-16750 के वेतनमान में वर्ष की सेवा में हो, और रु.9100-15100 तथा 10750-16750 के वेतनमान में संयुक्त सेवा में हो उन्हें प्रेन्तिस प्रदान की जाती है।	अभ्युक्तियों

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	वर्ष या अर्धवर्ष	सही गर्त करी उभीएवगरी के लिए अधिकतम अनुसूची में (वर्षों में)	सही गर्त करी उभीएवगरी के लिए अन्य क्षेत्रों में (क) अनुसूची (ख) शैक्षणिक अधिकारी (ग) अनुसूची प्रोन्नति/विलयन /प्रति-निवृत्ति की स्थिति में लागू होगी।	परिवर्तन की अवधि (वर्षों में)	गर्त की पद्धति ((एक सही गर्त - सही अन्य प्रोन्नति/ विलयन/प्रतिनिवृत्ति द्वारा होगी)	प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनिवृत्ति द्वारा गर्त की स्थिति में वे पद-श्रेणियाँ किन्से ऐसा किया जाना है।	अनुसूचित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	उप मुख्य अधिकारी (विशेषज्ञ)	01	प्रथम श्रेणी	रु. 13000 -350 - 18250	वर्ष	42	i. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.बी.डी.एस की डिग्री हो ii. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बिक्री-सूची में किसी विशिष्ट विशेषज्ञता में अनुसूचित डिग्री हो। iii. किसी प्रतिष्ठित अस्पताल में सुसंगत विशेषज्ञता के क्षेत्र में 7 वर्ष का कोचता के उपरान्त अनुभव हो।	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	2	पदे-नति द्वारा ऐसा न हो तो विलयन/ प्रतिनिवृत्ति द्वारा, इन दोनों के न हो पने पर सही गर्त द्वारा।	ऐसा बरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ) जो उस श्रेणी में रु. 10750-16750 के वेतनमान में 4 वर्ष की सेवा में हो, ऐसा न हो पने पर बरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (सा.ड्यूटी) जो सुसंगत विशेषज्ञता के क्षेत्र में अनुसूचित कोचता प्राप्त हो और जो उस श्रेणी में 4 वर्ष की सेवा में हो उन्हें पदे-नति प्रदान की जाती है। मात्र पदान न्यास के ऐसे सपरा पद धारित अधिकारी या बरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ) के किन्हेने उस श्रेणी में रु. 10750-16750 के वेतनमान सहित 4 वर्ष की सेवा की हो, का विलयन/प्रतिनिवृत्ति होगी।	

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	क्या सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों के मामले में (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएँ (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन/प्रति-नियुक्ति की स्थिति में लागू होंगी।	परिष्कार की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति/विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	प्रोन्नति/विलयन/प्रति-नियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद श्रेणियाँ जिनसे ऐसा किया जा सकता है।	आयुवर्ग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (सामान्य रूग्ण)	02	ग्राम श्रेणी	रु. 10750-300-16750	चयन	40	<p>अनिवार्य:-</p> <ol style="list-style-type: none"> किसी मान्यता प्राप्त चिकित्साशास्त्र से एम बी बी एस की डिग्री से अथवा चिकित्सा अधिकारी (स्लक) हेतु, किसी मान्यता प्राप्त चिकित्साशास्त्र से बी.डी.एस की डिग्री हो। एक वर्ष के इंटर्नीप पूर्ण होने के पर्यन्त अस्पताल में 5 वर्ष का अनुभव। <p>शर्तियाँ:-</p> <ol style="list-style-type: none"> किसी मान्यता प्राप्त चिकित्साशास्त्र से विशेषज्ञता में चिकित्सा अनुसन्तक डिग्री हो। 	(क) नहीं (ख) हाँ (घ) नहीं	2	प्रोन्नति द्वारा ऐसा न हो तो विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, इन दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	ऐसा चिकित्सा अधिकारी के जो उस श्रेणी में रु. 9100-15100 के वेतनमान सहित 5 वर्ष की सेवा में हों, उन्हें प्रोन्नति प्रदान की जाती है। मरु पतन न्यास के ऐसे सदृश पद धारित अधिकारी या संभक्त पद धारित अधिकारी जिन्हें उच्चतम अनुभव से उक्त विलयन/प्रतिनियुक्ति होगी।	

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों के मामले (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएं (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन प्रति-नियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परिक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति ((क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति/ विलयन प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-श्रेणियाँ जिनसे ऐसा किया जाना है।	अयुक्तियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ)	02	प्रथम श्रेणी	रु.10750 -300 - 16750	लागू नहीं	40	अनिवार्य: 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.बी.बी.एस की डीग्री से अथवा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (दन्त्य) हेतु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.डी.एस की डीग्री से। ii. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विशेषज्ञता के तौर पर चिकित्सा में अनुस्नातक डिग्री हो। iii. किसी अस्पताल में सुसंगत विशेषज्ञता के क्षेत्र में 3 वर्ष का योग्यता के उपरांत अनुभव हो।	(क) नहीं (ख) हाँ (ख) नहीं	2	सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं	

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	प्रारंभिक वेतन	वृत्त	श्रीधी भर्ती होने वाले श्रीधीद्वारों के लिए अग्रणी श्रीधीद्वारों के लिए अग्रणी श्रीधीद्वारों के लिए अग्रणी	श्रीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	श्रीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों के मापले (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएं (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन /प्रतिनियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परिक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की प्रकृति ((क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति / विलयन /प्रतिनियुक्ति द्वारा - होगी)	प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-श्रेणियाँ किन्से ऐसा किया जाना है।	अध्युक्तियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
49	चिकित्सा अधिकारी	7	एसएस एमसी	रु. 9,181-350-15,100	रु. 3,000	35	अभियुक्तः i. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम बी बी एस की डिग्री के अग्रणी ब्रिटिश चिकित्सा अधिकारी (स्त्र) हेतु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.डी.एस की डिग्री हो। ii. एक वर्ष के इन्टरमीडियेट पूर्ण होने के पश्चात् अस्पताल में। वर्ष का अनुभव। श्रेणियाँ:- किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से चिकित्सा के क्षेत्र पर लिखित में अनुभवक डिग्री हो।	लागू नहीं	2	सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं		

क्रम सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अचयन पर	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों के मामले में (क) आयु (ख) शैक्षणिक आर्हताएं (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन/प्रति-नियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परिक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति/विलयन प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	प्रोन्नति/विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-श्रेणियाँ जिनसे ऐसा किया जाना है।	अप्युक्तियाँ
1												
50	मुख्य सतर्कता अधिकारी	1	प्रथम श्रेणी (विभाग प्रमुख)	लागू नहीं	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	अखिल भारतीय/केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा।	12 ऐसे अधिकारी जो भारत सरकार के निदेशक/उप सचिव स्तर पर नियुक्ति हेतु पात्र हैं	13 सीकीवी/डीकोपी एन्टटी द्वारा जारी मार्गचित्रिकाओं के अनुसार प्रतिनियुक्ति अवधि

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अवयव पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	द्वारा सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों के मामले में (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएँ (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन /प्रति-नियुक्ति में स्थिति में लागू होंगे।	परीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति ((सूची सीधी भर्ती - क्षेत्री अथवा प्रोन्नति / विलयन /प्रतिनियुक्ति द्वारा - क्षेत्री)	प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-श्रेणियाँ जिनसे ऐसा किया जाना है।	अभ्युक्तियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	उप मुख्य सतर्कता अधिकारी	1	प्रथम श्रेणी	रु.13000-350-18250	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	2 वर्ष	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण संबंधी मिश्रित पद्धति द्वारा।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण/केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/अर्ध सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम अथवा स्वायत्त शासी निकायों के ऐसे सदस्य पद धारित अधिकारी अथवा ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में रु.10750-16750 के वेतनमान में चार वर्षों की निवृत्त सेवा की हो देखा न हो पाने पर ऐसे अधिकारी जिन्होंने रु.10750-16750 तथा रु.9100-15100 के वेतनमान में 9 वर्ष की संयुक्त सेवा में हो। सतर्कता संबंधी कार्य का अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को प्राथमता दी जाएगी।	सामान्यतया यह प्रतिनियुक्ति 3 वर्षों के लिए होगी और यह किसी भी स्थिति में पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अवधन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों के मामले (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएं (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन प्रति-नियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परिवीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति/विलयन प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	प्रोन्नति/विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-श्रेणियाँ जिन्हें ऐसा किया जाना है।	अभ्युक्तियों
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	मुख्य प्रचालन प्रबंधक	1	प्रथम श्रेणी (विभाग प्रमुख)	रु. 20500 - 500 - 26500	चयन	45	<u>अर्हताएं:</u> अभियंत्रिकी में डिग्री, एम.ओ.टी प्रथम श्रेणी की सक्षमता प्रमाणपत्र, बिस्व शांती जहाज के मास्टर की सक्षमता प्रमाणपत्र धारित मास्टर मरीनर अथवा किसी भी शाखा में अनुस्नातक, सी.ए. / आरसीडब्ल्यूआर सहित डिग्री अथवा में डिग्री सहित अथवा त्रैमिक विधि/व्यावहारिक प्रबंधन में अनुस्नातक डिप्लोमा अनुभव: किसी महापत्तन न्याय/सरकारी अथवा अर्धसरकारी विभाग/सार्वजनिक उपक्रम अथवा स्वायत्त शासी निकाय में अभियंत्रिकी/समुद्री/प्रशासन/वित्त में कार्यपालक प्रवर्ग में 17 वर्षों का अनुभव	(क) नहीं (ख) हैं (ख) नहीं	लागू नहीं	मिश्रित पद्धति से विलयन द्वारा ऐसा न हो पाने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा इन दोनों के न हो पाने पर सीधी भर्ती द्वारा	मिश्रित पद्धति द्वारा विलयन हेतु, महापत्तन न्याय के सदृश पद धारित अधिकारी या ऐसे पदधारित अधिकारी जिन्हें रु. 17500-400-22300 के वेतनमान में 4 वर्षों का अनुभव है अथवा ऐसे अधिकारी जिन्हें रु. 16000-400-20800 के वेतनमान में 5 वर्षों का अनुभव है अथवा ऐसे अधिकारी जिन्हें रु. 10750-300-16750 तथा उससे अधिक के वेतनमान में 8 वर्षों का अनुभव है तो उसे प्राथम माना जाएगा। प्रतिनियुक्ति हेतु, किसी महापत्तन न्याय/सरकारी अथवा अर्धसरकारी विभाग/सार्वजनिक उपक्रम अथवा स्वायत्त शासी निकाय में के सदृश पद धारित अधिकारी या ऐसे पद धारित जो उस श्रेणी में रु. 18500-23900 के वेतनमान सहित 2 वर्ष की सेवा में हो या ऐसे अधिकारी जो उस श्रेणी में रु. 16000-20800 तथा उससे अधिक वेतनमान सहित 5 वर्ष की सेवा में कार्यरत हो तो प्राथम होंगे। योग्यता के आधार पर चयन होगा जिसके लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के संकलन श्रेणीकरण के अनुसार निर्देश-विहित "बहुत अच्छा" से कम नहीं होना चाहिए	

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वैतनमान (रु.)	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों के मामले (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएं (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन /प्रति-नियुक्ति की स्थिति में लागू होंगी।	परिक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति ((क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति / विलयन /प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-श्रेणियाँ जिनसे ऐसा किया जाना है।	अभ्युक्तिता
1	53	उप संचालक	1	रु. 20500 - 500 - 28500	चयन	50	1. भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा प्रदत्त किदेश गांधी जहाजों के मास्टर संबंधी उन्नतता - प्रमाणपत्र जारी हो या भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त सम्बन्ध योग्यता 2. पार्लियामेंट संबंधी अनुज्ञापित धारक हो तथा या तो पार्लियामेंट या संघीय में दस वर्ष का अनुभव हो	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	लागू नहीं	मिश्रित पद्धति से विलयन द्वारा ऐसा न हो पाने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा त था इन दोनों के न हो पाने पर सीधी भर्ती द्वारा	मिश्रित पद्धति द्वारा विलयन हेतु, महा पसन न्यास के ऐसे संस्था पद धारित अधिकारी या द्वितीय प्रवर्ग पोर्टों में उप संचालक पद पर हो या प्रवर्ग I के पोर्टों में हार्बर मास्टर के पद पर उस श्रेणी में रु. 18500-23900 के वेतनमान में 2 वर्ष की नियमित सेवा में हो अथवा ऐसे हार्बर मास्टर के पद धारित अधिकारी जो उस श्रेणी में रु. 17500-22300 के वेतनमान में 4 वर्ष की नियमित सेवा में हो तबसे फल माना जाएगा। प्रतिनियुक्ति हेतु सरकारी / अर्धसरकारी / सार्वजनिक उपक्रमों या स्वायत्त निकायों में संस्था पद धारित अधिकारी या उप संचालक पद पर और उसके सम्बन्ध डेक साइड पद धारित जो उस श्रेणी में रु. 18500-22300 के वेतनमान सहित 2वर्ष की नियमित सेवा के ग्रेड में हो या हार्बर मास्टर के पद धारित अधिकारी और उसके सम्बन्ध डेक साइड पद धारित अधिकारी जो रु. 17500-22300 के वेतनमान सहित 4 वर्ष की नियमित सेवा के में कार्यरत हो तो फल होंगे। योग्यता के आधार पर चयन होगा जिसके लिए वार्षिक पोपनीव रिपोर्ट के सकल श्रेणीकरण के अनुसार निर्देश चिह्न "बहुत अच्छा" से कम नहीं होना चाहिए।।	13

[फा. सं. पी आर-12012/16/2004-पी ई-1]

राकेश श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

याद दिव्यणी : यह प्रमुख विनियम सा.का.नि. सं. 304 दिनाक 29.2.1964 और नत्पश्चात् सा.का.नि. सं. 871 (ई) दिनाक 26.10.1990 द्वारा प्रकाशित हुए हैं ।

(ख). कडला पोर्ट ट्रस्ट (विभाग प्रमुखां की भर्ती) विनियम, 1991 ।

पाद दिव्यणी:- यह प्रमुख विनियम सा.का.नि. सं. 83 (ई) दिनाक 20.2.1991 और नत्पश्चात् संशोधन

सा.का.नि. सं. 628 (ई) दिनाक 14.10.1991

सा.का.नि. सं. 760 (ई) दिनाक 08.09.1992

सा.का.नि. सं. 798 (ई) दिनाक 23.10.2001 द्वारा प्रकाशित हुए हैं ।

MINISTRY OF SHIPPING

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th October, 2009

G.S.R. 767(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kandla Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2009 made by the Board of Trustees of Kandla Port Trust as set out in the Schedule annexed to this Notification.

The said regulations shall come into force from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

KANDLA PORT TRUST

Kandla Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2009

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Kandla Port Trust hereby makes the following regulations further to amend the Kandla Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 1964 as amended from time to time.

These Regulations may be called the Kandla Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2009.

**KANDLA PORT TRUST EMPLOYEES (RECRUITMENT,
SENIORITY AND PROMOTION) REGULATIONS, 2009.**

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of Kandla Port hereby makes the following regulations, namely

1. Short Title and Commencement:

(1) These Regulations may be called the Kandla Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2009.

(2) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government as required under the provisions of Section 124 and 132 of Major Port Trusts Act, 1963 in the Gazette of India.

2. Application

These regulations shall apply to all posts created under Section 27 of the Act under the Board including those covered by clause (a) of sub-section (1) of section 24 of the Act.

3. Definition

In these regulations, unless the context otherwise requires

- (a) "Act" means the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963).
- (b) "Analogous post" means a post of which the duties and level of responsibilities and the pay ranges are comparable to those of the post to which selection is to be made.
- (c) "Appointing Authority" in relation to any grade or post means the authority empowered under the Kandla Port Trust Employees (Classification, Control and Appeal) Regulations, 1964, to make appointment to that grade or post.
- (d) "Board", "Chairman", "Deputy Chairman" and "Head of Department" have the meanings respectively assigned to them under the Act.
- (e) "Class I Posts", "Class II Posts" "Class-III posts" and "Class-IV posts" shall have the same meaning as assigned to them in Regulation 4 of the Kandla Port Trust Employees (Classification, control and Appeal) Regulations, 1964
- (f) "Departmental Promotion Committee" means a Committee constituted from time to time under regulation 26 for the purpose of making recommendation for promotion to or confirmation in any grade or post.
- (g) "Direct Recruit" means a person recruited on the basis of a competitive examination or test and/or interview by Services Selection Committee.

- (h) "Employee" means an employee of the Board.
- (i) "Grade" means any of the grades specified in the Schedule of Employees prepared and sanctioned under Section 23 of the Act.
- (j) "Lien" means the title of an employee to hold on regular basis, either immediately or on the termination of a period or periods of absence, a post to which he has been appointed on regular basis and on which he is not on probation.

Provided that the title to hold a regular post shall be subject to the condition that the junior most person in the grade will be liable to be reverted to the lower grade if the number of persons so entitled is more than the posts available in that grade.

- (k) "Permanent Employee" means an employee who has been substantively appointed to a permanent post.
- (l) "Schedule" means the Schedule appended to these regulations.
- (m) "Scheduled Castes" and "Scheduled Tribes" shall have the meanings respectively assigned to them in Clauses (24) and (25) of article 366 of the Constitution of India.
- (n) "Select List" in relation to any grade or post means the select list prepared in accordance with regulation 13 for that grade or post.
- (o) "Selection Post" means a post declared as such under regulation 5 of these regulations.
- (p) "Services Selection Committee" means the Committee constituted under regulation 12 for the selection of candidates by means of a written test, a trade test and/or interview for appointment to posts reserved for direct recruitment.
- (q) "Temporary Employee" means an employee holding a temporary post or officiating in a permanent post or on probation in his appointment in the service of the Board.

4. MANNER OF APPOINTMENT

All appointments to the posts to which these regulations apply shall be made in accordance with the provisions of these regulations. Appointment may be made either by promotion or by absorption or deputation or direct recruitment. Deputation will be of employees from the major Port, Central Govt., State Govts., autonomous bodies, Govt. Companies fulfilling the criteria of eligibility prescribed for the post. The normal period of deputation is 3 years which is extendable to four years. In exceptional circumstances, this can be extended to five years.

"Provided that the appointment in respect of posts treated as Heads of Department and posts one level below the HoD, all the vacancies shall be

filled by "Composite method of recruitment " i.e. through promotion / transfer / deputation on absorption basis failing which deputation and failing both by direct recruitment. The promotion / transfer on absorption will be from the officers from Major Port Trusts fulfilling the criteria of eligibility prescribed in the schedule annexed to the regulation".

5. SCHEDULES

The manner of appointment i.e. whether by direct recruitment or by departmental promotion or absorption or deputation, the qualification, age, education, training, requirements of experience, classification of posts as selection posts or non - selection posts and other matters connected with the appointments to various posts shall be shown in the Schedule annexed to these Regulations in respect of Class-I posts. In respect of Class-II, Class-III and Class-IV posts the manner of appointment shall be as laid down by the Board from time to time. The Schedule shall also show the authorised permanent and temporary strength of the various grades as shown in the Schedule of Employees prepared under the provisions of Section 23 of the Major Port Trusts Act, 1963. This strength is liable to change from time to time under the provision of Section 27 of the Major Port Trusts Act, 1963. The eligibility requirements prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotion to the extent mentioned in Column 9 of the schedule and requirement of experience for promotion will be as prescribed in Column 12 of the schedule.

Provided that the prescribed upper age limits may be relaxed by the Central Govt. in case of HODs and by Chairman in all other cases for reasons to be recorded in writing for direct recruitment / absorption / deputation as under:-

- (i) upto 5 years where the minimum experience prescribed is 10 yrs. or more and upto 3 yrs where the minimum experience prescribed is 5 to 9 yrs.
- (ii) in the case of a candidate who is an ex-serviceman, i.e. ex-employee of India's Defence Forces, and who has put in not less than 6 months continuous service in the Defence Forces. upto the extent of the service rendered by him in the Defence Forces plus three yrs. where the vacancy to be filled is a vacancy reserved for such ex-servicemen and dependants of those killed in action and upto the extent of the service rendered by him in the Defence Forces, where the vacancy to be filled is an unreserved vacancy; and
- (iii) in the case of a candidate belonging to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribes or other Backward Classes in accordance with such orders as the Central Government may issue from time to time in this regard.

Provided further that the requirement of experience is relaxable at the discretion of the Central Govt. in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Central Govt. is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

6. ROSTER OF VACANCIES

A roster shall be maintained for each grade to show whether a particular vacancy should be filled by direct recruitment or promotion. However, if a vacancy which is reserved for direct recruitment cannot be filled by direct recruitment, it may be filled by promotion and the next vacancy shall be filled by direct recruitment. Similar practice can be followed in the case of a vacancy reserved for promotion but cannot be filled by promotion method.

7. RESERVATION

(1) Orders issued by the Central Government from time to time for reservation of posts under it, whether to be filled by direct recruitment or promotion in favour of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall apply mutatis mutandis to all appointments covered by these regulations.

(2) Orders issued by the Central Government from time to time for the reservation of posts under it in favour of other backward classes, ex-servicemen and dependants of those killed in action, Sportsmen and physically handicapped persons shall also apply mutatis mutandis to appointments covered by these regulations and to which direct recruitment is made.

8. NATIONALITY, CHARACTER, PHYSICAL FITNESS ETC. FOR DIRECT RECRUITMENT:

(1) In order to be eligible for direct recruitment to any grade or post, a candidate must be-

- (a) a Citizen of India; or
- (b) a subject of Nepal; or
- (c) a subject of Bhutan; or
- (d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or

- (e) A person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or the East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to category (a) shall produce such proof of his nationality as the Chairman may, from time to time require. Provided further that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India;

Provided also that a candidate in whose case the proof of nationality or a certificate of eligibility is necessary may be provisionally appointed, pending the production by him of the necessary certificate in his favour from the Central Government, as the case may be. In such cases the provisional appointment shall not exceed a period of one year.

(2) The Chairman may, with the prior approval of the Central Government, modify or waive any of the requirements of sub regulation (1) when an appointment for work of a special nature is to be made and it is not practicable to obtain a suitable candidate who fulfils the requirements of these regulations.

(3) No person,

- (a) Who has entered into or contracted a marriage with person having a spouse living; or
- (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

Shall be eligible for appointment to any grade or post to which these regulations apply;

Provided that the Central Govt. in case of HODs and Chairman in all other cases may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this sub regulation.

(4) A candidate must satisfy the appointing authority that his character and antecedents are such as to make him suitable for appointment to any grade or post. No candidate who has been convicted by a Court of Law for an offence involving moral turpitude or who has been adjudged as an insolvent shall be eligible for appointment to a grade or post.

(5) A candidate shall be in good mental and physical health and free from any physical defects likely to interfere with the discharge of his duties as an employee of the Board. A candidate, who after such medical examination as the Central Govt. in case of HODs and Chairman in all other cases may specify, is found not to satisfy those requirements shall not be appointed.

(6) If any question arises whether a candidate does or does not satisfy all or any of the requirements of this regulation, the same shall be decided by the Central Govt. in case of HODs and Chairman in all other cases.

9. ELIGIBILITY OF EXISTING EMPLOYEES FOR DIRECT RECRUITMENT.

When the posts required to be filled by direct recruitment are advertised, employees already in service may also apply, provided they possess the prescribed qualifications and experience. Age limit in such cases will not apply.

10. ADVERTISEMENT OF VACANCIES

(1) Vacancies of Class-III and Class-IV posts to be filled by direct recruitment shall be notified to the local Employment Exchange. In case sufficient number of eligible and suitable candidates are not available, the vacancies be advertised in Newspapers published within the State. Class-I and Class-II posts intended to be filled by direct recruitment shall be advertised in national and local dailies and / or Employment News.

(2) The crucial date for determining the qualification, experience and age shall be the first day of the month in which the post is notified / advertised unless otherwise specified.

11. CONDUCT OF WRITTEN OR SKILL TESTS IN CERTAIN CASES:-

The Appointing Authority may decide whether a written or a skill test or both should be held and also name the officer who should hold the said test and the manner in which the test should be held and other details thereof fit shall be open to the Appointing Authority to engage a consultant or a firm of consultants to conduct a written or skill test.

12. SERVICES SELECTION COMMITTEE:

(1) There shall be a Services Selection Committee for each grade or post, as mentioned in sub regulation (2) to conduct interviews of eligible candidates for making selection of candidates for appointment to different posts by direct recruitment.

(2) The category of posts and the composition of the Services Selection Committees referred to in sub regulation (1) shall be the following, namely;

a) For HODs

- | | |
|--|------------|
| Joint Secretary (Ports) of the Ministry of Shipping | - Chairman |
| Chairman / Dy.Chairman(in absence of Chairman of the Port) | - Member |
| Any other Port Chairman or an officer having wide experience in the field to be nominated by the Ministry of Shipping. | - Member |
| Representative of SC/ST and OBCs nominated by the Ministry of Shipping | - Member |

b) For Class I posts

- | | |
|--|------------|
| i) Chairman / Dy.Chairman | - Chairman |
| ii) Deputy Chairman | - Member |
| iii) HOD in charge of the Department in which the vacancy occurs | - Member |
| iv) HOD in charge of the Personnel | - Member |
| v) Representative of SC/ST and OBCs nominated by the Chairman | - Member |

c) For Class II posts

- | | |
|---|------------|
| i) Deputy Chairman | - Chairman |
| ii) Head of the Department in which the vacancy arises | - Member |
| iii) Head of the Department in charge of Personnel | - Member |
| iv) Representative of SC/ST and OBCs Nominated by the Chairman. | - Member |

d) For Class-III and Class-IV posts (Common Categories)

- | | |
|--|------------|
| i) Deputy Chairman or in his absence, HOD nominated by the Chairman of the Board | - Chairman |
| ii) HOD in charge of Personnel | - Member |
| iii) A senior officer in the grade not below Rs. 16000-400-20800 to be nominated by the Chairman | - Member |
| iv) Representative of SC/ST and OBCs nominated by the Chairman | - Member |

e) **For Class-III and Class-IV posts (Uncommon Categories)**

- | | | |
|------|--|------------|
| i) | HOD, where the vacancy arises | - Chairman |
| ii) | HOD in charge of the Personnel | - Member |
| iii) | A senior officer of the concerned Division
in the grade not below Rs. 16000-400-20800
to be nominated by the Chairman. | - Member |
| iv) | Representative of SC/ST and OBCs
nominated by the Chairman | - Member |

The Appointing Authority may also nominate any person not in the service of the Board to be a member of a Services Selection Committee if such a person is specialised in the relevant field. Where any member of a Services Selection Committee is not available, the Appointing Authority may nominate another officer of appropriate level in his place to attend the meeting.

- (3) Where recruitment to vacancies in grades common to more than one department is made in a common selection, the composition of the committee shall be decided by the Chairman in each case.

13. **SELECT LIST**

The Services Selection Committee may recommend, in the order of merit, as adjudged by it, the names of the selected candidates to be kept on a select list for consideration of appointment to posts earmarked for direct recruits. Such a list shall be deemed to be valid for a period of 12 months from the date on which the list is approved by the Appointing Authority. It is open to the Appointing Authority to extend the validity of the list for a period not exceeding six months or until a fresh select list is approved whichever is earlier.

14. **CONSIDERATION OF RECOMMENDATIONS OF SERVICES SELECTION COMMITTEE AND ADHOC APPOINTMENTS**

All appointments by direct recruitment shall be made by the Appointing Authority on the recommendations of the concerned Services Selection Committee.

Provided that it shall be open to the Appointing Authority, for reasons to be recorded in writing, not to accept the recommendations of Services Selection Committee.

Provided further that where the Appointing Authority is an authority subordinate to the Chairman and the authority disagrees with such recommendations in any case, it shall record its reasons for such disagreement and submit the case to the Chairman who shall decide the same.

Provided also that in the case of a purely temporary post, a leave vacancy or a vacancy earmarked for direct recruitment requiring immediate filling up, the Chairman may appoint a person who is eligible to fill the vacant post for a period of six months at a time and not exceeding one year on adhoc basis subject to the condition that:

- 1) Ad-hoc appointment, where unavoidable, should be made only strictly subject to fulfilling the qualifications, experience provided in the RRs.
- 2) Total period of appointment to a temporary post will not exceed the tenure of the post.
- 3) In other cases the temporary appointment should be replaced by a regular appointment from the select list as soon as possible.

15. CANVASSING SUPPORT A DISQUALIFICATION

Any endeavor on the part of a person to canvass support by direct or indirect method for appointment to a post or for promotion to a higher post shall disqualify for the appointment or promotion.

16. SUPPRESSION OF FACTS A DISQUALIFICATION

Any candidate who is found to have knowingly furnished any particulars which are false or have suppressed material information of a character, which if known would ordinarily have debarred him from getting an appointment to a grade or post, is liable to be disqualified, and, if appointed, to be dismissed from service.

17. CANCELLATION OF APPOINTMENT ORDER

If a candidate selected for the post earmarked for direct recruits fails to join duty within the date mentioned in the offer of appointment and where no such date is mentioned, within 30 days of the date of issue of the offer of appointment or within such extended period as the Appointing Authority may agree, the offer of appointment shall be deemed to have been cancelled.

18. PAYMENT OF TRAVELLING ALLOWANCE FOR ATTENDING INTERVIEW

In the case of posts filled by direct recruitment, all journeys which the candidates (including persons already in the service of the Board) may have to perform for the purpose of written and practical tests or interviews shall be at their own cost. However, candidates belonging to Scheduled Castes or the Scheduled Tribes called for written or trade tests or interview shall be granted travelling allowance equal to first class rail fare by shortest practicable route both ways on production of proof to the effect that he has actually performed the inward journey.

19. PROBATION PERIOD

(1) Every person appointed to a post of direct recruitment or promotion or absorption shall, subject to the provisions of sub-regulation (2) and (3), be on probation for a period of two years except in case of persons appointed on absorption basis through composite method of recruitment in the posts of HODs and Dy. HODs carrying the scales of pay of Rs. 16000-400-20800 and above.

Provided that where the appointment itself is for a period specified in the appointment order, such appointment shall stand terminated on the expiry of such period, unless such period is extended by the appointing authority.

Provided that, when the appointment is made by the direct recruitment and the post carries a scale of pay, the maximum of which does not exceed Rs.11,975/-, the period of probation shall be one year.

Provided that, there shall not be any probation in case of appointment by promotion within Class-III and Class-IV grades.

Provided further that, if an employee on probation to a grade or post is appointed to officiate in a higher grade or post, he shall be eligible to count the duration of his appointment to a higher grade or post to complete probation in his lower grade or post. Similarly, if an employee has previously been appointed to officiate in a grade or post, he may on appointment to the similar grade or post on probation will be eligible to count such officiating period (excluding Ad-hoc service) to complete probation in the grade or post.

(2) The period of probation may, if the appointing authority deems fit, be extended for a specific period at a time, but the total period of such extensions shall not, save where any extension is necessary by reason of any

departmental or legal proceedings pending against the employee, exceed one year.

(3) During the period of his probation an employee may be required to undergo such departmental training and pass such departmental tests as the appointing authority may, from time to time, specify in this behalf.

20. CONFIRMATION OF EMPLOYEES ON PROBATION

(1) General

(i) Confirmation will be made only once in the service of an employee which will be in the entry grade.

(ii) Confirmation is delinked from the availability of permanent vacancy in the grade. In other words an officer who has successfully completed the probation may be considered for confirmation.

(2) Confirmation in the grade to which initially recruited

(i) As at present, the appointee should satisfactorily complete the probation.

(ii) The case will be placed before DPC (for confirmation).

(iii) A specified order or confirmation will be issued when the case is cleared from all angles.

(3) On Promotion

(i) If the recruitment rules do not prescribe any probation, an officer promoted on regular basis (after following the prescribed DPC, etc., procedure) will have all the benefits that the person confirmed in that grade would have.

(ii) Where probation is prescribed, the appointing authority will on completion of the prescribed period of probation assess the work and conduct of the officer himself and in case the conclusion is that the officer is fit to hold the higher grade, he will pass an order declaring that the person concerned has successfully completed the probation. If, work of the officer has not been satisfactory or needs to be watched for some more time, he may revert him to the post or grade from which he was promoted, or extend the period of probation as the case may be.

Since there will be no confirmation on promotion before an official is declared to have completed the probation satisfactorily, a rigorous screening of his performance should be made and there should be no hesitation to

revert a person to the post or grade from which he was promoted if the work of the officer during probation has not been satisfactory.

Confirmation of probationers : A person appointed against a permanent post as a direct recruit with definite conditions of probation is to be confirmed in the grade with effect from the date on which he successfully completed the period of probation. The decision whether he should be confirmed or his probation extended should be taken soon after the expiry of the initial probationary period, i.e., ordinarily within 6 to 8 weeks and communicated to the employee together with the reasons in case of extension. Even though the meetings of the DPC may be held after the termination of the period of probation of direct recruits, a person appointed against a permanent post with definite conditions of probation is to be confirmed in the grade with effect from the date on which he successfully completes the period of probation. A probationer who is not making satisfactory progress or who shown himself to be inadequate for the service should be informed of his shortcomings well before the expiry of the original probationary period so that he can make severe efforts at self-improvement.

In the case of probation, the Departmental Promotion Committee should not determine the relative grading of officers but only decide whether there should be declared to have completed the probation satisfactorily. If the performance of any probationer is not satisfactory, the DPC may advise whether the period of probation should be extended or whether he should be discharged from service.

21. DISCHARGE OR REVERSION OF EMPLOYEES ON PROBATION

- (1) If an employee on probation in his first appointment is not considered fit, on the basis of his conduct or performance, for confirmation at the end of the period of probation prescribed in regulation 19, he shall be discharged from the service of the Board.
- (2) If an employee on probation who holds a lien on a post and does not complete the period of probation as specified under Regulation 19 to the satisfaction of the appointing authority, he may be reverted to the post on which he holds a lien.
- (3) If an employee during the period of probation on a post is considered unfit for further retention in that post on the basis of performance or conduct or failure to pass the departmental test if prescribed, he shall be liable to be discharged from service at any time if he has no lien on any post or reverted to the post in which he holds a lien.

22. DEPARTMENTAL TEST FOR PROMOTION, CONFIRMATION IN CERTAIN CASES:

The Chairman may specify, from time to time, the posts, confirmation in or promotion to which shall be subject to the passing of a qualifying departmental test, if any. The Chairman may also specify, from time to time, the details of the qualifying departmental test such as the procedure for holding the test, the syllabus for the test, the intervals at which the test shall be held, the maximum period within which the test shall be passed by the candidates, etc.

23. REVERSION DUE TO FAILURE IN DEPARTMENTAL TEST

An employee promoted to a post shall pass such qualifying departmental test, if any, as may be specified by the Chairman from time to time, within such period, as may be specified by him failing which he employee shall be reverted. When the passing of a test is specified as a condition precedent to promotion to a higher post, no employee shall be considered for promotion to such a post, until he passes the prescribed test.

24. SENIORITY LIST

An up-to-date gradation list indicating the inter-se seniority of the employees shall be maintained for each grade. The list shall indicate separately the permanent and temporary employees in each grade. The list shall be circulated every year.

25. FIXATION OF SENIORITY

(1) The seniority of persons directly recruited to a grade and persons appointed on the basis of departmental promotion shall be assigned inter se seniority according to rotation of vacancies between direct recruits and promotees which shall be based on the quota of vacancies in the grade reserved for direct recruitment and promotion as indicated in the schedule. In cases where exchange of vacancies has been resorted to as per Regulation 6, the seniority will be as per the mode of filling up.

(2) Direct recruits shall be ranked inter-se in the order of merit in which they are placed in the select list on the basis of their performance in the examination or interview or both, the recruits of an earlier select list being ranked senior to those of a later select list.

(3) Persons appointed against promotion quota of vacancies shall be ranked inter-se according to the order in which they are approved for promotion by the Departmental Promotion Committee.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-regulations (1) to (3) above, the seniority already determined prior to the commencement of these regulations shall remain unaffected.

26. DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE

(1) There shall be a Departmental Promotion Committee for each grade or post to recommend a panel of employees for appointment to different posts by promotion in accordance with these regulations.

(2) The composition of the Departmental Promotion Committee will be the same as that of the Services Selection Committee as laid down in Regulation 12 and the validity of the panel shall be the same as mentioned in Regulation 13.

27. FIELD OF SELECTION FOR PROMOTION

(1) Where one or more posts in a grade are required to be filled by promotion through selection method from employees holding posts in the feeder grade in accordance with the prescribed recruitment rules employees holding the eligible posts and having the prescribed qualifications and experience for promotion shall be considered for promotion if they fall within the zone of consideration.

(2) The following procedure shall be observed while recommending employees for promotion through selection method:

a) The Departmental Promotion Committee (DPC) shall determine the merit of those being assessed for promotion with reference to the prescribed benchmark and accordingly grade the officers as 'fit' or 'unfit'. Only those who are graded 'fit' by the DPC shall be included and arranged in the select list in order of their inter se seniority in the feeder grade. Those Officers who are graded as 'unfit' by the DPC shall not be included in the select list.

b) The Departmental Promotion Committee shall also consider the cases of eligible employees who are on foreign service or on study leave.

c) The instructions issued by the Govt. from time to time on procedure to be followed in DPC proceedings in respect of Govt. servants shall mutatis mutandis apply.

Note:- For absorption to the post carrying pay scale of Rs.16000-400-20800 and above and for which composite method of recruitment is adopted, the benchmark in the overall grading shall be 'Very Good'. In all other cases, the benchmark shall be "Good".

(3) For promotion to non-selection posts, where no bench mark is specified, the criteria for selection shall be seniority-cum-fitness.

28. ADHOC APPOINTMENTS

In case of immediate necessity when a panel recommended by the Departmental Promotion Committee has been used up, the appointing authority may make a purely adhoc appointment to a post, by appointing the senior most eligible and suitable employee in the feeder grade or post up to a period of six months at a time and not exceeding one year or till a new panel is recommended by the Departmental Promotion Committee whichever is earlier. The ad-hoc appointment, where unavoidable, should be made only strictly subject to fulfilling the qualifications, experience provided in the RRs.

29. COMPASSIONATE APPOINTMENTS

Notwithstanding anything contained in these regulations, the Chairman may dispense with the normal procedure of recruitment prescribed in these regulations and appoint to a Class-III or Class-IV post the legitimate son or daughter or the surviving spouse of an employee of the board, who dies while in service, if the person to be so appointed possesses the prescribed qualifications and experience and is otherwise found suitable.

30. INTERPRETATION

In the application of these Regulations all the instructions of the Central Government as amended from time to time which are not contrary to any of the provisions of these Regulations and all instructions issued from time to time by the Central Government which cover matters not specifically covered will be followed.

Where a doubt arises as to the interpretation of any of these regulations, the matter shall be referred to the Chairman for a decision.

31. REPEAL AND SAVINGS

All the regulations, procedures, practices and customs corresponding to these regulations and in force immediately before the commencement of these regulations are hereby repealed.

Provided that any order made or action taken under the regulations, procedures, practices and customs so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these regulations.

Sl. No	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by promotion /absorption / deputation)	In case of promotion/ absorption/ deputation, grades from which list hold berth will be	Remarks
1	Secretary	1	Class-I (HOD)	20500-500-28500	Selection	45	<p>Essential:-</p> <p>(i) A degree from a recognised university.</p> <p>(ii) Seventeen years experience in executive cadre in the field of General Administration, Personnel, Industrial Relations etc. in an Industrial/Commercial/Govt. Undertaking.</p> <p>Desirable:-</p> <p>Post Graduate degree/diploma in Personnel Management/Industrial Relations/Social Work/Labour Welfare or allied subjects or degree in Law from a recognised university/institution.</p>	<p>(a) No</p> <p>(b) Yes</p> <p>(c) No</p>	N.A.	By absorption through composite method failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	For absorption through composite method, Officers holding strategic posts or the post of Secretary in Category-II posts with two years regular service in the grade or officers holding posts in the scale of pay of Rs. 17800-22200 with 4 years regular service in the grade or officers holding posts in the scale of pay of Rs. 18000-20800 with 5 years regular service in the grade in the General Administration/ Human Resources Development Dept. of a Major Port Trust will be eligible. For deputation, Officers holding strategic posts or post of Secretary and equivalent posts in GAD/HRD in the scale of pay of Rs. 18000-22200 with 2 years regular service in the grade or officers holding post of Sr.Dy. Secretary and equivalent posts in GAD/HRD in the scale of pay of Rs. 16000-20800 and above with 5 years regular service in the grade in Govt./Semi Govt./PSUs or Autonomous Bodies will be eligible. The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACNs will not be below 'very good'.	

Sl. No. of the Post	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limits for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which list hold be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Senior Deputy Secretary	1	Class-I	18000-400-20800	Selection	42	<p>Essential :-</p> <p>(i) A degree from a recognised university.</p> <p>(ii) Twelve years experience in executive cadre in the field of General Administration, Personnel, Industrial Relations etc. in an Industrial/Commercial/Govt. Undertaking.</p> <p>Desirable :-</p> <p>Post Graduate degree/diploma in Personnel Management/Industrial Relations/Social Work/Labour Welfare or allied subjects or degree in Law from a recognised university/institution.</p>	<p>(a) No</p> <p>(b) Yes</p> <p>(c) No</p>	N.A.	By absorption through composite method failing which by deputation from other Govt. organisations and failing both by direct recruitment.	For absorption through composite method, Officers holding analogous posts or the post of Dy. Secretary and equivalent posts in the respective discipline of GAD (such as CPRO, Dy. Estates Manager/Dy. Chief Law Officer/Personnel Officer) in the scale of pay of Rs. 13000-18250 with 3 years service in the grade in a Major Post Trust or Deputy Secretary and equivalent posts in the respective discipline of GAD with 2 years service in the grade and a combined service of 7 years in the scales of pay of Rs. 10750-16780 and Rs. 13000-18250 in the respective discipline of GAD in a Major Post Trust will be eligible. For deputation, Officers holding analogous posts or post of Dy. Secretary and equivalent posts in the respective discipline of GAD in the scale of pay of Rs. 13000-18250 in Govt./Semi Govt./PSUs or Autonomous Bodies with 3 years service in the grade will be eligible. The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRs will not be below "Very Good".	

Sl. No	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Deputy Secretary	1	Class-I	13000-350-18250	Selection	40	<p>Essential :-</p> <p>(i) A degree from a recognised university.</p> <p>(ii) Nine years experience in executive cadre in the field of General Administration, Personnel, Industrial Relations etc. in an Industrial/Commercial/Govt. Undertaking.</p> <p>Desirable :-</p> <p>Post Graduate degree/diploma in Personnel Management/Industrial Relations/Social Work/Labour Welfare or allied subjects or degree in Law from a recognised university/institution.</p>	<p>(a) No</p> <p>(b) Yes</p> <p>(c) No</p>	2	By Promotion failing which by absorption / deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from Sr. Assistant Secretary in the scale of pay of Rs. 10750-16750 with 4 years service in the grade failing which Sr. Assistant Secretary (such as PRC/ Sr. Asstt. Estate Manager/Sr. Law Officer/Dy. Personnel Officer/ Sr. Welfare Officer) in the scale of pay of Rs. 10750-16750 with 2 years service in the grade and a combined service of 9 years in the scales of pay of Rs. 10750-16750 & Rs. 9100-15100 in the respective discipline of General Admn. Deptt. Absorption/deputation will be of Officers holding analogous posts or post of Sr. Assistant Secretary in the scale of pay of Rs. 10750-16750 with 4 years service in the grade in a Major Port Trust	
4	Deputy Estate Manager	1	Class-I	13000-350-18250	Selection	40	<p>Essential :-</p> <p>Degree with a Post Graduate degree / diploma in Architecture / Town and Country Planning or degree in Civil Engineering from a recognised university / institution or corporate membership of Institution of Surveyor (India).</p> <p>(ii) Eleven years executive experience in-Estate Management, Valuation or Land Records in an Industrial/Commercial/Govt. Undertaking.</p> <p>Desirable :-</p> <p>(i) A degree in Law from a recognised university.</p>	<p>(a) No</p> <p>(b) Yes</p> <p>(c) No</p>	2	By Promotion failing which by absorption/deputation failing both by direct recruitment.	Promotion from Sr. Assistant Estate Manager in the scale of pay Rs. 10750-16750 with 4 years service in the grade failing which Sr. Assistant Estate Manager in the scale of pay of Rs. 10750-16750 with 2 years service in the grade and a combined service of 9 years in the scales of pay of Rs. 10750-16750 & Rs. 9100-15100 in the discipline of Estate Div. Absorption/deputation will be of Officers holding analogous posts or Sr. Assistant Estate Manager or equivalent posts in the discipline of Estate Div. in the scale of pay of Rs. 10750-16750 with 4 years service in the grade in a Major Port Trust	

Sl. No	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limits for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Personnel Officer	1	Class-I	13000-350-18250	Selection	40	<p>Essential:-</p> <p>(i) Degree from a recognised university/Institution.</p> <p>(ii) Nine years experience in executive cadre in the field of General Administration, personnel, Industrial Relations etc. in an Industrial/commercial/Govt. Undertaking.</p> <p>Desirable:-</p> <p>Post Graduate degree/diploma in Personnel Management/Industrial Relations/Social Work/Labour Welfare or allied subjects or degree in Law from a recognised university/institution.</p>	(a) No (b) Yes (c) No	2	By Promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from Dy. Personnel Officer/Sr. Welfare Officer in the scale of pay of Rs. 10750-16750 with 4 years service in the grade failing which Dy. Personnel Officer/Sr. Welfare Officer with 2 years service in the grade and a combined service of 9 years in the scales of pay of Rs. 10750-16750 & Rs. 9100-15100 in the respective discipline of Pers. & I.R. Div. Absorption/deputation will be of Officers holding analogous posts or Dy. Personnel Officer / Sr. Welfare Officer or equivalent posts in the respective discipline of Pers. & I.R. Div. in the scale of pay of Rs. 10750-16750 with 4 years service in the grade in a Major Post Trust	
6	Sr. PS to Chairman	1	Class-I	13000-350-18250	Selection	40	<p>Essential:-</p> <p>(i) A degree from a recognised university.</p> <p>(ii) Proficiency in stenography and typewriting with a speed of 120/40 w.p.m. respectively</p> <p>(iii) Knowledge of Computer Application.</p> <p>(iv) Twelve years experience as stenographer/PA in an Industrial / Commercial/ Govt Undertaking.</p>	(a) No (b) Yes (c) No	2	By Promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from PS to CH in the scale of pay of Rs. 10750-16750 with 4 years service in the grade failing which PS to CH with 2 years service in the scales of pay of Rs. 10750-16750 and a combined service of 9 years in the scales of pay of Rs. 10750-16750 & Rs. 9100-15100 Absorption/deputation will be of Officers holding analogous post or holding posts of PS/Sr. PS in the scale of pay of Rs. 10750-16750 with 4 years service in the grade in a Major Post.	

Sl. No	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
7	Senior Assistant Secretary	1	Class-I	10750-300-16750	Selection	35	<p>Essential :-</p> <p>(i) A degree from a recognised university</p> <p>(ii) Five years experience in executive cadre in the field of General Administration, Personnel, Industrial Relations etc. in an Industrial/Commercial/Govt. Undertaking.</p> <p>Desirable :-</p> <p>Post Graduate degree/diploma in Personnel Management/Industrial Relations/Social Work/Labour Welfare or allied subjects or degree in Law from a recognised university/institution.</p>	(a) No (b) Yes (c) No	2	By Promotion failing which by absorption / deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from Assistant Secretary Gr-I in the scale of pay of Rs. 9100-15100 with 5 years service in the grade failing which Assistant Secretary Gr-I in the scale of pay of Rs. 9100-15100 with 2 years service in the grade and a combined service of 8 years in the scales of pay of Rs. 9100-15100 & Rs. 8600-14600 in the respective discipline of General Admin. Deptt. Absorption/deputation will be of Officers holding analogous posts or post of Asstt. Secretary (Gr-I) in the scale of pay of Rs. 9100-15100 with 5 years service in the grade in a Major Port Trust.	13
8	Senior Assistant Estate Manager	1	Class-I	10750-300-16750	Selection	35	<p>Essential :-</p> <p>Degree with a Post Graduate degree / diploma in Architecture / Town and Country Planning or degree in Civil Engineering from a recognised university / institution or corporate membership of Institution of Surveyor (India).</p> <p>(ii) Seven years executive experience in Estate Management, Valuation or Land Records in an Industrial/Commercial/Govt. Undertaking.</p> <p>Desirable :-</p> <p>(i) A degree in Law from a recognised university.</p>	(a) No (b) Yes (c) No	2	By Promotion failing which by absorption/deputation failing both by direct recruitment.	Promotion from Assistant Estate Manager Gr-I in the scale of pay of Rs. 9100-15100 with 5 years service in the grade failing which Assistant Estate Manager Gr-I in the scale of pay of Rs. 9100-15100 with 2 years service in the grade and a combined service of 8 years in the scales of pay of Rs. 9100-15100 & Rs. 8600-14600 in the discipline of Estate Dvr. Absorption/deputation will be of Officers holding analogous posts or Assistant Estate Manager Gr.1 in the scale of pay of Rs.9100-15100 with 5 years service in the grade in a Major Port Trust.	

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limits for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which its hold be made	Remarks
9	Deputy Personnel Officer	1	Class-I	10750-300-16750	Selection	35	<p>Essential :-</p> <p>(i) Degree from a recognised university/institution.</p> <p>(ii) Five years experience in executive cadre in the field of General Administration, personnel, Industrial Relations etc. in an industrial/commercial/Govt. Undertaking.</p> <p>Desirable :-</p> <p>Post Graduate degree/diploma in Personnel Management/Industrial Relations/Social Work/Labour Welfare or allied subjects or degree in Law from a recognised university/institution.</p>	(a) No (b) Yes (c) No	2	By Promotion falling which by absorption/deputation, falling both by direct recruitment.	Promotion from Assistant Personnel Officer Gr-I / PRO / Asstt. Secretary/Labour Officer in the scale of pay of Rs. 9100-15100 with 5 years service in the grade falling which Assistant Personnel Officer Gr-I in the scale of pay of Rs. 9100-15100 with 2 years service in the grade and a combined service of 9 years in the scales of pay of Rs. 9100-15100 & Rs. 8600-14600 in the respective discipline of Pers. & I.R. Div. Absorption/deputation will be of Officers holding analogous posts or Asstt. Personnel Officer (Gr-I) or equivalent posts in the respective discipline of Pers. & I.R. Div. in the scale of pay of Rs. 9100-15100 with 6 years service in the grade in a Major Port Trust.	13
10	PS to CH.	1	Class-I	10750-300-16750	Selection	35	<p>Essential :-</p> <p>(i) A degree from a recognised university.</p> <p>(ii) Proficiency in stenography and typewriting with a speed of 120/40 w.p.m. respectively</p> <p>(iii) Knowledge of Computer Application.</p> <p>(iv) Eight years experience as stenographer/PA in an industrial / Commercial/ Govt Undertaking.</p>	(a) No (b) Yes (c) No	2	By Promotion falling which by absorption /deputation, falling both by direct recruitment.	Promotion from PS to Dy. CH in the scale of pay of Rs. 9100-15100 with 5 years service in the grade falling which PS to Dy. CH with 2 years service in the scale of pay of Rs. 9100-15100 and a combined services of 8 years in the scales of pay of Rs. 9100-15100 & Rs. 8600-14600. Absorption/deputation will be of Officers holding analogous post or feeder post with 6 years service in the grade in a Major Port.	

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limits for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Assistant Secretary Gr-I	1	Class-I	9100-250-15100	Selection	30	<p>Essential :- A degree from a recognised university.</p> <p>Desirable :- (i) Post Graduate degree/diploma in Personnel Management/Industrial Relations/Social Work/Labour Welfare or allied subjects or degree in Law from a recognised university/institution. (ii) Two years experience in executive cadre in the field of General Administration, Personnel, Industrial Relations etc. in an Industrial/Commercial/Govt. Undertaking.</p> <p>Essential :- Degree in Law from a recognised university.</p> <p>Desirable :- 1) Should be a practising lawyer of not less than 7 yrs. standing or 2) Should be a graduate of Law and entitled to be on roll as advocate.</p> <p>3) Should have worked in legal division for not less than 3 yrs. in a Govt. / Public Sector Undertaking / Autonomous body.</p>	(a) No (b) Yes (c) No	2	<p>Upto 31st Dec., 2008 By direct recruitment - 33.1/3% By promotion - 66.2/3% After 31st Dec., 2008 By direct recruitment - 66.2/3% By promotion - 33.1/3%</p>	Promotion from Office Superintendent in the scale of pay of Rs. 6170-11975 in the respective discipline or G.A.D. with 5 years service in the grade.	
12	Law Officer Gr-I	1	Class-I	9100-250-15100	Selection	40	<p>Essential :- Degree in Law from a recognised university.</p> <p>Desirable :- 1) Should be a practising lawyer of not less than 7 yrs. standing or 2) Should be a graduate of Law and entitled to be on roll as advocate.</p> <p>3) Should have worked in legal division for not less than 3 yrs. in a Govt. / Public Sector Undertaking / Autonomous body.</p>	(a) No (b) Yes (c) No	2	<p>Upto 31st Dec., 2008 By direct recruitment - 33.1/3% By promotion - 66.2/3% After 31st Dec., 2008 By direct recruitment - 66.2/3% By promotion - 33.1/3%</p>	Promotion from legal assistant in the scale of Rs. 6170-11975 with 5 yrs. service in the grade.	

S. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limits for direct recruitment (In years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (In years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which should be made	Remarks
13	Assistant Estate Manager G-II	1	Class-I	9100-2800 15100	Selection	30	Essential :- Degree with a Post Graduate degree / diploma in Architecture / Town and Country Planning or degree in Civil Engineering from a recognised university / institution or corporate membership of Institution of Surveyor (India). Desirable :- (i) A degree in Law from a recognised university. (ii) Two years executive experience in Estate Management, Valuation or Land Records in an Industrial/Commercial/Govt. Undertaking.	(a) No (b) No, however Diploma from a recognised University/Institution is essential. (c) No	2	By direct recruitment - 33.1/3% By promotion - 66.2/3% By direct recruitment - 66.2/3% By promotion - 33.1/3%	Promotion from Assistant Estate Manager G-II in the scale of pay of Rs. 8800-14800 with 3 years service in the grade.	
14	PA to Dy. CH.	1	Class-I	9100-2800 15100	Selection	30	(i) A degree from a recognised university. (ii) Proficiency in stenography and typewriting with a speed of 120/40 w.p.m. respectively (iii) Knowledge of Computer Application. (iv) Five years experience as stenographer/PA in an Industrial / Commercial / Govt. Undertaking	(a) No (b) No (c) No	2	By Promotion falling within by absorption/deputation, falling below direct recruitment.	Promotion from PA to HOD / PA to Dy. Chairman in the scale of pay of Rs. 8600-14800 with 3 years service in the grade. Absorption/Deputation will be of Officers holding analogous post or feeder post with 3 years service in the grade in a Major Post.	

Sl. No.	Name of the Post	Nt. of Posts	Classif-ication	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limits for direct recruitment (In years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/	Period of Probation (In years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/ deposition)	In case of promotion/ absorption/ deposition, grade from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.	Hindi Officer	1	Class-I	Rs. 9100-230-10600	Selection	40 years.	Essential :- (a) Master's degree of a recognised university in Hindi with English as a subject at degree level OR Master's degree of a recognised university in English with Hindi as a subject at the degree level OR Master's degree of a recognised university in any subject with Hindi and English as a subjects at the degree level OR Master's degree of a recognised university in any subject with Hindi medium and English as a subject at degree level. (b) Experience: Five years work in Hindi and or translation work from English to Hindi or vice versa preferably of technical or scientific literature OR Five years experience of Hindi teaching Scheme of the Ministry of Home Affairs, Govt. of India. (c) Desirable: Experience in research, writing of Journalism in Hindi. (d) Desirable: Experience of Organising Hindi classes or workshops for noting and drafting or Journalism in Hindi.	(a) No. (b) Yes (c) Yes		1. By direct recruitment 33.15% 2. By promotion 66.25% 3. By direct recruitment 33.15% 4. By promotion 66.25%	Promotion from Senior Hindi Translator with five years service in the scale of Rs. 6170-11975.	

Sl. No. of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limits for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion (Absorption/Deposition))	In case of promotion/absorption/ deposition, grades from which inroads would be made	Remarks
16.	1	Class-1	Rs. 9100 250. 18100	Does not arise	35 years	<p>(a) Graduate in a branch of a discipline in the field of public relations and communication with a minimum of 2 years' experience in a post equivalent to that of the post to which direct recruitment is made.</p> <p>(b) Graduate in a branch of a discipline in the field of public relations and communication with a minimum of 2 years' experience in a post equivalent to that of the post to which direct recruitment is made.</p> <p>(c) Graduate in a branch of a discipline in the field of public relations and communication with a minimum of 2 years' experience in a post equivalent to that of the post to which direct recruitment is made.</p> <p>(d) Graduate in a branch of a discipline in the field of public relations and communication with a minimum of 2 years' experience in a post equivalent to that of the post to which direct recruitment is made.</p> <p>(e) Graduate in a branch of a discipline in the field of public relations and communication with a minimum of 2 years' experience in a post equivalent to that of the post to which direct recruitment is made.</p> <p>(f) Graduate in a branch of a discipline in the field of public relations and communication with a minimum of 2 years' experience in a post equivalent to that of the post to which direct recruitment is made.</p> <p>(g) Graduate in a branch of a discipline in the field of public relations and communication with a minimum of 2 years' experience in a post equivalent to that of the post to which direct recruitment is made.</p> <p>(h) Graduate in a branch of a discipline in the field of public relations and communication with a minimum of 2 years' experience in a post equivalent to that of the post to which direct recruitment is made.</p> <p>(i) Graduate in a branch of a discipline in the field of public relations and communication with a minimum of 2 years' experience in a post equivalent to that of the post to which direct recruitment is made.</p> <p>(j) Graduate in a branch of a discipline in the field of public relations and communication with a minimum of 2 years' experience in a post equivalent to that of the post to which direct recruitment is made.</p> <p>(k) Graduate in a branch of a discipline in the field of public relations and communication with a minimum of 2 years' experience in a post equivalent to that of the post to which direct recruitment is made.</p> <p>(l) Graduate in a branch of a discipline in the field of public relations and communication with a minimum of 2 years' experience in a post equivalent to that of the post to which direct recruitment is made.</p> <p>(m) Graduate in a branch of a discipline in the field of public relations and communication with a minimum of 2 years' experience in a post equivalent to that of the post to which direct recruitment is made.</p> <p>(n) Graduate in a branch of a discipline in the field of public relations and communication with a minimum of 2 years' experience in a post equivalent to that of the post to which direct recruitment is made.</p> <p>(o) Graduate in a branch of a discipline in the field of public relations and communication with a minimum of 2 years' experience in a post equivalent to that of the post to which direct recruitment is made.</p> <p>(p) Graduate in a branch of a discipline in the field of public relations and communication with a minimum of 2 years' experience in a post equivalent to that of the post to which direct recruitment is made.</p> <p>(q) Graduate in a branch of a discipline in the field of public relations and communication with a minimum of 2 years' experience in a post equivalent to that of the post to which direct recruitment is made.</p> <p>(r) Graduate in a branch of a discipline in the field of public relations and communication with a minimum of 2 years' experience in a post equivalent to that of the post to which direct recruitment is made.</p> <p>(s) Graduate in a branch of a discipline in the field of public relations and communication with a minimum of 2 years' experience in a post equivalent to that of the post to which direct recruitment is made.</p> <p>(t) Graduate in a branch of a discipline in the field of public relations and communication with a minimum of 2 years' experience in a post equivalent to that of the post to which direct recruitment is made.</p> <p>(u) Graduate in a branch of a discipline in the field of public relations and communication with a minimum of 2 years' experience in a post equivalent to that of the post to which direct recruitment is made.</p> <p>(v) Graduate in a branch of a discipline in the field of public relations and communication with a minimum of 2 years' experience in a post equivalent to that of the post to which direct recruitment is made.</p> <p>(w) Graduate in a branch of a discipline in the field of public relations and communication with a minimum of 2 years' experience in a post equivalent to that of the post to which direct recruitment is made.</p> <p>(x) Graduate in a branch of a discipline in the field of public relations and communication with a minimum of 2 years' experience in a post equivalent to that of the post to which direct recruitment is made.</p> <p>(y) Graduate in a branch of a discipline in the field of public relations and communication with a minimum of 2 years' experience in a post equivalent to that of the post to which direct recruitment is made.</p> <p>(z) Graduate in a branch of a discipline in the field of public relations and communication with a minimum of 2 years' experience in a post equivalent to that of the post to which direct recruitment is made.</p>	(a) - No (b) - Yes (c) - No	Two	<p>U.S.A.</p> <p>By direct recruitment 33.15%</p> <p>By promotion 66.25%</p> <p>ASSE</p> <p>By direct recruitment 66.25%</p> <p>By promotion 33.15%</p>	<p>Promotion from Public Relations Assistant in the scale of Rs. 6170-11878 with five years experience in the grade.</p>	13

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection Post	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
		3	4	5	6	7		9	10	11	12	13
17	Financial Advisor & Chief Accounts Officer	1	Class-I (HOD)	20500-900-26500	Selection	45	Essential :- (i) Member of Institute of Chartered Accountants of India or of Institute of Cost and Works Accountants of India. (ii) Seventeen years experience in executive cadre in the field of finance, accounting in an industrial/commercial/ Govt Undertaking.	(a) No (b) Yes (c) No	N.A.	By absorption through composite method falling which by deputation and falling both by direct recruitment.	For absorption through composite method, Officers holding analogous posts or the post of FACAO in Category-I posts with two years regular service in the grade or officers holding posts in the scale of pay of Rs. 17500-22500 with 4 years regular service in the grade or officers holding posts in the scale of pay of Rs. 18500-20500 with 5 years regular service in the grade in the Finance Deptt. of a Major Port. That will be eligible for deputation, Officers holding analogous posts or officers holding posts of FA & CAO and equivalent posts in the Finance Deptt. in the scale of pay of Rs. 16500-20500 with 2 years regular service in the grade or officers holding posts of Sr. Dy. Chief Accounts Officers and equivalent posts in the Finance Department in the scale of pay of Rs. 16000-20500 and above with 3 years regular service in the grade in Govt. Govt. or Public or Autonomous Bodies will be eligible. The selection is by merit for which the benchmark in overall grades in the ACAs will not be below "very good".	

SI. No	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limits for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks	
18	Senior Deputy Chief Accounts Officer	1	Class-I	16000-400-20800	Selection	42	Essential:- (i) Member of Institute of Chartered Accountants of India or of Institute of Cost and Works Accountants of India (ii) Twelve years experience in executive cadre in the field of finance, accounting in an industrial/commercial/Govt. Undertaking.	(a) No (b) Yes (c) No	N.A.	By absorption through composite method failing which by deputation from other Govt. organisations and failing both by direct recruitment.	12	For absorption through composite method, Officers holding analogous posts or Dy. Chief Accounts Officer and equivalent posts in respective discipline of Finance Deptt. in three scale of pay of Rs. 13000-16250 with 3 years service in the grade Rs. 13000-16250 in a Major Port Trust or Dy. Chief Accounts Officer and equivalent posts in respective discipline of Finance Deptt. with 2 years service in the grade and a combined service of 7 years in the scales of pay of Rs. 10750-16750 and Rs. 13000-16250 in the respective discipline of Finance Deptt. in a Major Port Trust will be eligible. For deputation Officers holding analogous posts or holding posts of Dy. Chief Accounts Officer and equivalent posts in respective discipline of Finance Deptt. in the scale of pay of Rs. 13000-16250 in Govt./Semi-Govt./PSUs or Autonomous Bodies with 3 years regular service in the grade will be eligible. The selection is by merit which the bench mark in overall grading in the ACRs will not be below "very good".	13
19	Deputy Chief Accounts Officer	1	Class-I	13000-350-16250	Selection	40	Essential:- (i) Member of Institute of Chartered Accountants of India or of Institute of Cost and Works Accountants of India (ii) Nine years experience in executive cadre in the field of finance, accounting in an industrial/ commercial/Govt. Undertaking.	(a) No (b) No, however a degree from a recognised university is essential. (c) No	2	By Promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment.		Promotion from Sr. Accounts Officer in the scale of pay of Rs. 10750-16750 with 4 years service in the grade failing which Sr. Accounts Officer in the scale of pay of Rs. 10750-16750 with 2 years service in the grade and a combined service of 9 years in the scales of pay of Rs. 10750-16750 and Rs. 9100-15100 in the respective discipline of Finance Deptt. Absorption/deputation will be of Officers holding analogous posts or post of Sr. Accounts Officer in the scale of pay of Rs. 10750-16750 with 4 years service in the grade in a Major Port Trust.	

Sl. No	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limits for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
20	Senior Deputy Director (EDP)	1	Class-1	13000-350-18250	Selection	40	<p>Essential:- Degree in Computer Engineering/ Computer Sciences from a recognised university/institution. or Degree in Maths / Statistics/Operational Research /Economics with Post Graduate Diploma in Computer Application /Computer Science /Information Technology from a recognised university /institution.</p> <p>or</p> <p>Degree in Engineering with Post Graduate Diploma in Computer Application /Computer Science /Information Technology from a recognised university /institution.</p> <p>ii. Nine yrs. experience in Programming / Electronic Data Processing / System Design and Analysis and related fields.</p> <p>Desirable:- i. Post Graduate Degree in Maths /Statistics /Operational Research /Economics or Post Graduate degree in Computer Science or Computer Engineering or Systems or Information Systems or MIS or Information Technology or Computer Applications or Business Admn. (PG degree/ diploma) with specialisation in Systems or Information Systems or MIS or Information Technology and allied subjects from a recognised university /institution.</p>	<p>a) No b) Yes c) No</p>	2	By Promotion failing with by absorption / deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from Deputy Director(EDP) in the scale of pay Rs. 10750-16750 with 4 yrs. service in the grade failing which Deputy Director (EDP) in the scale of Pay of Rs. 10750-16750 with 2 yrs. service in the grade and a combined service of 9 yrs. in the scales of pay of Rs. 10750-16750 and Rs. 9100-15100 in the respective discipline of P&R Div.	13
												<p>Absorption /deputation will be of Officers holding analogous posts or Deputy Director (EDP)/Deputy Director (Research) and other equivalent posts in the scale of pay of Rs. 10750-16750 with 4 yrs. service in the grade in P&R Division in a Major Port Trust.</p>

Note : (*) Post may mention here the designation of the posts, if it is different from it.

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limits for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	Senior Accounts Officer	2	Class-I	10750-300-16750	Selection	35	Essential:- Member of Institute of Chartered Accountants of India or Institute of Cost and Works Accountants of India. Five years experience in Executive cadre in the field of Finance, Accounting in an Industrial/Commercial/ Govt. Undertaking.	(a) No (b) No, however a degree from a recognised university is essential. (c) No	2	By Promotion falling which by absorption/deputation, falling both by direct recruitment.	Promotion from Accounts Officer Gr-I in the scale of pay of Rs.9100-15100 with 5 years' service in the grade falling which Accounts Officer Gr-I in the scale of pay of Rs.9100-15100 with 2 years' service in the grade and a combined service of 5 years in the scales of pay of Rs.9100-15100 and Rs. 8200-14000 in respective disciplines of Financial Deptt. Absorption/deputation will be of Officers holding analogous posts or posts of Accounts Officer (Gr-I) in the scale of pay of Rs. 9100-15100 with 5 years' service in the grade in a Major Port Trust.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sl. No. of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age Qualifications (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	Period of Probation (in years)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which let/hold made	Remarks	
22	1	Class-I	10750-300-16750	Selection	35	<p>Essential: Degree in Computer Engineering/Computer Sciences from a recognised university institution.</p> <p>or</p> <p>Degree in Maths / Statistics/Operational Research/Economics with Post Graduate Diploma in Computer Application /Computer Science/Information Technology from a recognised university institution.</p> <p>or</p> <p>Degree in Engineering with Post Graduate Diploma in Computer Application /Computer Science/Information Technology from a recognised university institution.</p> <p>8. Five yrs. experience in Programming / Systems Data Processing / System Analysis, Design and related fields.</p> <p>or</p> <p>Post Graduate Degree in Maths / Statistics/Operational Research / Economics or Postgraduate degree in Computer Science or Computer Engineering or Systems or Information Systems or Information Systems or MIS Applications or Business Admin. (PG degree/diploma) with specialisation in Systems or Information Systems or MIS or Information Technology and allied subjects from a recognised university institution.</p>	<p>a) No</p> <p>b) Yes</p> <p>c) No</p>	2	By Promotion falling with by absorption / deputation, falling both by direct recruitment.	Promotion from Assistant Director (EDP) / System Analyst Programmer in the scale of pay of Rs. 9100-15100 with byrs. services in the Grade falling which Asst. Director (EDP) / System Analyst Programmer in the scale of pay of Rs. 9100-15100 with 2 yrs. service in the grade and a combined service of 8 yrs. in the scales of pay of Rs. 9100-15100 and Rs. 8500-14000 in the respective divisions/PAER division. Absorption/Deputation will be of Officer/Asst. Director/Asst. Director (EDP)/Asst. Director (Research) and other equivalent posts in the scale of pay of Rs. 9100-15100 with byrs. services in the grade in the establishments a Major/Port Trust.		

Sl. No. of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limits for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/ deputation)	In case of promotion/absorption/ deputation, grades from which it should be made	Remarks
23	2	Class-I	9100-250 15100	Selection	30	Essential :- Member of Institute of Chartered Accountants of India or of Institute of Cost and Works Accountants of India. Desirable :- Two years experience in Executive cadre in the field of Finance, Accounting in an Industrial/Commercial/ Govt. Undertaking.	(a) No (b) No, however a degree from a recognised university is essential. (c) No	2	Upto 31st Dec., 2008 By direct recruitment - 33.1/3% By promotion - 66.2/3% After 31st Dec., 2008 By direct recruitment - 66.2/3% By promotion - 33.1/3%	Promotion from Accounts Officer Gr.II / A.A.O. in the scale of pay of Rs. 8600-14600 with 3 years service in the grade.	

Sl. No	Name of the Post	No of Posts	Classification	Scale of Pay (RS)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limits for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotional/absorption/transfer	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/depuration)	In case of promotional absorption/depuration/transfer/absorption from which list/level/band/band	Remarks
24	Assistant Director (Research)	1	Class-I	9100-250-15100	Selection	30	<p>Essential: Degree in Economics or Statistics or Mathematics from a recognised university / institution.</p> <p>Desirable: i. Two years executive experience in collection compilation, and interpretation of data or in conducting field surveys, investigations etc. ii. Knowledge of computer operations. iii. Post Graduate degree/diploma in Economics or Statistics or Mathematics or Operational Research and allied subjects from a recognised university / institution.</p>	a) No b) Yes c) No	2	1999-219-Div.- 2008 By direct recruitment - 33.17% By promotion - 66.83% 2008-219-Div.- 2008 By direct recruitment - 66.27% By promotion - 33.73%	Promotion from Statistical and Research Cadre in the scale of pay of Rs. 9100-14000 with 5 years service in the grade.	

Sl. No. of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limits for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	Assistant Director (EDP)	Class-I	9100-260-15100	Selection	30	<p>Essentials: Degree in Computer Engineering / Computer Sciences from a recognised university / institution. Or Degree in Maths/Statistics/Operational Research/Economics with Post Graduate Diploma in Computer Application/Computer Science/Information Technology from a recognised university / institution. or Degree in Engineering with Post Graduate Diploma in Computer Application / Computer Science / Information Technology from a recognised university / institution.</p> <p>Desirables: Post Graduate Degree in Maths /Statistics /Operational Research /Economics or Post Graduate Degree in Computer Science or Computer Engineering or Systems or Information Systems or MIS or Information Technology or Computer Applications or Business Admin. (PG degree/diploma) with specialisation in Systems or Information Systems or MIS or information Technology and allied subjects from a recognised university /institution. ii.) Two years experience in Programming / Electronic Data Processing / Systems Analysis, etc.</p>	a) No b) Yes c) No	2	Upto 31st Dec., 2008 By direct recruitment - 33.1/3% By promotion - 66.2/3% After 31st Dec., 2008 By direct recruitment - 66.2/3% By promotion - 33.1/3%	Promotion from Programmer / Data Processing Officer in the scale of pay of Rs. 8600-14600 with 3 yrs. service in the grade.		

Sl. No	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limits for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which should be made	Remarks
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	Chief Mechanical Engineer	1	Class-I	20500-500-26500	Selection	45	Essential:- (i) Degree or equivalent in Mechanical/Electrical /Electronica & Communication Engineering/Naval Architecture from a recognised university/institution or MCT 1st class Motor certificate issued under Merchant Shipping Act, 1958. (ii) Seventeen years experience in managerial capacity dealing with Mechanical/ Electrical/ Marine/ Electronics Engg. works, out of which 10 years experience shall be in workshops undertaking maintenance of cargo handling equipment/electrical installation/ship repairs in any Major Port/Trust / Industrial /Commercial /Govt. undertaking	(a) No (b) Yes (c) No	NA	By absorption through Composite method falling both by direct recruitment.	For absorption through composite method, Officers holding analogous posts or the post of Chief Mechanical Engineer in Category II ports with 2 years regular service in the grade or officers holding posts in the scale of pay of Rs. 17500-22300 with 4 years regular service in the grade or officers holding posts in the scale of pay of Rs. 18000-20800 with 5 years regular service in the grade in the Chief Mech. & Elec. Engg. Deptt. and Marine Deptt. (applicable to categories of marine engineers only) in a Major Port/ Trust will be eligible. For deputation, Officers holding analogous posts or officers holding post of Dy. Chief Mechanical Engineer and equivalent posts in the Mech. & Elect. Engg. Deptt. in the scale of pay of Rs. 18500-23900 with 2 years regular service in the grade or officers holding post of Dy. Chief Mechanical Engineer and equivalent posts in the Mech. & Elec. Engg. Deptt. in the scale of pay of Rs. 19000-20800 and above with 5 years regular service in the grade in Govt. / PSUs or Autonomous Bodies will be eligible. The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRs will not be below "very good".	

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limits for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/ deputation, grades from which should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	Deputy Chief Mechanical Engineer	1	Class-I	18000-400-20800	Selection	42	Essential: (i) Degree or equivalent in Mechanical/Electrical/Electronic Engineering from a recognised university / institution. (ii) Twelve years experience in relevant discipline in executive cadre in an Industrial / Commercial / Govt. undertaking	(a) No (b) Yes (c) No	NA	By absorption through Composite method falling which by deputation from other Govt. organisations and falling both by direct recruitment.	For absorption through composite method, Officers holding analogous posts or the post of Superintending Engineer and equivalent posts in the respective discipline of M&E Engg. Deptt. in the scale of pay of Rs. 13000-18250 with 3 years service in the grade in the respective discipline in a Major Part Trust or Superintending Engineer and equivalent posts in the respective discipline of M&E Engg. Deptt. with 3 years service in the grade and a completed service of 7 years in the scale of pay of Rs. 10750-16750 and Rs. 13000-18250 in the respective discipline in a Major Part Trust will be eligible. For deputation, Officers holding analogous posts or officers Engineer and equivalent posts in the respective discipline of M&E Engg. Deptt. in the scale of pay of Rs. 13000-18250 with 3 years service in the grade in the respective discipline in Govt./PSUs /Autonomous bodies etc. will be eligible. This selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRs will not be below "very good".	

Sl. No	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limits for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age Qualifications (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	Superintending Engineer (Mechanical/Electrical/M & E)	2	Class-I	13000-350-18250	Selection	40	Essential:- (i) Degree or equivalent in Mechanical/Electrical/Electronics & Communication Engineering from a recognised university / institution. (ii) Nine years experience in relevant discipline in executive cadre in an industrial / Commercial / Govt. undertaking.	(a) No (b) No, however a Diploma in Engineering in the relevant discipline from a recognised university / institution is essential. (c) No	2	By Promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from Executive Engineer in the scale of pay of Rs.10750-16750 with 4 years service in the grade failing which Executive Engineer in the scale of pay of Rs. 10750-16750 with 2 years service in the grade and a combined service of 9 years in the scales of pay of Rs. 10750-16750 and Rs. 9100-15100 in the respective discipline in the M&E Engg. Deptt. Absorption/deputation will be of Officers holding analogous posts or the feeder post with 4 years service in the grade in a Major Port Trust.	

Sl. No	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limite for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for directrecruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption / deputation)	In case of promotion/ absorption/ deputation, grades from which it should be made	Remarks
									10	11	12	13
29	Executive Engineer (Mechanical / Electrical / E & M)	3	Class-I	10750-300-16750	Selection	35	Essential : (i) Degree or equivalent in Mechanical/Electrical/ Electronics & Communication Engineering from a recognised university / institution. (ii) Five years experience in relevant discipline in executive cadre in an Industrial / Commercial / Govt. undertaking.	(a) No (b) No, however a Diploma in Engineering in the relevant discipline from a recognised university / institution is essential. (c) No	2	By Promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from Assistant Executive Engineer in the scale of pay of Rs. 9100-15100 with 5 years service in the grade falling which Assistant Executive Engineer in the scale of pay of Rs. 9100-15100 with 2 years service in the grade and a combined service of 8 years in the scale of pay of Rs. 9100-15100 & Rs. 8600-14600 in the respective discipline of M&E Engrg. Deptt. OR Diploma Engineers in the scale of pay of Rs. 8600-14600 with 8 years of service in the grade where the pay scale of Rs. 9100-15100 does not exist in that discipline. Absorption/deputation will be of Officers holding analogous posts in respective discipline or feeder post with 5 years service in the grade in a Major Post/Trust.	

Sl. No	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limits for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (In years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion /absorption / deputation)	In case of promotion/absorption/ deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	8	7	8	9	10	11	12	13
30	DEPUTY MATERIALS MANAGER	1	Class-I	10750-300-16750	Selection	35	Essential :- (i) Degree or equivalent in Mechanical / Electrical/Civil Engineering from a recognised university/institution. (ii) Five years experience in Executive Cadre in the field of Materials Management /Mechanical Engineering/Electrical Engineering in industrial / Commercial / Govt. Undertaking. Desirable :- (i) Post Graduate Degree/Diploma in Materials Management from recognised university/institution.	(a) No (b) No, however a Diploma in relevant discipline from a recognised University / institution is essential. (c) No	2	By promotion failing which by absorption/ deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from Asstt. Materials Manager Grade-I in the scale of pay of Rs. 9100-15100 with 5 years service in the grade failing which Asstt. Executive Engineer (Mech./Elect./Civil) in the scale of pay of Rs.9100-15100 with 5 years service in the grade failing both Asstt. Materials Manager Grade-I / Asstt. Executive Engineer (Mech./Elect./Civil) in the scale of pay of Rs.9100-15100 with 2 years service in the grade and a combined service of 8 years in the scales of pay of Rs.9100-15100 & Rs.8600-14600 in the respective discipline of M.M. Div./MA&E Engrg. Deptt. OR Diploma Engineers in the scale of pay of Rs. 8600-14600 with 8 years service in the grade where the pay scale of Rs. 9100-15100 does not exist in that discipline. Absorption/deputation will be of officers holding analogous posts or feeder post with 5 years service in the grade in a Major Port Trust.	

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limits for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	Assistant Executive Engineer (Mechanical / Electrical)	4	Class-I	9100-250-15100	Selection	30	Essential: Degree or equivalent in Mechanical/Electrical/Electronics & Communication Engineering from a recognised university / institution. Desirable: Two years experience in relevant discipline in executive cadre in an industrial / Commercial / Govt. undertaking	(a) No (b) No, however a Diploma in Engineering in the relevant discipline from a recognised university / institution is essential. (c) No	2	Upto 31st Dec., 2008 By direct recruitment-33.1/3% By promotion-66.2/3%. After 31st Dec., 2008 By direct recruitment-66.2/3%. By promotion-33.1/3%.	Promotion from Assistant Engineer (Mech/Elect/Electronic/Instrumentation) in the scale of pay of Rs. 8000-14600 with 3 years service in the grade.	

Sl. No	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limits for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (In years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which fit/hold be made	Remarks
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ASSISTANT MATERIALS MANAGER - GRADE-I	1	Class-I	9100-2500-15100	Selection	30	Essential :- Degree or equivalent in Mechanical/Electrical/Civil Engineering from a recognised university/institution. Desirable :- (i) Post Graduate Degree/Diploma in Materials Management from a recognised university/institution. (ii) Two years post qualification experience in Materials Management in an industrial/commercial / Govt. undertaking.	(a) No (b) No, however a Diploma in relevant discipline from a recognised University / Institution is essential. (c) No	2	Until 31st Dec., 2008 By direct recruitment-33.1/3% By promotion-66.2/3%. After 31st Dec., 2008 By direct recruitment-66.2/3%. By promotion-33.1/3%.	Promotion from Assistant Engineer (SA), APO, Asstt. Materials Manager Gr.II in the scale of pay of Rs.8600-14600 with 3 years service in the grade	

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limits for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	33	1	Class-I (HOD)	20500-500-26500	Selection	45	i) A degree from a recognised university. ii) Seventeen years experience in shipping/cargo operations/ railway transportation in executive cadre in an Industrial/Commercial/ Govt. Undertaking.	(a) No (b) Yes. (c) No	N.A.	By absorption through composite method failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	For absorption through composite method, Officers holding analogous posts or the post of Traffic Manager in Category-II posts with 2 years regular service or officers holding posts in the scale of pay of Rs. 17500-22300 with 4 years regular service in the grade or officers holding posts in the scale of pay of Rs. 16000-20800 with 5 years regular service in the grade in the Traffic Deptt. of a Major Port Trust will be eligible. For deputation, Officers holding analogous posts or officers holding post of Traffic Manager and equivalent posts in the scale of pay of Rs. 16000-23900 with 2 years regular service in the grade or officers holding post of Sr. Dy. Traffic Manager and equivalent posts in Traffic Deptt. in the scale of pay of Rs. 16000-20800 and above with 5 years regular service in the grade in Govt./Semi Govt./PSUs or Autonomous Bodies will be eligible. The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRs will not be below 'very good'.	13

Sl. No	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
1		3				7			10			13
34	Senior Deputy Traffic Manager	1	Class-I	16000-400-20800	Selection	42	i) A degree from a recognised university. ii) Twelve years experience in shipping/cargo operations/ railway transportation in executive cadre in an Industrial/Commercial/Govt. Undertaking.	(a) No (b) Yes. (c) No	N.A.	By absorption through composite method failing which by deputation from other Govt. organisations and failing both by direct recruitment.	For absorption through composite method, Officers holding analogous posts or post of Dy. Traffic Manager and equivalent posts in the respective discipline of Traffic Deptt. in the scale of pay of Rs. 13000-18250 with 3 years service in the grade in a Major Port Trust or Deputy Traffic Manager and equivalent post in the respective discipline of Traffic Deptt. with 2 years' service in the grade and a combined service of 7 years in the scales of pay of Rs. 10750-16750 and Rs. 13000-18250 in the respective discipline of Traffic Deptt. in a Major Port Trust will be eligible. For deputation, Officers holding analogous posts or holding post of Dy. Traffic Manager and equivalent post in the respective discipline of Traffic Deptt. in the scale of pay of Rs. 13000-18250 in Govt./Semi-Govt./PSUs or Autonomous Bodies with 3 years service in the grade will be eligible. The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRs will not be below "very good".	

Sl. No. of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limits for direct recruitment (In years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which list should be made	Remarks
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	1	Class-I	13000-350-18250	Selection	40	<p>i) A degree from a recognised university.</p> <p>(ii) Nine years experience in shipping/cargo operations/ railway transportation in executive cadre in an Industrial/ Commercial/Govt. Undertaking.</p>	<p>(a) No</p> <p>(b) Yes</p> <p>(c) No</p>	2	By Promotion falling which by absorption/deputation, falling both by direct recruitment.	Promotion from Sr. Assistant Traffic Manager in the scale of pay of Rs. 10750-16750 with 4 years service in the grade falling which Sr. Assistant Traffic Manager in the scale of pay of Rs. 10750-16750 with two years service in the grade and a combined service of 9 years in the scale of pay of Rs. 10750-16750 & Rs. 9100-15100 in the respective discipline of traffic dept. Absorption/deputation will be of Officers holding analogous posts or post of Sr. Assistant Traffic Manager in the scale of pay of Rs. 10750-16750 with 4 years service in the grade in a Major Port Trust.	

Sl. No	Name of the Post	Nb. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limits for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	Senior Assistant Traffic Manager	1	Class-I	10750-300-16750	Selection	35	(i) A degree from a recognised university. (ii) Five years experience in shipping/cargo operations/ railway transportation in executive cadre in an industrial/Commercial/Govt. Undertaking.	(a) No (b) Yes (c) No	2	By Promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from Assistant Traffic Manager Gr-I in the scale of pay of Rs. 9100-15100 with 5 years service in the grade failing which Assistant Traffic Manager Gr-I in the scale of pay of Rs. 9100-15100 with 2 years service in the grade and a combined service of 8 years in the scales of pay of Rs. 9100-15100 & Rs. 9600-14600 in the respective discipline of Traffic Deptt. Officers holding analogous posts or post of Assistant Traffic Manager Gr-I in the scale of pay of Rs. 9100-15100 with 5 years service in the grade in a Major Port Trust.	

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limits for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	Assistant Traffic Manager Gr-I	3	Class-I	9100-2500-15100	Selection	30	Essential:- i) A degree from a recognized university. Desirable:- Two years executive experience in shipping/cargo operations/ railway transportation in an Industrial/Commercial/ Govt. Undertaking.	(a) No (b) Yes (c) No	2	Upto 31st Dec. 2008 By direct recruitment - 33.1/3% By promotion - 66.2/3% Aft. 31st Dec. 2008 By direct recruitment - 66.2/3% By promotion - 33.1/3%	Promotion from Assistant Traffic Manager Gr-II in the scale of pay of Rs. 8000-14800 with 3 years service in the grade.	

Sl. No	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limits for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which list hold be made	Remarks
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	Chief Engineer	1	Class-I (HOD)	20500-900-28500	Selection	45	(i) Degree or equivalent in Civil Engg. from a recognised University / Institution. (ii) Seventeen years experience in executive cadre in Planning / Construction / Design / Maintenance preferably of Port and Marine Structures in an Industrial / Commercial / Govt. Undertaking.	(a) No (b) Yes (c) No	N.A.	By absorption through Composite method falling both by deputation falling both by direct recruitment.	For absorption through composite method, Officers holding analogous posts or post of Chief Engineer in Category II posts with two years regular service in the grade or officers holding posts in the scale of pay of Rs. 17500-22300 with 4 years regular service in the grade or Officers holding posts in the scale of pay of Rs. 16000-20600 with 5 years regular service in the grade in the Civil Engineering Deptt. of a Major Port Trust will be eligible. For deputation, Officers holding analogous posts or officers holding post of Chief Engineer and equivalent post in Civil Engg. Deptt. in the scale of pay of Rs. 18500-23900 with 2 years regular service in the grade or Officers holding post of Dy. Chief Engineer and equivalent post in Civil Engg. Deptt. in the scale of pay of Rs. 16000-20800 and above with 5 years regular service in the grade in Govt./Semi-Govt./PSUs /Autonomous bodies will be eligible. The selection is by merit for which the bench mark in over all grading in the ACRs will not be below "very good".	

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limits for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
		3	4	5	6	7			10	11	12	13
38	Dy. Chief Engineer (Civil)	2	Class-I	16000-400-20800	Selection	43	(i) Degree or equivalent in Civil Engg. from a recognised University/Institution. (ii) Twelve years experience in executive posts in Planning /Construction/ Design /Maintenance /operability of Port and Marine Structures in an Industrial / Commercial / Govt. Undertaking.	(a) No (b) Yes (c) No	N.A.	By absorption through Composite method falling from other Govt. organisations and falling both by direct recruitment.	For absorption through composite method, Officer holding analogous posts or Superintending Engineer and equivalent posts in the respective disciplines of Civil Engg. Deptt. in the scale of pay of Rs. 13000-18200 with 3 years' service in the grade in a Major Port/Trust or Superintending Engineer and equivalent posts in the respective disciplines of Civil Engg. Deptt. with 2 years' service in the grade and a combined service of 7 years in the scales of pay of Rs. 10780-14780 and Rs. 13000-18200 in the respective disciplines of Civil Engg. Deptt. in a Major Port Trust will be eligible. For promotion, Officers holding analogous posts or officers holding post of Superintending Engineer and equivalent posts in the respective disciplines of Civil Engg. Deptt. in the scale of pay of Rs. 13000-18200 with 3 years' service in the grade in Govt./PSUs /Autonomous bodies will be eligible. The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRs will not be below 'very good'.	

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limits for direct recruitment (In years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age Qualifications (b) Educational Qualifications (c) Experiences for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation grades from which it should be made	Remarks
1		3				7			10	11	12	13
40	Superintending Engineer (Civil)	3	Class-I	13000-350-18250	Selection	40	(i) Degree or equivalent in Civil Engg. from a recognised University / Institution. (ii) Nine years experience in executive cadre in Planning / Construction / Design / Maintenance preferably of Port and Marine Structures in an Industrial / Commercial / Govt. Undertaking.	(a) No (b) No, however a Diploma in Civil Engg. from a recognised University/Institution is essential. (c) No	2	By Promotion failing which by absorption/ deputation failing both by direct recruitment.	Promotion from Executive Engineer (Civil) in the scale of pay of Rs. 10750-16750 with 4 years service in the grade failing which Executive Engineer in the scale of pay of Rs. 10750-16750 with 2 years service in the grade and a combined service of 9 years in the scales of pay of Rs. 10750-16750 and Rs. 9100-15100 in the respective discipline of Civil Engg. Deptt. Absorption/deputation will be of Officers holding analogous posts or feeder post with experience as mentioned above in a Major Port Trust.	

Sl. No	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation grades from which it should be made	Remarks
1												
41	Executive Engineer (Civil)	7	Class-I	10750-300-16750	Selection	35	(i) Degree or equivalent in Civil Engg. from a recognised University / Institution. (ii) Five years experience in executive cadre in Planning / Construction / Design / Maintenance preferably of Port and Marine Structures in an Industrial / Commercial Govt. Undertaking	(a) No (b) No, however a Diploma in Civil Engg. from a recognised University/Institution is essential. (c) No	2	By Promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from Assistant Executive Engineer (Civil) in the scale of pay of Rs. 9100-15100 with 5 years service in the grade failing which Assistant Executive Engineer in the scale of pay of Rs. 9100-15100 with 2 years service in the grade and a combined regular service of 8 years in the scales of pay of Rs. 9100-15100 and Rs. 8600-14600 in the respective discipline of Civil Engg. Deptt. Absorption / deputation will be of officers holding analogous posts or feeder post with experience as mentioned above in a Major Port Trust.	

Sl. No	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limits for direct recruitment (In years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	Assistant Executive Engineer (Civil)	9	Class-I	9100-250 15100	Selection	30	Essential:- Degree or equivalent in Civil Engg. from a recognised University / Institution. Desirable :- Two years experience in executive cadre in Planning/ Construction/ Design/ Maintenance preferably of Port and Marine Structures in an Industrial / Commercial / Govt. Undertaking.	(a) No (b) No, however # Diploma in Civil Engg. from a recognised University/Institution is essential. (c) No	2	Upto 31st Dec., 2008 By direct recruitment - 33.1/3% By Promotion - 66.2/3% After 31st Dec., 2008 By direct recruitment - 66.2/3% By promotion - 33.1/3%	Promotion from Assistant Engineer (Civil) / Asst. Architect & Scientific officer in the scale of Rs. 8600-14000 with 3 years service in the grade.	

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Nur-Selection	Upper Age limits for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotional/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which benefit stands	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	Chief Medical Officer	1	Class-I	20000-500-28500	Selection	50	(I) MBBS degree from a recognised university. (II) A post-graduate medical degree from a recognised university. (III) Post qualification experience of 10 years in a hospital.	(a) No (b) Yes (c) No	N/A.	By absorption through composite method falling which by deputation and falling both by direct recruitment.	For absorption through composite method, Officers holding analogous posts or the post of Chief Medical Officer in Category-I post with 2 years regular service in the grade or officers holding posts in the grade or scale of pay of Rs.17800-22900 with 4 years regular service in the grade or officers holding posts in the scale of pay of Rs.18200-20600 with 5 years regular service in the grade in the Medical Dept. in a Major Port Trust will be eligible. For deputation, Officers holding analogous posts or officers holding post of Chief Medical Officer and equivalent post in Medical Dept. in the scale of pay of Rs.18200-20600 with 2 years regular service in the grade or officers holding posts of Sr. Dy. Chief Medical Officer and equivalent Specialist Posts in the scale of pay of Rs.16000-20600 and above in Medical Dept. with 5 years regular service in the grade in Govt./Semi-Govt./PSUs or Autonomous Bodies will be eligible. The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRs will not be below 'very good'.	

Sl. No	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limits for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which threshold be made	Remarks
1		3	4	5	6	7			10	11	12	13
44	Senior Dy Chief Medical Officer	2	Class-I	15000-400-20000	Selection	45	i) MBBS degree from a recognised university ii) A post-graduate medical degree in the specified speciality from a recognised university. iii) Post qualification experience of 10 yrs in a Hospital, in the relevant field of specialisation.	(e) No (b) Yes (c) No	N.A.	By absorption through Composite method falling which by deputation from other Govt. Organisations and falling both by direct recruitment.	For absorption through composite method, Officers holding analogous posts or holding the post of Dy Chief Medical Officer (Specialist) and equivalent Specialist posts in Medical Deptt. in the scale of pay of Rs. 13000-18250 with 3 years service in the grade in a Major Port Trust or Dy. Chief Medical Officer (Specialist) and equivalent Specialist posts in Medical Deptt. with 2 years service in the grade and a combined service of 7 years in the scale of pay of Rs.19750-18750 and Rs. 13000-18250 in Specialist cadre of Medical Deptt. in a Major Port Trust will be eligible. For deputation, Officers holding analogous posts or holding posts of Dy. Chief Medical Officer (Specialist) and equivalent Specialist posts in the scale of pay of Rs. 13000-18250 in a Medical Deptt. in a Govt./Semi Govt. / PSU or Autonomous Bodies with 3 years service in the grade will be eligible. The Selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRs will not be below "Very good".	

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limits for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation/grades from which should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	Dy. Chief Medical Officer (General Duty)	1	Class-I	13000-350-18250	Selection	42	Essential:- (i) MBBS degree from a recognised university or for Dy Chief Medical Officer (Dental), BDS degree of a recognised university. (ii) Nine years experience in a hospital, after completion of internship of one year. Desirable:- A post graduate medical degree from a recognised university.	(a) No (b) Yes (c) No	2	By Promotion falling which by absorption/deputation, falling both by direct recruitment.	Promotion from Sr. Medical Officer (General Duty) in the scale of pay of Rs. 10750-16750 service in the grade falling which Sr. Medical Officer (General Duty) with 2 years regular service in the scale of pay of Rs. 10750-16750 and a combined service of 8 years in the scales of pay of Rs. 9100-15100 and 10750-16750. Absorption/Deputation will be of Officers holding analogous posts of higher post with 4 years experience in the grade in a Major Port Trust.	

Sl. No	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limits for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which the hold be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	Dy. Chief Medical Officer (Specialist)	1	Class-I	13000-350-18250	Selection	42	(i) MBBS degree from a recognised university. (ii) A post-graduate medical degree in the specified speciality from a recognised university. (iii) Post qualification experience of 7 years in a reputed hospital in the relevant field of specialisation.	(a) No (b) Yes (c) No	2	By Promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from Sr. Medical Officer (Specialist) in the scale of pay of Rs. 10750-18750 with 4 years service in the grade falling which Sr. Medical Officer (General Duty) with post-graduate qualification in the relevant field and 4 years regular service in the grade. Absorption /Deputation will be of officers holding analogous post or holding the post of Sr. Medical Officers (Specialist) in the scale of pay of Rs. 10750-18750 with 4 years service in the grade in a Major Port Trust.	

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limits for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	Sr. Medical Officer (General Duty)	2	Class-I	10750-300-16750	Selection	40	Essential:- (i) MBBS degree from a recognised university or for Medical Officer (Dental), BDS degree of a recognised university. (ii) Five years experience in a hospital after completion of internship of one year. Desirable: A post graduate medical degree in the speciality from a recognised university	(a) No (b) Yes (c) No	2	By Promotion failing which by absorption / deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from Medical Officer in the scale of pay of Rs. 8100-15100 with 5 years service in the grade. Absorption / Deputation will be of Officers holding analogous posts or feeder post with 5 years experience in the grade in a Major Port Trust.	

Sl. No	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limits for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion /absorption / deputation)	In case of promotion/ absorption/ deputation/grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	Sr. Medical Officer (Specialist)	2	Class-I	10750-300-18750	N.A.	40	Essential:- (i) MBBS degree from a recognised university or for Sr. Medical Officer (Dental), BDS degree of a recognised university. (ii) A post-graduate medical degree in the specified speciality from a recognised university (iii) Post qualification experience of 3 years in a hospital, in the relevant field of specialisation.	Not Applicable	2	By direct recruitment.	Not Applicable	

Sl. No. of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	7	Class-I	9100-250/15100	Not Applicable	35	Essential:- (i) MBBS degree from a recognised university or for Medical Officer (Dental), BDS degree of a recognised university. (ii) One year experience in a hospital, after completion of internship of one year. Desirable:- A post graduate medical degree from a recognised university.	Not Applicable	2	By direct recruitment	Not Applicable	

Sl. No	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	Chief Vigilance Officer	1	Class-I (HOD)	N.A.	Selection	N.A.	Not Applicable	N.A.	N.A.	By deputation of Officers of All India/Central Services.	Officers who are eligible for appointment at the level of Director/ Dy. Secretary in the Govt. of India.	Deputation tenure as per guidelines issued by CVC / DOP&T.
51	Deputy Chief Vigilance Officer	1	Class-I	13000-350-18250	Selection	N.A.	Not Applicable	Not Applicable	2 years	By composite method of promotion/ deputation/transfer	Promotion / Deputation/Transfer: Officers holding analogous posts or officers Ra. 10750-18750 with 4 years of regular service in the grade taking which officers of a combined regular service of 9 years in the scales of pay of Rs. 10750-18750 and Rs. 9100-18180 in any Major Post - Trust / Central Govt./State Govt./ Semi-Govt./Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies. Preference	Deputation will normally be for a period of 3 years, and, in any case, not to exceed five years.

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limits for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, graded from which list should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52.	Chief Operations Manager	1	Class-I (HOD)	Rs. 2060-500-26900	Selection	45	Essential: Degree in Engineering, Certi. of Competency as MOT First Class, Master Mariner having Certificate of Competency as Master of Foreign Going Ship or Post Graduate in any Discipline, Degree with C.A./ICWAI or a Degree with Post Graduate Diploma in Labour Law/ Personnel Management. Essential: 17 yrs experience in Executive Cadre in Engineering / Marine/ Administration/ Finance in any Major Port Trust/ Govt. or Semi-Govt. Deptt./ Public Sector or Autonomous Body.	(e) No (b) Yes (c) No	N.A.	By absorption through composite method, falling which by deputation and falling both by direct recruitment.	For absorption through composite method. Officers holding anelo-gous posts or Officers with 4 yrs experience in the scale of Rs. 17900-400-22300 or Officers with 5 yrs experience in the scale of Rs. 16000-400-20900 or 8 yrs experience in the scale of Rs. 10750-300-16750 and above in a Major Port Trust will be eligible. For deputation, Officers holding anelo-gous posts or Officers holding posts in the scale of Rs. 16500-23900 with 2 yrs service in the grade or officers in the scale of Rs. 16000-20900 and above with 5 yrs service in a Major Port Trust/ Govt. or Semi-Govt. Deptt./ Public Sector or Autonomous Body will be eligible. The Selection is by Merit for which the bench mark is overall grading in the AOPs will not be below "Very Good".	

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Class/Category	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limits for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which should be made	Remarks
53	Deputy Conservator	1	Class-I (HOD)	22500-300-28500	Selection	50	<p>i) Must hold a certificate of competency as master of foreign going ship issued by the Ministry of Shipping, Govt. of India or an equivalent qualification recognised by the Ministry of Shipping, Govt. of India.</p> <p>ii) Must hold Pilot licence and have experience of 10 years either or in Piloting or cumulative.</p>	<p>a) No b) Yes c) No</p>	N.A.	By absorption through composite method, failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	For absorption by composite method, officers holding analogous posts or holding posts of Dy. Conservator in Category-II Ports or Harbour Master in Category-I ports in the scale of pay of Rs. 18500-23800 with 2 years regular service in the grade or officers holding post of Harbour Master in the scale of pay of Rs. 17500-22300 with 4 years regular service in the grade in a Major Port Trust. For deputation officers holding analogous posts or holding post of Dy. Conservator and its equivalent Deck side post in the scale of pay of Rs. 18500-23800 with 2 years regular service in the grade in a Govt./Semi Govt./PSUs or Autonomous Bodies will be eligible. The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRs will not be below 'very good'.	13

[F. No. PR-12012/162004-PE-I]
RAKESH SRIVASTAVA, Jr. Secy.

FOOT NOTE - Principal Regulations published vide GSR No. 304 dated 29/02/64 and subsequently vide GSR No. 871 (E) dated 26/10/90.

(B) Kandla Port Trust (Recruitment of Heads of Department) Regulations – 1991.

Foot Note Principal regulations published vide GSR No. 83(E) dated 20/02/91 and subsequently amended vide :-

GSR NO. 628 (E) DATED 14/10/1991

GSR NO. 760 (E) DATED 08/09/1992

GSR NO. 798 (E) DATED 23/10/2001